लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र / Fourth Session]

[खंड 16 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XVI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 45, गुरुवार, 18 अप्रैल, 1968/29 चैत्र, 1890 (शक)
No. 45, Thursday, April 18, 1968/Chaitra 29, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
***S. Q. Nos.**		
1287. दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of R. M. S. Employees at Delhi Railway Station ..	673—675
1288. रेलवे कर्मचारियों का वेतन सम्बन्धी ढांचा	Wage Structure for Railway Employees ..	675—677
1291. विदेशी समाचार अभिकरण	Foreign News Agencies ..	677—679
1292. सामुदायिक विकास कार्यक्रम	Community Development Programme ..	679—684
1293. मध्य प्रदेश में नलकूपों की खुदाई का कार्यक्रम	Programme of sinking Tubewells in M. P. ..	685—687
1294. विकलांग खनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Disabled Miners ..	687—688
1298. इसराइल में ब्लास मैथेड ड्रिप सिंचाई पद्धति	Blass Method Drip Irrigation System in Israel ..	688—690
1299. बीड़ी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Bidi Industry ..	690—691
1300. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Consumer's Price Index ..	692
1301. जम्मू तथा काश्मीर में गैर-काश्मीरी भारतीय नागरिक	Non-Kashmiri Indian Citizens in Jammu & Kashmir ..	693
अ० सू० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
22. मध्य प्रदेश से चने के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of Gram from Madhya Pradesh ..	694—697

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1289. रिक्शा चलाने वाले	Rickshaw-Pullers ..	698
1290. खाद्यान्न के बिना रोकटोक लाये ले जाने के उत्तरी जोन क्षेत्रों में राजस्थान को शामिल करना	Inclusion of Rajasthan in Free Movement Area of Northern Zone ..	698—699
1295. बैलट (गुप्त मतदान) द्वारा मजदूर संघों को मान्यता देना	Recognition of Trade Unions by Ballot ..	699
1296. इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली द्वारा श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendation of Working Journalists' Wage Board by the 'Indian Express', New Delhi	699—700
1297. एस० आर० टी० फैक्टरी, बेनियापुकुर (कलकत्ता) में तालाबन्दी	Lock-out in S. R. T. Factory, Beniyapukur (Calcutta) ..	700
1302. दिल्ली में खेती	Cultivation of land in Delhi ..	700—701
1303. कोयला खानों में नियुक्त मेडिकल डिप्लोमा प्राप्त चिकित्सक	Medical Diploma-holders in Coal Mines ..	701
1304. पूर्वी पाकिस्तान, बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों का अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from East Pak, Burma and Ceylon in 'Andaman and Nicobar Islands ..	702
1305. विदेशों से खरीदे गये इलेक्ट्रानिक उपकरण	Electronic Equipment purchased from Abroad ..	702
1306. डायरैक्ट डायलिंग टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling System ..	703
1307. चीनी का स्टाक	Sugar Stock ..	703
1308. पाकिस्तान को चावल और गेहूं की तस्करी	Smuggling of Rice and Wheat to Pakistan ..	704
1309. खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योग	Food Processing Industries ..	704
1310. पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	East Pakistan displaced persons ..	704..705

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1311. कोयला खानों में आयुर्वैदिक डाक्टर	Ayurvedic Doctors in Collieries	.. 705
1312. खाद्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Food Employees	.. 705—706
1313. महाराष्ट्र में भूमिहीन खेतिहर मजदूर	Landless Agricultural Labourers in Maharashtra	.. 706
1314. हिन्दी दैनिक "आज" वाराणसी	Hindi Daily 'Aj' Varanasi	.. 706—707
1315. नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	Neyveli Lignite Corporation	.. 707
1316. हकीकत नगर किंग्ज्वे कैम्प (दिल्ली) में मकानों का आवंटन	Allotment of houses in Haqiqat Nager, Kingsway Camp (Delhi)	.. 707—708
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7559. मैसूर राज्य के तुमकुर जिले का डाक व तार विभाग संघ	Post and Telegraph Union of Tumkur District (Mysore)	.. 708
7560. दिल्ली में भवन निर्माण सहकारी समितियां	House-building Co-operative Societies in Delhi	.. 708—709
7561. दिल्ली में भवन निर्माण सहकारी समितियां	House-building Co-operative Societies in Delhi	.. 709—710
7562. हरियाणा में कृषि भूमि का अर्जन	Acquisition of Agricultural Land in Haryana	.. 710—711
7563. योजना आयोग का जम्मू तथा काश्मीर तक क्षेत्राधिकार	Jurisdiction of Planning Commission to J and K	.. 711
7564. सब्जी के बीजों की बिक्री	Sale of Vegetable Seeds	.. 711
7565. आयातित तथा स्वदेशी गेहूं में पोषाहार तत्व	Nutrition Value of Imported and Indigenous Wheat	.. 712
7566. चावल मिलों पर सरकार का नियंत्रण	Government Control on Rice Mills	.. 712—713
7567. मध्य प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers to Madhya Pradesh	.. 713
7568. बालिनगीर जिला उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन काटना	Disconnection of Telephones in Balingir District Orissa	.. 713—714

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

7569. दिल्ली में टेलीफोन का अनधिकृत उपयोग	Unauthorised use of Telephones in Delhi ..	714—715
7570. सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज कार्यक्रम	Community Development and Panchayat Raj Programme ..	715—716
7571. देहाती क्षेत्रों में रेडियो लाइसेंस	Radio Licences in Rural Areas ..	716
7572. कृषि श्रमिक	Agricultural Labourers ..	716
7574. बांधों के निर्माण के पश्चात् कृषि उत्पादन में वृद्धि	Increase in Agricultural Production after construction of Dams ..	716
7575. गोरखपुर जिले में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange in Gorakhpur District	717
7576. कांगड़ा जिले में भूमि का नियतन	Allotment of Land in Kangra District	717
7577. कृषि उपज	Agricultural Production ..	717—718
7578. चावल और गेहूं बोर्ड	Rice and Wheat Boards	718
7579. श्रमजीवी पत्रकारों को मंहगाई भत्ते का भुगतान	Payment of Dearness Allowance to Working Journalists ..	719
7580. जापान से चावल मिलें	Rice Mills from Japan ..	719—720
7581. दिल्ली में टेलीफोन	Telephone Connections in Delhi	720
7582. पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों की बस्तियां	Refugee Colonies in West Bengal ..	720—721
7583. स्मृति में विशेष डाक टिकट	Special Commemorative Stamps ..	721—722
7584. स्मृति में विशेष डाक टिकट	Special Commemorative Stamps ..	722—723
7585. सब्जियों के बीजों का आयात	Import of Vegetable Seeds ..	723
7586. टेलीफोन विभाग में असमायोजित धनराशि	Money Lying in Telephone Department ..	723—724
7587. विस्थापित व्यक्तियों का तिहाड़ गांव, दिल्ली में पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced persons in Tihar Village, Delhi	724
7588. विष्णुपुर हरिनावर में डाकखाना खोलना	Opening of Post Office in Vishnupur, Harinawar ..	724
7589. वीरमगांव-राजकोट सड़क पर टेलीफोन बूथ/ब्लाक	Telephone Booths/Blocks on Viramgaon-Rajkot Road ..	725

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

7590.	भोजन व्यवस्था प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक पोषाहार संबंधी संस्थायें	Institutes of Catering Technology and Applied Nutrition ..	725—726
7591.	टी० ई० थोम्पसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	T. E. Thompson and Co. Ltd., Calcutta ..	726
•7592.	पश्चिमी बंगाल में बेरोजगारी	Unemployment in West Bengal ..	726—727
7593.	केनिंग नगर (पश्चिमी बंगाल) के लिये टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange for Canning Town (West Bengal) ..	727
7594.	भारत में चीनी का उत्पादन और खपत	Sugar Production and Comsumption in India ..	727—728
7595.	सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर खर्च	Expenditure on Community Development Programme ..	728
7596.	श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले अधिकारी	Hindi knowing Officers in the Ministry of Labour and Rehabilitation ..	728—729
7597.	हिन्दी जानने वाले अधिकारी	Hindi-knowing Officers ..	729—730
7598.	घेराव के कारण श्रम दिनों की हानि	Man-days Lost Due to Gheraos ..	730
7599.	कोकन लोहा खानें	Koken Iron Mines ..	730
7600.	सलाहकार समितियां तथा बोर्ड	Advisory Committee and Boards	731
7601.	आयातित चावल तथा माइलो के लिये राज सहायता	Subsidy on Imported Rice and Milo ..	731—732
7602.	उत्तर प्रदेश में किसानों के लिये पास-बुक	Pass-Books to Farmers in U. P. ..	732
7603.	गोरखपुर जिले में 25-लाइन वाला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	25-Line Automatic Telephone Exchange in Gorakhpur District ..	732
7604.	संचार विभाग के नियंत्रणाधीन औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings under Control of Department of Communications ..	733
7605.	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	East Pakistan Displaced Persons ..	733—734

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7606. नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित बड़ा डाकघर	Head Post Office situated at Parliament Street, New Delhi ..	734
7607. शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees ..	734
7608. असिंचित क्षेत्रों के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित नई किस्म का गेहूं	New Variety of Wheat Developed by IARI for Unirrigated Areas ..	734—735
7609. बिहार को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Bihar	735
7610. खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains ..	735—736
7611. श्रम आन्दोलन	Labour Agitations ..	736
7612. फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme ..	736—737
7613. आयातित गेहूं की बिक्री	Sale of Imported Wheat ..	737
7614. महाराष्ट्र के गांवों में डाकघर	Post Offices in Maharashtra villages ..	737
7615. महाराष्ट्र में तारघर	Telegraph Offices in Maharashtra ..	738
7616. आटा मिलों को देशी गेहूं का सप्लाई किया जाना	Supply of Indigenous Wheat to Flour Mills ..	738
7617. उत्तर प्रदेश में नलकूपों का लगाया जाना	Construction of Tubewells in U. P. ..	738—739
7618. मध्य प्रदेश के टेलीफोन केन्द्र से आने वाले तथा जाने वाले ट्रंक काल	Incoming and Outgoing Trunk Calls handled by Telephone Exchange in M. P. ..	739—740
7619. मध्य प्रदेश में अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत मामले	Cases in Madhya Pradesh under Essential Commodities Act. ..	740
7620. पश्चिमी बंगाल राज्य-विद्युत् बोर्ड	West Bengal State Electricity Board ..	740—741
7621. कोयला खानों में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Workers in Collieries ..	741—742
7622. रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी के कर्मचारी	Employees of River Steam Navigation Co. ..	742
7623. बुलन्दशहर में आयातित गेहूं के एक व्यापारी को ऋण	Loan to a dealer in imported wheat in Bulandshahr ..	742

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

7624. सुपर फास्फेट का मूल्य	Price of Super-Phosphate ..	742—743
7625. पुरी डिवीजन में अनुसूचित जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Scheduled Castes in Puri Division ..	743
7626. भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद	Procurement of Foodgrains by Food Corporation of India ..	744
7627. कोटा (राजस्थान) हवाई अड्डे पर संचार सुविधायें	Communication Facilities at Airport in Kotah (Rajasthan) ..	744
7628. भारतीय खाद्य निगम की ऋण योजनायें	Credit Schemes of the Food Corporation of India ..	745
7629. एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुद्ध घी देने का प्रस्ताव	Pure Ghee Offer by an International Food Organisation ..	745
7630. राज्यों में कुओं की खुदाई	Sinking of Wells in States ..	745—746
7631. उद्योगों में कर्मचारी व्यवस्था	Personnel Management in Industry ..	746
7632. औद्योगिक उपक्रमों में कार्मिक अधिकारी, श्रम अधिकारी तथा कल्याण अधिकारी	Personnel Officers, Labour Officers and Welfare Officers in Industrial Units ..	746
7633. औद्योगिक स्थापनाओं में कर्मचारी व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकारी	Personnel Officers in Industrial Establishments ..	747
7634. राजभाषा (विधायी) आयोग	Official Languages (Legislative) Commission ..	747
7635. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	Employees' Provident Fund Organisation ..	747—748
7636. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	Employees' Provident Fund Organisation ..	748
7637. भविष्य निधि आयुक्त	Provident Fund Commissioners ..	748—749
7638. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था के निदेशक	Director, Central Potato Research Institute ..	749
7639. बुलन्दशहर में उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilisers in Bulandshahr ..	749
7640. सहकारी समितियों द्वारा संकर बीजों का वितरण	Distribution of Hybrid Seeds by Co-operative Societies ..	750

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7641. बुलन्दशहर जिले में विकास खण्डों पर व्यय	Expenditure on Development Blocks in Bulandshahr District ..	750
7642. न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स के कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान	Payment of Provident Fund to Workers of New Bhopal Textile Mills ..	750
7643. डाकियों तथा डाक विभाग के अन्य कर्मचारियों का नौकरी से हटाया जाना	Removal of Postmen and Other Postal Employees from Service ..	751
7644. मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अस्थायी डाक व तार घर	Temporary Post and Telegraph Offices in Ujjain District of M. P. ..	751
7645. मध्य प्रदेश में डाक घर और उप-डाकघर	Post Offices and Sub-Post Offices in Madhya Pradesh ..	751
7646. उत्तर प्रदेश में चावल और चीनी की मिलें	Rice Mills and Sugar Mills in U. P. ..	752
7647. दिल्ली क्लाथ मिल्स, लिमिटेड	Delhi Cloth Mills, Ltd. ..	752
7648. दिल्ली क्लाथ मिल्स के मजदूरों की मजूरी	Wages of Delhi Cloth Mills Workers .	753
7649. चीनी तथा चावल मिल	Sugar and Rice Mills ..	753
7650. कर्तक जन्तु नियंत्रण अभियान	Rodent Control Campaign	754
7651. राष्ट्रीय श्रम आयोग अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommendations of National Labour Commission's Study Group ..	754
7652. पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ से शिकायत	Complaint from Eastern Railwaymen's Union ..	754—755
7653. मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के बारे में समाचारपत्र कर्मचारी संगठन की मांग	Newspaper Employees' Organisation Demand for the Implementation of Wage Board's Recommendations ..	755
7654. फालतू भूमि का वितरण	Distribution of Surplus Land ..	755—756
7655. सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड	Co-operative Farming Advisory Boards ..	756—757
7656. मनीपुर में खेती के लिये भूमि	Cultivation of Land in Manipur ..	757
7657. मनीपुर में लघु सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in Manipur ..	757

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7658. मजूरी बोर्डों की शक्तियां	Powers of Wage Boards ..	758
7659. राजस्थान के सीमा क्षेत्रों का संसद् सदस्यों द्वारा दौरा	Visit of M. Ps. to Border Areas of Rajasthan ..	758—759
7660. खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, देहरादून	Food Research Laboratory, Dehra Dun ..	759
7661. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संगठनों/संस्थाओं के उच्च पदधारियों के लिये टेलीफोन	Telephones for High Office-Bearers of Recognised Organisations/Associations of Central Government Employees ..	759
7662. आधुनिक चावल मिल	Modern Rice Mills ..	759—760
7663. जलभृत क्षेत्रों को पुनः भरना	Re-charging of Aquifer Areas ..	760
7665. खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains ..	761
7666. खाद्य कर्मचारी संस्था की मांगें	Demands of Food Employees' Association ..	761
7667. पटना से दिल्ली तक टेलीफोन लाइन	Patna-Delhi Telephone Line ..	762
7668. टेलीफोन का स्थानान्तरण अथवा हस्तांतरण	Shifting or transfer of Telephones ..	762—763
7669. अधिक उपज वाले बीजों का निर्यात	Export of High Yielding seeds ..	763—764
7670. अधिक उपज वाले बीजों की बिक्री के लिए देने से पूर्व उनका अधिक मात्रा में उत्पादन	Pre-release multiplication of Highyielding seeds ..	764—765
7671. सहकारी खेती समितियों का पुनरुत्थान	Revitalisation of Co-operative Farming Societies ..	765—766
7672. कानूनी राशन व्यवस्था हटाना	Withdrawal of Statutory Rationing ..	766
7673. पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी	Refugees from East Pakistan ..	766—767
7674. निष्कान्त सम्पत्ति अधिनियम	Evacuees Property Act	767
7675. डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम	Direct Dialling System ..	767—768
7676. करगली कोयला खान में अग्निकाण्ड	Fire in Kargali Colliery ..	768

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— कुछ सेना अधिकारियों द्वारा गोहाटी में नागरिकों तथा पी० टी० आई० के कर्मचारियों का पीटा जाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— Reported assault by certain Army Officers on civilians including PTI officials at Gauhati	.. 768—770
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 770—771
ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में	Re. Calling Attention Notices	.. 771—772
लोक भविष्य निधि विधेयक–पुरस्थापित	Public Provident Fund Bill-Introduced	.. 772—773
उद्घोषणा जारी करने के बारे में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गये प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प	Motion re. Report of UP Governor to President on issue of Proclamation and Resolution re. Proclamation by President in relation to Uttar Pradesh	.. 773—797
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	.. 773—775
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	.. 775—776
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	.. 777—778
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	.. 778
श्री० श्री० अ० डांगे	Shri S. A. Dange	.. 779—781
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	.. 781—782
श्री आ० ना० मुल्ला	Shri A. N. Mulla	.. 782—783
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	.. 783
श्री अर्जुन सिंह भदोरिया	Shri Arjun Singh Bhadoria	.. 783—784
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	.. 784—785
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	.. 785—786
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	.. 786—787
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	.. 787—788
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu	.. 788—789

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharya	.. 789—790
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	.. 790—791
श्री मु० अ० खान	Shri M. A. Khan	.. 791
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्	Shri Tenneti Viswanatham	.. 791—792
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	.. 792—793
श्री बै० ना० कुरील	Shri B. N. Kureel	.. 793
श्री रा० कृ० सिंह	Shri R. K. Sinha	.. 793

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 18 अप्रैल, 1968/29 चैत्र, 1890 (शक)
Thursday, April 18, 1968/Chaitra 29, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

+

*1287. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रेलवे पुलिस ने 23 मार्च, 1968 को रेलवे डाक-सेवा के दो कर्मचारियों को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया था, जिनके पास बहुत सी आयातित वस्तुएं थीं ;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई वस्तुओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या ऐसा मालूम हुआ है कि गिरफ्तार व्यक्ति तस्करों के किसी सुगठित गिरोह के सदस्य हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दिल्ली रेलवे पुलिस ने 22 मार्च, 1968 को रेल डाक व्यवस्था के दो कर्मचारियों को पकड़ा और उनसे कुछ आयात की हुई वस्तुएं वसूल कीं । इन कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया ।

(ख) इस प्रकार वसूल की गई वस्तुओं की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है ।

(ग) अब तक की गई छानबीन से ऐसा पता चलता है कि इन कर्मचारियों ने निषिद्ध वस्तुओं को ले जाने का कार्य किया था।

विवरण

घड़ी की स्टील की चेन	298
घड़ी की चेनें (रौनक ट्रेड मार्क)	55
घड़ी के फीते (पुरुषों/स्त्रियों)	754
घड़ियां	25
ट्यूब रेडियो	187
रेडियो डायल	12
ट्रांजिस्टर कवर	2
ट्रांजिस्टर	1
घड़ी के प्लास्टिक के फीते	142
घड़ी की चेनें	10
ई० एस० वी० ई० ट्रांजिस्टर ट्रांसफारमर	100

श्री धीरेन्द्र नाथ देव : क्या सरकार का ध्यान 14 अप्रैल, के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस लेख की ओर दिलाया गया है कि विदेशों से चोरी छिपे लाई गई वस्तुयें और विशेष रूप से साम्यवादी चीन से लाई गई वस्तुयें खले तौर पर नई दिल्ली के बाजार में बिक रही हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं अथवा निषिद्ध वस्तुओं की सामान्य बिक्री का सम्बन्ध है, मैं इस मामले से सम्बन्धित नहीं हूं तथा कुछ अन्य मंत्रालय इससे सम्बद्ध हैं। यदि माननीय सदस्य उन मंत्रालयों से यह प्रश्न पूछें तो अधिक अच्छा रहेगा।

श्री रा० रा० सिंह देव : क्या यह सच है कि उन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के सम्बन्धी सीमा शुल्क विभाग अथवा विदेशी दूतावासों में काम करते हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि गिरफ्तार किये गये उन व्यक्तियों का कोई सम्बन्धी सीमा शुल्क विभाग में काम करता है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या उन वस्तुओं के पहुंचने के स्थानों का पता लगा लिया गया है और क्या सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री इ० कु० गुजराल : यद्यपि पकड़े गये व्यक्ति संचार विभाग के कर्मचारी हैं, तथापि उन्हें रेलवे पुलिस द्वारा पकड़ा गया था तथा इस मामले को सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है। जहां तक मैं जांच कर सका हूं, मुझे पता चला है कि सीमा शुल्क के कर्मचारियों

ने उन व्यक्तियों का पता लगा लिया है जिन्होंने वे वस्तुयें भेजी थीं तथा उन व्यक्तियों के नामों का भी पता लगा लिया है, जिनके पास वे वस्तुएं भेजी जानी थीं ।

Wage Structure for Railway Employees

*1288. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a Study Team of the National Labour Commission has recommended that the Wage structure on Railways should be different from that in other civil Departments ;

(b) the other recommendations of the Study Team ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) to (c). The Government understand that the Study Team has submitted a report to the National Commission on Labour. The Government is not seized of this matter now and will consider it on receipt of the recommendations of the National Commission.

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether it is a fact that Labour laws are not being honoured in Railways. For example wage slips are not issued to the casual labour. which are required to be issued under the provisions of the minimum wages Act. The casual labourers are thrown out of employment without any compensation and no specified procedure is being followed in this regard. The main reason why labour laws are being dishonoured in Railways is that the Enforcement Officers of the Labour Ministry do not take any action against the Railways.

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न अध्ययन दल की सिफारिशों से सम्बन्धित है । तथापि यदि कोई शिकायतें होंगी तो श्रम प्रवर्तक अधिकारियों द्वारा अवश्य उन पर ध्यान दिया जायेगा । यह सच है कि कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether Government proposes to fix the wages on the basis of the principles laid down by the International Transport Committee of the International Labour Organisation ?

Shri Hathi : Government have no such proposal at present. The Hon. Member has asked whether the Study Team had made any such recommendation. They have made such recommendation. But their report is with the National Labour Commission at present and as such Government have no such proposal presently.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या माननीय मंत्री को पता है कि रेलवे के बहुत से ऐसे कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है, जिन्होंने 10 से 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और यदि हां, तो सरकार ने उन्हें पुन: रेलवे में नौकरी देने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि रेलगाड़ियों के इलेक्ट्रिशियन्स को बहुत कम वेतन दिया जाता है और इससे उनका निर्वाह नहीं हो पाता । क्या सरकार के समक्ष उनके वेतन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ? वे बहुत परिश्रम से काम करते हैं ।

श्री हाथी : वास्तव में यह प्रश्न रेलवे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल की सिफारिशों से सम्बन्धित है। मेरा उत्तर यह है कि हमें अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यदि रेलवे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में प्रश्न पूछे जायेंगे, तो मैं ठीक उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अपेक्षित सामग्री नहीं है। यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न पूछेंगे तो मैं अवश्य इन सब बातों पर ध्यान दूंगा।

Shri Deven Sen : May I know whether both the federations have made a demand for the creation of a separate wage Board for Railways, because they are not satisfied with the recommendations of the Central Pay Commission ?

श्री हाथी : प्रश्न यह है कि क्या दोनों महासंघों ने अध्ययन दल के समक्ष अथवा राष्ट्रीय श्रम आयोग के समक्ष एक अलग मंजूरी बोर्ड बनाने की मांग की है। दोनों ही महासंघों को अध्ययन दल में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं मुझे अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिये मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने यह सुझाव दिया है अथवा मांग की है अथवा नहीं।

श्री उमानाथ : इस समय रेलवे कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर समझा जाता है और उन्हें विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। रेलवे एक बहुत बड़ा उद्योग है, जिसमें बहुत सी वर्कशापें हैं और कुछ वर्कशापों में तो 10,000 अथवा 15,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसलिये यह मांग लगातार की जा रही है कि उन्हें अलग समझा जाना चाहिये और उनके लिये एक अलग मजूरी बोर्ड होना चाहिये। इस बात को छोड़कर कि अध्ययन दल इस बारे में क्या सिफारिश करता है, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का एक अलग मंजूरी बोर्ड बनाने की मांग के बारे में क्या रवैया है ?

श्री हाथी : प्रश्न यह है कि मजूरी बोर्ड किस प्रकार का होना चाहिये, इसका स्वरूप क्या हो तथा यह एक संविहित निकाय होना चाहिये अथवा नहीं, और इसके द्वारा किस आधार पर मजूरी निर्धारित की जानी चाहिये। यह प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मजूरी बोर्ड के बारे में लोगों की विभिन्न राय हैं। इस बात पर सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्या वर्तमान मजूरी बोर्ड प्रणाली एक कुशल प्रणाली है ? क्या यह सच नहीं है कि इसकी सिफारिशों की क्रियान्विति में देरी होती है और कठिनाइयां भी पेश आती हैं। इसलिये यदि हम मजूरी बोर्ड बनाते हैं, तो भी हमें इस बात पर विचार करना होगा कि किस प्रकार का मजूरी बोर्ड बनाया जाये।

श्री उमानाथ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। इस समय रेलवे कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये नियुक्त वेतन आयोग की बातें लागू हैं। रेलवे के कर्मचारियों के वेतन ढांचे का निर्णय करने के लिये एक अलग मजूरी बोर्ड होना चाहिये।

रेलवे कर्मचारियों की इस मांग के बारे में कि उनके लिये एक अलग मजूरी बोर्ड होना चाहिये, माननीय मंत्री का क्या विचार है ?

श्री हाथी : इस बारे में कोई निर्णय लेना मेरे लिये संभव नहीं है । यह निर्णय राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा लिया जायेगा । यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा हमने एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया है । अतः राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने से पहले सभा के समक्ष यह कहना कि सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी अथवा नहीं, मेरे लिये उचित नहीं है ।

Shri Molahu Prasad : Will the Hon. Minister be pleased to state whether the question of agricultural labour has also been dealt with by the Study Team appointed by the National Labour Commission and whether they have made any recommendation that like others a separate Wage Board should be appointed for agricultural labour and they should be given wages according to the decisions of the Wage Board and if so, the reaction of his Ministry in this regard ?

श्री हाथी : इस अध्ययन दल ने केवल रेलवे कर्मचारियों के मामलों का अध्ययन किया है ।

Shri George Fernandes : It appears that Government is not in a mood to initiate any programme for the welfare of Railway employees, unless they receive the report of the National Labour Commission. So I would like to know the time by which the report of the National Labour Commission is expected to be received.

Shri Hathi : Their work is proceeding according to the schedule. They have promised that their work will be completed by the end of December and their report will be presented either in January or in February.

विदेशी समाचार अभिकरण

*1291. **श्री गणेश घोष :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्री एस्थोस : **श्री उमानाथ :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में काम करने वाले विदेशी समाचार अभिकरण अपने संगठनों के कर्मचारियों के बारे में सरकारी विनियमों का पालन कर रहे हैं ;

(ख) क्या ये समाचार अभिकरण अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा उपदान की सुविधाएं देते हैं ; और

(ग) क्या इन समाचार अभिकरणों ने पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के मजूरी बोर्डों के नवीनतम प्रतिवेदनों में दिये गये सम्बन्धित सुझावों को स्वीकार कर लिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) समाचार-एजेन्सियां जिनमें विदेशी समाचार ऐजेन्सियां शामिल हैं, के विषय में विविध श्रम कानूनों के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तथा वे कानून पालन न करने की शिकायतों, यदि कोई हों, के विषय में कार्यवाही करती हैं ।

(ख) सूचना अभी प्राप्त नहीं है ।

(ग) पत्रकारों के विषय में मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कानूनन लागू की जाती हैं तथा उन्हें लागू कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है । गैर-पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशें भी राज्य सरकारों द्वारा लागू कराई जा रही हैं किन्तु इनमें कानूनी ताकत नहीं है ।

श्री गणेश घोष : इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में स्थित रयूटर, टास, यू० पी० आई०, ऐजन्सी फ्रांस प्रेस इत्यादि के कार्यालय बड़े-बड़े विदेशी समाचार अभिकरणों के अंग हैं, परन्तु क्योंकि भारत में स्थित इन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, इसलिये इनके कर्मचारी सामूहिक सौदेबाजी प्रभावी करने की स्थिति में नहीं हैं । इस बात को देखते हुए इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री हाथी : यदि कोई विवाद होता है, तो उस पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है । यदि ऐसी कोई शिकायतें होंगी तो सम्बन्धित राज्य सरकारें अवश्य उन पर ध्यान देंगी ।

श्री गणेश घोष : परन्तु इन विदेशी समाचार अभिकरणों के कार्यालय देश में लागू श्रम विधियों की लगातार अवहेलना करते रहे हैं तथा मजूरी बोर्ड के निर्णयों को क्रियान्वित नहीं करते हैं । इस बात को देखते हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये तथा इन गैर-कानूनी बातों को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री हाथी : अवश्य । यदि राज्य सरकारों को यह पता चलता है कि श्रम विधियों की अवहेलना की जा रही है, तो उन्हें इन विधियों को क्रियान्वित करने के लिये इन अभिकरणों को बाध्य करना चाहिये । इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

श्री गणेश घोष : परन्तु वे ऐसा नहीं कर रही हैं । केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री हाथी : जी नहीं । औद्योगिक विवाद अधिनियम को क्रियान्वित कराना राज्य सरकारों का काम है । यह केन्द्र का क्षेत्र नहीं है । जहां कहीं भी यह अभिकरण स्थित है, वहां आवश्यक

कार्यवाही करना उन राज्य सरकारों का काम है। यदि माननीय सदस्य की जानकारी में कोई विशेष मामला हो, तो वह मुझे बतायें। मैं अवश्य इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाऊंगा।

श्री उमानाथ : मजूरी बोर्ड की हाल की सिफारिशों को अधिकांश अभिकरणों तथा समाचार-पत्रों द्वारा क्रियान्वित न किये जाने के कारण अखिल भारतीय समाचार-पत्र संघ ने इस महीने की 23 तारीख से जो कि 2 अथवा 3 दिन में आने वाली है देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय किया है, जिसके परिणामस्वरूप न तो देश में समाचार आ सकेंगे और न ही विदेशों को समाचार भेजे जा सकेंगे। इस बात को देखते हुए कि ऐसी गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने वाली है, सरकार ने उसे टालने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : जहां तक पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का सम्बन्ध है, हमने यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया है और उनसे कहा है कि वे इन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये कार्यवाही करें। जहां तक गैर-पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य तथा सभा को ज्ञात है कि वह संविहित संस्था नहीं है। परन्तु राज्य सरकारें सम्बन्धित पक्षों के बीच समझौता कराने का यत्न कर रही हैं, यदि संभव हुआ तो, वे इसके लिये पूरा प्रयास कर रही हैं। यदि यह समझौता संभव नहीं हुआ तो कर्मचारी जैसे चाहेंगे कार्यवाही करेंगे और तत्पश्चात कर्मचारियों और नियोजकों के बीच सौदेबाजी आरम्भ होगी। यह कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों का मामला है।

श्री उमानाथ : 23 तारीख को जो कि आने ही वाली है, वे हड़ताल करने वाले हैं। सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री हाथी : सरकार ने नियोजक को बुलाया है और उनसे कहा है कि समझौता किया जाना चाहिये। वे सहमत हो गये हैं, परन्तु उन्होंने कहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें क्रियान्वित करना कठिन है। कुछ प्रस्तावों के साथ वे इस मामले को पंचाट को सौंपने को सहमत हो गये हैं। हमने वे प्रस्ताव कर्मचारियों के पास भेज दिये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : देश में इस समय कुल कितने विदेशी समाचार अभिकरण हैं तथा उनमें काम करने वाले भारतीयों की संख्या कुल कितनी है ?

श्री हाथी : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

+

*1292. **श्री लोबो प्रभु** :

श्री मुहम्मद इमाम :

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये

चालू किये गये सामुदायिक विकास काम असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली विशेष गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर सकती हैं और निःसंदेह वे करती भी हैं; किन्तु इस कार्यक्रम का लक्ष्य लोगों के उपक्रम के माध्यम से समाजार्थिक परिवर्तन लाने पर ही प्रमुख रूप से केन्द्रित रहता है, जिसके लिये सम्भव सीमा तक राज्य सहायता उपलब्ध होती है। विकट मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित रहने वाले खण्डों में रोजगार की मांग की पूर्ति करने वाला विशेष कार्यक्रम ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत लघु, श्रम प्रधान सामुदायिक निर्माण कार्य हाथ में लिये जाते हैं। उपलब्ध सूचना, जो कि राज्य सरकारों से प्राप्त हुई है, से पता चलता है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तव में जो खर्च किया गया उसके अनुपात में उपलब्ध रोजगार प्रारम्भ में परिकल्पित लक्ष्यों अथवा विभागों द्वारा सामान्य रूप से कार्यान्वित की गई तद्नुरूप परियोजनाओं से भी अच्छा रहा। इसके अनेक कारण हैं, जैसे मंदी के मौसम की चालू दरों पर मजदूरी देना, ठेकेदारों को काम न देना और स्थानीय साधन जुटाना। क्षेत्र स्तर पर ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम के कार्यकरण को मजबूत बनाने के लिये किये गए उपायों में इनका उल्लेख किया जा सकता है—कार्यान्विति की जिम्मेदारी पूर्णरूप से पंचायती राज संस्थाओं और खण्ड संगठन को सौंपना, राज्य इंजीनियरिंग संवर्गों के माध्यम से उन्हें आवश्यक तकनीकी सहायता सुलभ करने पर बल देना और जहां तक सम्भव हो सके स्थानीय संस्थाओं को काम मंजूर करने के लिए अधिकरण के विकेन्द्रीकरण पर बल देना।

श्री लोबो प्रभु : योजना आयोग का अनुमान है कि चौथी योजना के फलस्वरूप 3 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के दो वर्ष बीत चुके हैं परन्तु अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने के स्थान पर रोजगार के अवसर और भी कम हो रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक विदेशी दल का अनुमान है कि इस देश में 7 करोड़ लोग बेरोजगार हैं या आंशिक रूप से बेरोजगार हैं। अतः यह मंत्रालय भूमिहीन श्रमिकों के लिये कोई योजना क्यों नहीं बनाता तथा इस कार्य के लिये एक पृथक अनुभाग क्यों नहीं खोलता ?

क्या मंत्री महोदय ने योजना आयोग को सुझाव दिया है कि जब वे रोजगार दिलाने के काम में बुरी तरह असफल हो गये हैं तो वे रोजगार दिलाने के लिये योजना क्यों नहीं बनाते ? क्योंकि ये बेरोजगार व्यक्ति देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति हैं ? मंत्री महोदय या इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें या उसे अस्वीकार करने के कारण बतायें।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास का मुख्य लक्ष्य रोजगार की व्यवस्था करना नहीं, बल्कि देहाती क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने पर ध्यान देना है। परन्तु हमने वर्ष के कुछ समय बेरोजगारी तथा आंशिक बेरोजगारी को दूर करने के लिये विशिष्ट परियोजनाएं आरम्भ की हैं। इस उद्देश्य से तीसरी योजना में जनशक्ति कार्यक्रम चलाया गया था परन्तु दुर्भाग्य से हमारे पास पूरे संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

श्री नन्दकुमार सोमानी : रोजगार की व्यवस्था करने में ही नहीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के सभी सम्बन्धित क्षेत्रों में यह सामुदायिक विकास विभाग असफल रहा है। स्व० लाल बहादुर शास्त्री ने इस समस्या को महसूस किया था और यह आदेश दिया था कि 6 महीने के भीतर खण्ड विकास अधिकारियों से जीपें वापिस ले ली जायें। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस आदेश का क्या हुआ और क्या इस विभाग द्वारा किये गये कार्य का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : सामुदायिक विकास का प्रयोजन देहातों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाना है। इस उद्देश्य के लिये एक कार्यक्रम बनाया गया है और हम इस कार्यक्रम को विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। यह सच नहीं है कि सामुदायिक विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन अभी नहीं किया गया। यह मूल्यांकन तो होता रहता है। विभिन्न अध्ययन दलों ने इनका अध्ययन किया है और योजना आयोग में भी समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता रहा है। इनसे पता चलता है कि सामुदायिक विकास द्वारा काफी अच्छे कार्य किये गये हैं।

मैं यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास साईकिल आदि चला कर नहीं चलाया जा सकता। हम इस कार्य के लिये नयी जीपें नहीं दे रहे हैं और जो जीपें पहले दी जा चुकी हैं वे खण्ड एजेंसियों के ही पास हैं। हमने उनसे पूछा है कि आवश्यकता पड़ने पर नयी जीपें खरीदने के लिये क्या वह स्थानीय संसाधनों से धन प्राप्त कर सकते हैं।

श्री स० कुण्डू : देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी भयानक रूप से बढ़ रही है। दुर्भाग्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम लोगों को रोजगार दिलाने के विचार से नहीं बनाया गया। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय सामुदायिक विकास को फिर से संगठित करेंगे जिससे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमारा इरादा सामुदायिक विकास का पुनर्गठन करने का है। मद्रास में शीघ्र ही मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है और वहां इस सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा और मुझे आशा है कि विभिन्न राज्यों में किये गये परिवर्तनों पर सम्मेलन द्वारा ध्यान दिया जायेगा।

सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगाना है। इन गतिविधियों में रोजगार दिलाना भी सम्मिलित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जन-शक्ति परियोजना चलायी गई है। इसमें लगभग 1000 खण्ड सम्मिलित किए गये हैं और कई प्रकार की गतिविधियां आरम्भ की गई हैं। इन गतिविधियों में लगभग 824 लाख जनदिनों के लिये काम उपलब्ध है। इस प्रकार इन गतिविधियों में रोजगार का पक्ष भी विद्यमान है।

श्री चेंगलराया नायडू : सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य देहातों का विकास करना ही नहीं अपितु नौजवान व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करना भी है। क्या इस योजना की असफलता के लिये योजना आयोग की दोषपूर्ण योजना उत्तरदायी नहीं है ? क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग ने अपना विकास कर लिया है परन्तु सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में बिल्कुल विचार नहीं किया ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह ठीक है कि इस समय संसाधनों के अभाव के कारण हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह भी ठीक है कि योजना आयोग अथवा वित्त मंत्रालय ने हमारी मांग को शतप्रतिशत कभी भी स्वीकार नहीं किया है। परन्तु पिछले दो वर्षों में हमें अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है। मेरे विचार में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बाद कुछ स्थिति स्पष्ट होगी।

श्री दत्तात्रय कुण्टे : सामुदायिक खण्डों में कार्य अधिक शीघ्रता से करने के लिये क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार का उन्हें हेलीकाप्टर देने का कब तक विचार है ?

श्री कन्डप्पन : क्या मैं पूछ सकता हूं कि देहाती जनशक्ति कार्यक्रम में अब तक कितना धन खर्च किया गया है और क्या इस कार्यक्रम को कारगर ढंग से चलाने के लिये उसका मूल्यांकन किया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास विभाग देहाती औद्योगीकरण के कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिये उद्योग मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करेगा ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : अब तक हमने लगभग 535 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं का हिस्सा सम्मिलित है। जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को शायद पता होगा कि बहुत से क्षेत्र में हमारे औद्योगिक विस्तार अधिकारी हैं और वे निश्चय ही उन लोगों का मार्ग-दर्शन करते हैं और स्थानीय शिल्पियों को उद्योग चलाने के लिए सहायता देते हैं।

Shri Bhola Nath : The question of unemployment has been referred into this question but the services of R. A. S. officers have been done away within 232 blocks in Rajasthan which has resulted in large unemployment. I want to know the steps proposed to be taken by the Government in this respect ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैंने बताया है कि सामुदायिक विकास के भविष्य का स्वरूप अभी निर्धारित किया जाना है और इस काम के लिए शीघ्र ही मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

होगा । सभी राज्यों में साधनों की समस्या है और यदि राज्य सरकारें इसका उत्तरदायित्व सम्भालने के लिए तैयार हों तो निश्चय ही वे सभी लोग जो सामुदायिक विकास में लगे हुए हैं, उन्हें उसी कार्य में लगाए रखा जा सकता है।

श्री पीलु मोडी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मंत्रालय में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा इस बात का मूल्यांकन किया जाता हो कि जितना धन खर्च किया गया है उससे समुदाय को जितना लाभ होना चाहिये था, वह हुआ है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मूल्यांकन का यह कार्य साथ-साथ चलता रहता है। यह कार्य योजना आयोग ने भी किया है, हमारे मंत्रालय ने भी किया है और फिर प्रतिवेदन प्रकाशित किये गये हैं । माननीय सदस्य ये प्रतिवेदन पढ़ सकते हैं ।

Shri B. N. Kureel . Whether it is a fact that when the block touches the third stage. they do not get any grant and the staff have to sit idle.

श्री एम० एस० गुरपदस्वामी : मैंने पहले ही बता दिया है कि संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकारें कर्मचारियों को पर्याप्त काम देने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं ।

Shri Gulam Mohammed Bakshi : I want to ask the Hon'ble Minister as to whether he is satisfied with the work of Community Development ? It may be pointed out that evaluation of the working of community Development has not been made. I would like to know whether Hon'ble Minister is in a position to say that there has been some improvement in the villages as a result of this huge expenditure ?

The second thing, I want to ask is that how it has affected the administrative set up ? In fact it is a social problem but Government have failed to achieve the object for which this Department was set up. In view of this I want to ask whether Hon'ble Minister is satisfied with the working of this Department ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : It is true that evaluation of working of Community Development has been made and a Report has been published. I, however, do not feel any hesitation in confessing that the results are not in accordance with our expectations. It was contemplated that this work will be done by local endeavour and with the help of local resources. That has also not been possible. Now the staff is there but we do not get money from the Government. The result is that no work is being carried. In view of this position we have decided to think about Community Development afresh. We have, therefore, convened a conference of the Chief Ministers. We can take a decision only in consultation with the State Governments because ultimately they have to carry out this work.

Shri Gulam Mohammed Bakshi : I would like to know whether he is prepared to include a parliamentary commission in the Chief Minister's Conference ?

Shri Jagjiwan Ram : I am not prepared to do so.

श्री तिरुमल राव : भली प्रकार चर्चित तथा प्रायः संगत ढंग से अमान्य, सामुदायिक विकास योजनाओं के बारे में, मंत्री महोदय, मुख्य मंत्रियों के होने वाले सम्मेलन पर बहुत आशा

लगाये बैठे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार के पास राज्य सरकारों अथवा मुख्य मंत्रियों की ओर से कोई ब्योरा आया है जिनमें यह कहा गया है कि यह कार्यक्रम असफल हो चुका है ? हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि कुछ राज्यों ने लिखा है कि सामुदायिक विकास योजनाएं असफल रही हैं। क्या आपको ऐसे ब्योरे प्राप्त हुये हैं, यदि हां, तो किन-किन राज्यों से ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : किसी राज्य ने हमें नहीं कहा है कि यह असफल हैं :

श्री जगजीवन राम : इसके अतिरिक्त, माननीय सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिये कि सामुदायिक विकास तथा इन क्षेत्रों के विकास का दायित्व राज्य सरकारों पर है, हम पर नहीं। अतः इनको जारी रखने, परिवर्तित करने अथवा इनका नवीनीकरण करने के लिये राज्य सरकारों से सलाह लेनी होती है क्योंकि उन्होंने ही इसे कार्यान्वित रूप देना है।

Shri Balraj Madhok: I welcome the Hon. Minister confessing that the Community Development Programme has not been successful. It is also good that he has called a conference for a reconsideration. I want to know whether the Government has established any Agro-Industries in Community Development Blocks, in view of report given by the committees appointed in this regard by different States e. g. Punjab and others ; that most of the money said to have been spent on Community Development, has actually been spent on either the salaries of the staff members—Government's own men—or in connection with examining the unemployment problem.

Shri Jagjiwan Ram: I do not expect at least a responsible Hon. Member to say that this programme has been entirely a failure.

Shri Balraj Madhok: I had asked whether you have established any Agro-Industries.

Shri Jagjiwan Ram: Let me reply first. As stated, the committtees have examined it and it has been evalued also. Evaluation report is available in the Library. Hon. Member.....

Shri Balraj Madhok: I have read it.

Shri Jagjiwan Ram: Let the Hon. Member read that once again. He will secure more information. Now he says how long would this hoax last. How can I make him under stand that it is the responsibility of State Governments? If he wants it to be stopped or carried on with any modifications, then, this all is to be done by the State Governments. Why should the Hon. Member believe that only we are very anxious to execute those programmes?

Shri Balraj Madhok: You stop them.

Shri Jagjiwan Ram: They can be stopped but it cannot be done here only. Everything is decided in consultation with the State Governments. But the Hon. Member considers all this a hoax.

मध्य प्रदेश में नलकूपों की खुदाई का कार्यक्रम

+

*1293. **श्री नाथूराम अहिरवार :**
श्री लाखन लाल गुप्ता :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री अ० सिंह सहगल :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 7000 कम गहरे नलकूपों की खुदाई के अपने कार्यक्रम के सम्बन्ध में, जिसके लिये उनका मंत्रालय भी विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिये सहमत हो चुका है, अपेक्षित आयातित बरमों (रिगों) की अपनी आवश्यकता के बारे में उनके मंत्रालय को सूचित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से बरमों (रिगों) का आयात किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित किस्म के बरमें देश में उपलब्ध नहीं होंगे, वह भी सीमित मात्रा में मार्च, 1969 के पहले ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डी० जी० टी० डी० (प्रौद्योगिक विकास महानिदेशक) को ये हिदायतें देने का है कि वह थोड़े से बरमों के आयात के विषय में मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध स्वीकार कर ले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां । मध्य प्रदेश सरकार ने 5 डाइरेक्ट रोटेरी-कम-डाउन दि होल रिगों के आयात के लिये 30 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की निर्मुक्ति का अनुरोध किया है ।

(ख) अमेरिका

(ग) और (घ). देशीय बाजारों में उपर्युक्त प्रकार के रिग अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः महा-निदेशक तकनीकी विकास को स्वदेशी दृष्टिकोण से इनके आयात के लिये सहमत होने की प्रार्थना की गयी है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : It is mentioned in the statemet that the Central Government has permitted the Government of Madhya Pradesh to make only five rigs whereas the M. P. Government has planned to instal 7,000 tube-wells and the Central Government has given an assurance to afford the full cost. Madhya Pradesh is a big State which suffers from shortage of irrigation facilities. In view of this, would the Central Government consider about permitting the M. P. Government to make more rigs ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह विदेशी मुद्रा उन बरमों के बारे में है जो देश में उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न प्रकार के दूसरे बरमें देश में ही उपलब्ध हैं तथा उन्हें खरीदने के लिये राज्य सरकार स्वतंत्र है।

Shri Nathu Ram Ahirwar: Is the Hon. Minister aware that the Prime Minister had visited Rumania and the Rumanian Government had offered to give about 500 rigs to the Indian Government? They were prepared to give more rigs when asked for and the payment might be made in rupees. Is the Government thinking over it?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मध्य प्रदेश सहित समस्त राज्य सरकारों की छोटी सिंचाई योजनाओं के प्रति हमारी पूरी हमदर्दी है। परन्तु जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, यदि बरमें देश में ही मिल जाते हैं तो स्वभावतः ही हमें उसी प्रकार के बरमों का आयात नहीं करना चाहिये।

Shri A. S. Saigal: The Hon. Minister has just now stated that he has sanctioned Rs. 30 lakh to make five rigs. But I want to know whether you would please provide more funds to the M. P. Government when the Governments of Rumania and the U.S.S.R. are prepared to supply more rigs?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं पहले ही इस बात का उत्तर दे चुका हूं।

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar): Since Madhya Pradesh is a tribal area and the Government has sanctioned a scheme for the provision of drinking water specially for the tribal areas; and also in order to show generous attitued towards S.V.D. Government, will the Government consider with maximum favour the point concerning rig import? In view of the Hon. Minister's statement that the indigenous manufacture is well enough to meet our requirements, I would like to point out that only that type will be imported which is not available here. Will you, therefore, accede to the demands of Madhya Pradesh?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : दूसरे भाग का तो मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। पीने के पानी के बारे में जो प्रश्न है वह इसमें से उत्पन्न नहीं होता।

Shri K. N. Tiwary: The Hon. Minister, in his reply, has said that other States also need rigs. I want to know how much is the demand of rigs from other States, how much foreign exchange will be needed and how much has been sanctioned?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि वह सूचना दें तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा।

Shri Maharaj Singh Bharati: This question relates to less deep tube-wells. In western U. P., thousands of people instal less deep tube-wells without rigs. I want to know whether Government has tried to withdraw rigs from those areas where people do not need them since they can easily have a boring of 150-200 feet by old methods; and to use those rigs at other places?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मामले में राज्य सरकार का कोई एकक नहीं था। वहां एक एकक स्थापित करने में हम उनकी

सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण एकक तो उन्होंने पहले ही स्थापित कर लिया है और हमने कह दिया है कि समन्वेषी नलकूप संस्था के एक एकक को वहां जाकर राज्य सरकार की सहायता करनी चाहियें।

Shri Maharaj Singh Bharati: In Western U. P., thousands of people can construct shallow tube-wells without rigs. Have you tried to use those unused rigs at other places in Madhya Pradedesh?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मध्य प्रदेश में ऐसा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Shashi Bhushan Bajpai: We have importeds rigs and I know that 50% of the rigs have been lying out of order. On the eve of Gandhi Centenery Celebrations, I came to know about a programme under which these rigs were to be put into work again so that many areas could get water and these rigs were made use of. I want to know whether the Government is thinking to get these rigs repaired, and also to undertake the digging work, by setting up a Drinking Water Corporation? Do you propose to take certain steps to ensure that these arrangements are done at all the places?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि कोई बरमें पुर्जों की कमी के कारण काम नहीं कर रहे हैं, तो हम राज्य सरकार की सहायता करने को तैयार हैं, यदि वे पुर्जे वहां उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु पीने के पानी के बारे में इससे प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

Shri O. P. Tyagi: Land in Madhya Pradesh is very fertile, but there are rocks. underneath and it is, therefore, impossible for the farmers to dig wells. If the provisions, are made there for rigs, wells, tube-wells etc.; a large quantity of food grains can be produced. Have you tried, on Government level, to crush those rocks and bring up water through tube-wells?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं यह स्वीकार करता हूं कि मध्य प्रदेश नलकूपों के विकास में काफी कार्यक्षम है। हम राज्य सरकार की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु मूलतः यह राज्य सरकार का ही काम है कि वह अपने यहां बड़े पैमाने पर एककें स्थापित करें।

Shri Nitiraj Singh: Madhya Pradesh is such a part of the country where rivers flow on all sides and these rivers irrigate 47 lakh acres of land in other States. The river-dispute also is yet to be settled. I do want that the water should go to other States but would the demands of rigs from M. P. be fulfilled so that irrigation facilities are available there also?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका ध्यान रखेंगे।

विकलांग खनिकों का पुनर्वास

+

*1294. **श्री भगवान दास :**

श्री प० गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 21 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4705 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग खनिकों की भी समस्याओं तथा उनके पुनर्वास के बारे में विचार

करने के लिये खान सुरक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में बनाई गई समिति द्वारा नियुक्त उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या शिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Shri Bhagaban Das : Is it due to the pressure from the owners that the report has not been submitted so far ?

श्री स० चु० जमीर : पहली बैठक 12 जनवरी, 68 को हुई थी तथा दो उप-समितियां बनाई गयी हैं । वे विभिन्न सम्बन्धित संगठनों से जानकारी इकट्ठी कर रही हैं । इसीलिये समय लग रहा है ।

Shri Bhagaban Das : When this report will be received ?

श्री स० चु० जमीर : निर्देश पदों में वर्णित विषय की व्यापकता को देखते हुए यह बताना बड़ा कठिन है ।

Shri Prakash Vir Shastri : With regard to such labourers whether the Government have collected this information that their number is highest in Bihar State ? If so, whether any political aspect has come in the way of Central Government's efforts towards rehabilitating or providing livelihood to them due to which the Central Government is finding it difficult to take any decision ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : राजनीतिक बाधाओं के आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । वास्तव में उन्होंने दो उप-समितियां नियुक्त की हैं । उन्होंने प्रश्नावली भेजी है और आंकड़े (डेटा) इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए । क्योंकि निर्देश पद बहुत विस्तृत हैं इसलिये देरी हो रही है । देरी का कोई राजनीतिक कारण नहीं है ।

इसराइल में "ब्लास मेथेड ड्रिप" सिंचाई पद्धति

\+

*1298. **श्री समर गुह :**

श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इसराइल में "ब्लास मेथेड ड्रिप" सिंचाई पद्धति की खोज के बारे में समाचार की ओर दिलाया गया है जिससे उस देश में सब्जियों का उत्पादन 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ा है ।

(ख) क्या इस तरीके से किस्म और उत्पादन दोनों में उन्नति हुई है तथा सब्जियों द्वारा ग्रहण किये गये पानी को 50 प्रतिशत परिरक्षित रखने में यह तरीका सहायता पहुंचाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार "ब्लास मेथेड ड्रिप" प्रणाली के तरीके का तथा इस तरीके को भारत में लागू करने की व्यावहारिकता की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये भारतीय कृषि विशेषज्ञों को इसराइल भेजने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। "न्यूज फ्राम इजराइल" के 15 मार्च, 1968 के अंक में प्रकाशित "इजराइल में प्रारम्भ की गई एक ड्रिप सिंचाई पद्धति" शीर्षक लेख की ओर इस विभाग का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) इस पद्धति से सिंचाई के पानी को विशिष्ट धरातल और भूमि अवस्थाओं के अन्तर्गत ही परिरक्षित रखने की सम्भावना है, परन्तु यह अत्यधिक महंगी है।

(ग) आजकल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी इस पद्धति की भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत उपयुक्तता की प्रारम्भिक जांच के बाद, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता हैं।

श्री समर गुह : मैंने अपने प्रश्न के पिछले अंश में विशेष रूप से सरकार से सभा को यह सूचित करने के लिये कहा है कि क्या उनका इस पद्धति की जांच करने के लिये एक अध्ययन दल भेजने का प्रस्ताव है जिस पद्धति से अच्छी किस्म, अच्छी उपज, भूमि संरक्षण तथा जल की बचत आदि कई लाभ होने का दावा किया जाता है तथा इसकी जांच करने के लिये कि क्या वह पद्धति भारत के लिये व्यवहार्य होगी, इसका उत्तर क्या है ?

एक माननीय सदस्य : सुनने में सहायक यंत्र ठीक कार्य नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर ध्यान देंगे तथा इसे ठीक करेंगे।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस विशेष सिंचाई पद्धति के सम्बन्ध में हमें कुछ जानकारी है, यह बहुत खर्चीली है, प्रति एकड़ व्यय 3000 रुपये तथा 7500 रुपये के बीच आता है, हो सकता है यह इजराइल की विशेष परिस्थितियों के लिये ठीक हो। वास्तव में, हमारे पास भी राजस्थान जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां हम इसका कुछ प्रयोग कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि इसकी व्यवहारिकता की प्रारम्भिक जांच के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस समस्या पर विचार कर सकती है।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने हमें सूचना दी कि उन्हें केवल इजराइल सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी विज्ञप्ति (बुलेटिन) द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई। उसी समय उन्होंने हमें, अपने निष्कर्ष दिये कि यह बड़ी लागत वाली है, क्या यही सैद्धान्तिक जानकारी है जो उन्होंने तत्संबंधी पुस्तिकाओं से एकत्र की ? यदि सरकार इसी समय कोई दल भेजने को प्रस्तुत नहीं है

तो क्या वे कुछ सर्वोदय दल के लोगों को भेजने के लिये सहमत होंगे जो कि इस सम्बन्ध में इजराइल जाने के लिये तथा भारतीय परिस्थितियों में इस पद्धति की व्यवहारिकता और अनुकूलता का अध्ययन करने के लिये बड़े अभिलाषी हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं नहीं सोचता कि इस विषय पर इस समय कुछ कहा जा सकता है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में इजराइली दूतावास है क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वे इस स्थिति में होंगे कि उस दूतावास से इस ड्रिप सिंचाई पद्धति के बारे में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और तब उसे यहां प्रयोग करने का प्रयत्न करें ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले ही स्वीकार किया है हमारे पास बहुत से तकनीशियन (शिल्पी) तथा विशेषज्ञ हैं जो इस विषय पर कुछ न कुछ जानते हैं और मैं नहीं सोचता कि वह स्थिति आ गई है जबकि इस सम्बन्ध में तुरन्त ही इजराइल से कुछ प्राप्त किया जाय।

श्री विक्रम चन्द महाजन : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि इस पद्धति की लागत प्रति एकड़ 3000 रुपये तथा 7000 रुपये के बीच होगी, बात यह है कि इस पद्धति से उपज बढ़ती है तथा पानी की सप्लाई की संरक्षा भी होती है, हमारा मंत्रालय अपनी नई पद्धतियां बनाने में असमर्थ है। यह अच्छी पद्धतियों की नकल करना भी स्वीकार नहीं करता जिनका कि अन्य देशों में अनुसरण होता है। इससे सरकार को क्या हानि होगी यदि इस पद्धति का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया जाय और एक दल उस देश में भेजा जाय जिससे हम एक अच्छी पद्धति की नकल कर सकें जो उस देश में अपनाई जाती है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : संसार के किसी भी भाग में होने वाली गतिविधियों से हम अपनी आंखें नहीं मूंद रहे हैं। जो भी लाभदायक गतिविधि होगी हम उसकी जांच करने का तथा उसका उपयोग करने का प्रयत्न करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। जब तक हम भारतीय परिस्थितियों में इसकी व्यवहारिकता को न देख लें तब तक हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते।

Wage Board for Bidi Industry

*1299. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Wage Board for the workers engaged in bidi industry ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

(b) The wage rates of Bidi workers have been fixed under the Minimum Wages Act, 1948 and these are statutorily enforceable. The Act contains provisions for review and revision of wages. It is considered that this industry is not suitable to be dealt by a non-statutory Central Wage Board.

Shri Ramavatar Shastri: It appears from the answer of the Hon. Minister that the Government are not prepared to set up a Wage Board for the workers engaged in bidi industry. He is aware of the fact that there are lacs of workers in the country engaged in bidi industry among which little boys and women are also included. He has said that there is Minimum Wage Act for the workers engaged in bidi industry, but I would like to know whether that Act is also enforced in the States, if not, what is the method with them to enforce it so that the workers engaged in bidi industry may get their pay according to this Act.

Shri Hathi : It is under the control of the State Governments to enforce this Act and they have enforced it. One mouth ago we convened a meeting in which all the states were told to enforce this Minimum Wage Act.

Shri Ramavatar Shastri : Hon. Minister has stated that this Act is enforced. I would like to know whether the Government are in a position to inform the House that what rates have been fixed for the workers engaged in bidi industry in different states and actualy what wages they are getting ?

Shri Hathi : This was discussed in the meeting of all the States which was conducted by us. We asked for facts from all the States in this respect. It is a fact that there are different rates for workers engaged in bidi industry in every State. In some States it is Rs. 3/- and in some it is Rs. 2/- and somewhere it is Rupee one and somewhere even below Rupee one. I will place all these figures after collecting.

Shri A. S. Saigal : In some parts of Madhya Pradesh, Orissa and Maharashtra the works in the leaves of bidi and bidi is done in a large scale. But the workers do not get their wages according to the rules of the Wage Board. I want to know whether it is a fact ?

Shri Hathi ; The Hon. Member is on the right but we have not set up any Wage Board. As it has been stated in the answer, the wages of the workers engaged in bidi industry are fixed according to the Minimum Wages Act.

Shri Jharkhandey Rai : The Hon. Minister has stated that they convened a meeting of all the States and they have got the information that there is a difference in the rates of wages in different States. The difference is not only in the wage rates of two States but the difference is there even in different parts of the same State. There is difference in the wage rates in different parts of a city. When the Hon. Minister admits this difference then what is the difficulty in formulating an equal policy for the whole country by setting up a National Wage Board ?

Shri Hathi : In bidi industry, five or ten persons work at a place, they work at their homes and among them children are also included. This depends upon the States. It is very difficult to do anything so long all the State do not come together.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

+

*1300. **श्री रमानी :**

श्री अब्राहम :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 21 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4673 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है ।

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस पर कब तक पूर्ण रूपेण विचार कर लिये जाने की संभावना है तथा विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) इसकी घोषणा 29 मार्च, 1968 के सरकारी संकल्प में की गई है, जो भारत के राज-पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 1968 के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रमानी : इस प्रश्न में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है, प्रथम विशेषज्ञ समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संकलन के प्रश्न पर विचार किया और जब इसकी सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया तो इन सिफारिशों की छानबीन के लिए दूसरी समिति स्थापित की गयी । मैं जानना चाहता हूं सरकार ने ऐसी कार्यवाही क्यों की ?

श्री हाथी : यह दूसरी समिति नहीं है । यह चार राज्यों के लिए थी । एक-व्यक्ति-समिति की नियुक्त स्वतंत्र रूप से कानपुर, कलकत्ता, मंगलौर तथा मैसूर की जांच करने के लिये की गयी थी ?

श्री रमानी : श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत जो ब्यूरो है उसके विरुद्ध एक शिकायत थी कि यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करने का तथा इसे निर्धारित करने का प्रयत्न कर रहा था, जो दूसरी समिति गठित की गयी थी उसमें ब्यूरो की ओर से भी प्रतिनिधि थे । सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय कैसे किया गया जबकि ब्यूरो के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत थी ?

श्री हाथी : यह समिति जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी । यह समिति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियुक्त नहीं की गयी । पहली समिति की नियुक्ति 1949 में हुई । कुछ वर्षों पश्चात् 1958-59 में पुनः एक समिति नियुक्ति की गयी । यह स्वाभाविक है कि कुछ समय बाद इसमें कुछ परिवर्तन आ गया होगा । इसलिए इस समिति से उन बातों की समीक्षा करने को भी कहा गया ।

जम्मू-कश्मीर में गैर-कश्मीरी भारतीय नागरिक

+

*1301. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर में गैर-कश्मीरी भारतीय नागरिकों को नागरिकता के समान अधिकार देने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे गैर-कश्मीरी भारतीय नागरिक राज्य विधान सभा के निर्वाचन में भाग लेने के हकदार नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्थापना को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) पिछले साधारण निर्वाचनों में ऐसे कितने मतदाताओं को राज्य विधान सभा के निर्वाचन में मत देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) 21,411

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a strange thing that the non-Kashmiri Indian citizens who are living in Kashmir for the last many years, even for the last ten or fifteen years, are not given the right to take part in elections to the State Assembly, but they can participate in the elections to the Parliament. This situation is nowhere except Kashmir. Suppose a person is living in Delhi and if his vote is valid, he has a right to vote in the elections to Corporation, Metropolitan Council and the Parliament. I would like to know why there is such a discrimination in Kashmir and how the Government want to remove it so that anybody who becomes a voter gets the right to vote in the elections to the State Assembly as well as Parliament ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : It is well known that the elections to Jammu and Kashmir Assembly are held under Jammu and Kashmir Peoples Representatoin Act and only the permanent residents of the State are the voters under this Act. The Government of India can not do anything in this matter unless Kashmir is empowered under article 370 of the Indian constitution to enact such laws and such proposal is received from that State and this Act is amended. It is only the State Assembly which can take any decision in this regard.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

मध्य प्रदेश से चने के निर्यात पर प्रतिबन्ध

अ० सू० प्र० संख्या 22. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र से एक आदेश प्रसारित किया है जो केन्द्रीय सरकार की चना निर्यात करने की घोषित नीति के विपरीत है;

(ख) क्या उपर्युक्त प्रतिबन्धों से केन्द्रीय सरकार के निदेशों की अवहेलना होती है;

(ग) क्या ऐसा विभिन्न निधियों के लिये धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से किया गया है;

(घ) इस मामले में अपने निर्णय को लागू करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र ने 6-4-1968 में एक समाचार प्रसारित किया कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य से चने के निर्यात को विनियमित करने का निर्णय किया था।

(ख) खाद्यान्नों के संचलन पर प्रतिबन्ध केवल अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन मिले अधिकारों के अन्तर्गत लगाए जा सकते हैं। राज्य सरकार भारत सरकार की विशिष्ट सहमति के बिना संचलन पर कोई प्रतिबन्ध लगाने के लिये सक्षम नहीं है। अतः यदि प्रतिबन्ध लगाए गए हैं तो वे लागू नहीं किये जा सकते हैं और भारत सरकार के निदेशों का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने इसका खण्डन किया है।

(घ) मध्य प्रदेश चना (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, 1967 रद्द कर दिया गया है और केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा परिवहन संबंधी प्रतिबंध) आदेश, 1967 में उपयुक्त संशोधन किये हैं ताकि मध्य प्रदेश राज्य से चना का संचलन खोला जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने यह अनुरोध किया था कि संचलन पर प्रतिबन्ध लगे रहने चाहिये। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है और मध्य प्रदेश सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है। रेलवे प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे मध्य प्रदेश में स्टेशन मास्टरों को ये अनुदेश भेजें कि वे राज्य से देश के किसी स्थान को भेजने के लिये खुले तौर पर चना बुक करें।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : केन्द्रीय सरकार के 28 तारीख के निर्णय के बाद मध्य-प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसे भोपाल रेडियो से प्रसारित किया गया। इसके बावजूद भी उस आदेश के अनुसरण में उन्होंने राज्य से बाहर चना ले जा रही ट्रकों को रोक लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार :

'About 50 trucks of Rajasthan, which were held up in Sendhawa in district Chindwara on Madhya Pradesh—Maharashtra border, have been released today after 15

days in pursuance of the orders of Rajasthan Government. The drivers of these trucks carrying gram from Rajasthan to Maharashtra were prosecuted and the District Magistrate sentenced them to punishment.

एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार :

"मध्य प्रदेश सरकार तहसील के बाहर चना लाने ले जाने पर एक दो दिन में प्रतिबन्ध लगायेगी जो कि केन्द्र द्वारा पिछली 28 तारीख को मध्य प्रदेश के चना जौ निर्यात नियंत्रण आदेश के रद्द करने के बदले में होगा। आज यह अधिकारी क्षेत्र से मालूम हुआ है कि इस आदेश के अन्तर्गत राज्य के बाहर इन वस्तुओं को निर्बाध रूप से लाना ले जाना आवश्यक है।

मध्य प्रदेश सरकार, राज्य के खाद्यान्न लाइसेंस आदेश के उपबन्धों को (जिसके अन्तर्गत अनाज को बेचने, खरीदने और भंडार की व्यवस्था को विनियमित करने की व्यापक शक्तियां कलक्टरों को मिली हुई हैं) प्रतिसंहृत करने का कदम उठा रही है जबकि उसे पूरी तरह मालूम है कि इस मामले में उसका कानूनी आधार नहीं है।"

यह देखते हुए क्या सरकार खाद्यान्न लाइसेंस आदेश में, जिसके अन्तर्गत ये सब बातें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही हैं, संशोधन करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कुछ ट्रकों को रोक लेने के बारे में हमने मध्य प्रदेश सरकार से लिखा पढ़ी की और राज्य सरकार इन ट्रकों को छोड़ने के लिए सहमत हो गई है। जहां तक कानूनी उपबन्धों का सम्बन्ध है, भारत सरकार के आदेश बहुत स्पष्ट हैं और वे सभी राज्य सरकारों पर लागू होते हैं और लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले प्रत्येक आदेश के लिए केन्द्रीय सरकार की विशेष सहमति की आवश्यकता होती है। यदि कोई राज्य सरकार ऐसे आदेश के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति नहीं लेती तो वह आदेश अवश्य ही विधि बाह्य हो जायेगा।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मध्य प्रदेश सरकार दाल या भूसी को बाहर भेजने पर 5 रुपये प्रति क्विंटल और चने को बाहर भेजने पर 30 रुपये प्रति क्विंटल वसूल करती रही है और इस प्रकार उसने ढाई करोड़ रुपये से भी अधिक रकम इकट्ठी की है। क्या मंत्री महोदय इन कुरीतियों को रोकने के लिए कोई कदम उठायेंगे और लोगों को यह धन वापस करने का राज्य सरकार को आदेश देंगे क्योंकि आजकल व्यापारियों को 30 रुपये प्रति बोरा कम मिल रहा है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अल्प सूचना प्रश्न के भाग (ग) में यह पूछा गया है कि क्या यह कार्यवाही विभिन्न निधियों के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से की गई है। हमने इसके बारे में राज्य सरकार से पूछा और उसने बताया कि राज्य सरकार ने इससे इन्कार किया है।

Shri Y. S. Kushwah : Will the Hon. Minister be pleased to state that the Madhya Pradesh Government had urged for permission to export gram on permit basis instead of

exporting openly on some conditions ? I want to know the date when they sent such letter to the Centre as well as the date on which the Central Government replied to the Madhya Pradesh Government. What were the circumstances under which they asked such permission ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पत्र की तारीखें 8/14 हैं जिसका अर्थ यह है कि वह 8 तारीख को लिखा गया होगा और 14 को डाक में डाला गया होगा । खाद्य तथा कृषि मंत्री को यह पत्र 16 तारीख को मिला और उसका उत्तर 17 तारीख को दे दिया गया ।

Shri Y. S. Kushwah : I have asked about the circumstances under which they had sought such permission.

श्री अन्नासासिब शिन्दे : उस पत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आदेशों के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति मांगी थी । मध्य प्रदेश सरकार का कहना था कि यह उत्पादकों के हित में रहेगा । पर हम इस विचार से सहमत नहीं हैं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : राज्य मंत्री ने जो कानूनी स्थिति बतायी कि मोटे अनाज के लाने ले जाने पर कोई भी राज्य सरकार प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती है, उसे देखते हुए क्या मंत्री महोदय को मालूम है चने के अलावा ज्वार भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आती है और महाराष्ट्र राज्य के बाहर ले जाने पर ही प्रतिबन्ध नहीं है वरन् किसानों द्वारा खुले बाजार में उसे बेचने पर भी प्रतिबन्ध है ? क्या मैं यह मान लूं कि ये प्रतिबन्ध केन्द्रीय सरकार की सहमति से लागू हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न विशेष रूप से चने के बारे में है । महाराष्ट्र से ज्वार केन्द्रीय सरकार की सहमति से ले जाया गया है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : यह सच है कि इसके लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति थी, पर क्या यह उनके अपने इस निर्णय के अनुसार भी था कि मोटे अनाज का लाना ले जाना निर्बाध होगा ?

Mr. Speaker : It is a good information.

Shri Kanwar Lal Gupta : Madhya Pradesh Government have given remission to the farmers in the land revenue and have imposed a small levy on export of their produce. The money so recovered will be spent on the welfare of farmers. Will the Hon. Minister be pleased to state the reasons given by Madhya Pradesh Government as to why they are going to take such steps and the reply given by the Government of India thereto ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : It is an interesting question asked by the Hon. Member. He believes on the one hand that movement of all kinds of foodgrains should be free and on the other hand his partymen, who are in power in Madhya Pradesh are imposing such restrictions although they are not successful in imposing such restriction since we have not allowed them to do so.

Shri Nathu Ram Ahirwar : Is Government aware of the fact that last time gulabi Chana was exported at Rs. 90 per quintal from Madhya Pradesh and was sold in Bombay at

Rs. 235 per quintal and in this manner farmers were robbed. Even today gram is being sold at Rs. 90 to 95 per quintal in Uttar Pradesh and while in Madhya Pradesh it is being sold at Rs. 70 per quintal. Government is allowing the traders to export gram and farmers are being robbed. What action Government propose to take in this connection ?

Shri Jagjiwan Ram : I am not aware of full facts but Madhya Pradesh Government was of the view that the restriction would benefit farmers and we thought that it would not be beneficial to farmers. That is why we advised them that the restrictions would not prove to be useful and we revoked those restrictions.

Shri G. S. Mishra : Are Madhya Pradesh Government taking these measures under sections 8 and 9 of Foodgrain dealers licencing order and if so, will you amend them ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ये नियंत्रण आदेश अत्यावश्यक वस्तु अधिनिमम की धारा 3 (घ) के अन्तर्गत जारी किये गये हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने भी एक स्पष्ट आदेश जारी किया हुआ है :

"राज्य सरकार भी केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति लेकर ही राज्य के बाहर के स्थानों को खाद्य सामग्री के वितरण और विक्रय के बारे में तथा किसी भी खाद्य सामग्री के परिवहन के विनियमन के बारे में उक्त खण्ड (क), (ग) या (ङ) में बताये गये किसी मामले के सम्बन्ध में आदेश जारी करेगी।"

कानूनी स्थिति यह है।

श्री एस० एस० कोठारी : उस तरफ के कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में कुरीतियां बरतने के मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाये हैं। मैं उन्हें स्पष्ट करूंगा। जो कुछ धन इकट्ठा किया गया वह मुख्य मंत्री विकास निधि में चला गया है। नलकूपों के विकास कार्यक्रम के लिए उसे उपयोग में लाया जा रहा है जिससे किसानों का लाभ हो रहा है।

मेरा प्रश्न तो यह है कि वह व्यापारियों को भारी लाभ क्यों उठाने देते हैं और मध्य-प्रदेश सरकार को थोड़ा सा उपकर किसानों के लाभ तथा नलकूप कार्यक्रम के लिये नहीं लगाने देते जोकि इस निधि में जमा होगा ?

श्री जगजीवनराम : पता नहीं माननीय सदस्य सभा में क्यों यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस अप्रत्यक्ष तरीके से पैसा इकट्ठा कर रही है। हमने प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर देते हुए पहले ही बता दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इससे इन्कार कर दिया है। इसलिए नलकूपों आदि का तो प्रश्न ही नही उठता।

प्रश्न काल समाप्त हुआ
Question hour over

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Rickshaw-Pullers

*1289. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the steps taken so far to put an end to the practice of pulling rickshaws with hands in vogue in different cities and towns in the country ;

(b) whether Government propose to constitute a Committee to consider this problem in its entirety on an all-India basis and to make recommendations for providing alternative employment to the rickshaw pullers; and

(c) the time by which Government propose to take action in this regard and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilltation (Shri Hathi) : (a) This is primarily for the state Governments to deal with, but the Government of India have addressed the State Governments on the importance of this matter and have made suggestions from time to time. These are :—

(i) Drawing up a phased programme for the abolition of rickshaw pulling and in the meantime.

(ii) Prescribing suitable regulations governing their conditions of work, medical examination, etc.

(iii) Preventing exploitation by middlemen by encouraging co-operatives of rickshaw-pullers.

The State Governments are taking necessary steps in the light of the conditions obtaining in each State having regard to various factors, e. g. provision of alternative employment to rickshaw pullers and arrangements for alternative conveyance to the poorer sections of the community in Urban and Semi Urban areas, where there is a great demand for cheaper means of communication.

(b) and (c). The problem has already been considered by the Labour Ministers' Conference, Standing Labour Committee etc. and the suggestions made to the State Governments have been as a result of the deliberations of these bodies. There is no proposal at present to constitute a separate **ad hoc** Committee to go into the matter.

खाद्यान्न के बिना रोकटोक लाये ले जाने के उत्तरी जोन क्षेत्रों में राजस्थान को शामिल करना

*1290. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी जोन में जहां अनाज की बिना रोक-टोक लाने ले जाने की अनुमति दी गई है राजस्थान को शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) क्या बिना रोक-टोक वाले जोन में राजस्थान को शामिल करने से इस राज्य में इस समय विद्यमान अभाव की स्थिति को दूर किया जा सकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) खरीफ की अच्छी फसल और रबी की प्रत्याशित अच्छी फसल को देखते हुए राजस्थान में खाद्यान्न की कमी नहीं है । अत: राज्य को अबाध संचलन क्षेत्र में सम्मिलित कर समस्या का समाधान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बैलट (गुप्त मतदान) द्वारा मजदूर संघों को मान्यता देना

*1295. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री प्रभुनारायण सिंह ने उनसे अपने इरादे के सम्बन्ध में सलाह मांगी थी कि वह विधान सभा में एक विधेयक लाना चाहते हैं जिसके द्वारा किसी उद्योग विशेष में मजदूर संघ की अनिवार्य मान्यता की व्यवस्था करनी ही होगी और मजदूर संघ में मजदूरों के प्रतिनिधित्व की सत्यता की जांच करने के लिये बैलेट द्वारा निर्णय की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या सलाह दी गई थी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

'इंडियन एक्सप्रेस' नई दिल्ली द्वारा श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

*1296. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'इन्डियन एक्सप्रेस' नई दिल्ली ने श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को 1 जनवरी, 1967 से क्रियान्वित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को 1 जनवरी, 1967 से क्रियान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली के प्रबन्धक सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सहमत हो,

गये हैं, परन्तु क्रियान्विति की तारीख के बारे में प्रबन्धकों तथा श्रमजीवी पत्रकारों के बीच मतभेद है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है ।

एस० आर० टी० फैक्टरी, बेनियापुकुर (कलकत्ता) में तालाबन्दी

*1297. **श्री पी० राममूर्ति :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस० आर० टी० फैक्टरी, बेनियापुकुर, कलकत्ता ने 16 मार्च, 1968 से तालाबन्दी की घोषणा कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तालाबन्दी को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) प्रबन्धकों ने 16 मार्च, 1968 से कारखाने को पूर्ण और स्थायी रूप से बन्द करने की घोषणा की ।

(ख) प्रबन्धकों के अनुसार, इसका मुख्य कारण श्रमिकों द्वारा जानबूझकर धीमे व अनुशासन विरोधी काम करने के परिणामस्वरूप हुई आवर्ती आर्थिक हानि थी ।

(ग) राज्य समझौता मशीनरी द्वारा सम्बन्धित पक्षों के साथ समझौता कार्यवाही आरम्भ की गई । अन्त में यूनियन ने यह सूचित किया कि उनका सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया है, जिसके अनुसार श्रमिकों ने 5 वर्ष से कम सेवाकाल वाले श्रमिकों के लिये 6 महीने की मजूरी और पांच साल से अधिक सेवाकाल वाले श्रमिकों के लिये 6 महीने और 15 दिन की मजूरी मुआवजे के रूप में लेनी स्वीकार कर ली ।

दिल्ली में खेती

*1302. **श्री बलराज मधोक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में खेती योग्य भूमि में सिंचाई करने की एक योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे इसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार की प्रेरणा पर, दिल्ली प्रशासन ने उपलब्ध पानी और बिजली की सुविधाओं के शीघ्रतम उपयोग के आयोजन के विचार से निम्न प्रारम्भिक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं :

(1) ओखला शोधन संयंत्र के गन्दे पानी से सिंचाई का विस्तार ।

(2) गैर-सरकारी पम्प सैटों और नलकूपों को बिजली उपलब्ध कराने के लिये बिजली की लाइनों का विस्तार ।

(3) भवन निर्माण के लिये अर्जित खाली भूमि पर विभागीय एजेन्सी द्वारा अस्थायी रूप से कृषि करना ।

इन प्रस्तावों पर 8 जनवरी, 1968 को भारत सरकार, दिल्ली प्रशासन और हरियाना सरकार के प्रतिनिधियों की एक सम्मिलित बैठक में विचार किया गया । यह स्वीकार किया गया कि दिल्ली प्रशासन उपर्युक्त मदों (1) और (2) के सम्बन्ध में और दिल्ली विकास प्राधिकरण मद संख्या (3) के सम्बन्ध में भारत सरकार के विचारार्थ विस्तृत योजनायें प्रस्तुत करेंगे । इन योजनाओं की अभी प्रतीक्षा है ।

कोयला खानों में नियुक्त मेडिकल डिप्लोमा प्राप्त चिकित्सक

*1303. **श्री मधु लिमये :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश में कोयला खान संगठन के अन्तर्गत कार्य कर रहे मेडिकल डिग्री डिप्लोमा प्राप्त चिकित्सकों की हालत की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान सी० एम० डब्ल्यू० ओ० के अधीन चिकित्सकों की दो श्रेणियों के बीच किये गये इस भेदभाव की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने चिकित्सा पदों का पुनः वर्गीकरण और क्रमस्थापन करने के लिये कोई योजना बनायी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर): (क) जी हां।

(ख) अधिक ऊंची योग्यताओं के कारण डिप्लोमा-धारियों की अपेक्षा स्नातकों के वेतनमान तथा अन्य सेवा-शर्तें बेहतर हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Rehabilitation of Repatriates from East Pakistan, Burma and Ceylon in Andaman and Nicobar Islands

*1304. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have rehabilitated refugees from East Pakistan, Burma and Ceylon in Andaman and Nicobar Islands ;

(b) if so, their number separately ;

(c) whether some industries have been set up there to provide them employment in addition to allotment of land ;

(d) if so, the nature thereof ; and

(e) the number of persons engaged in the said industries.

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). Of old migrants from East Pakistan 2,861 families were settled in the Andaman and Nicobar Islands between 1949 and 1963 under the old colonization scheme. Thereafter, 455 families of new migrants from East Pakistan and 37 families of repatriates from Burma have been sent to Andaman and Nicobar Islands for resettlement. The new migrants from East Pakistan are being resettled on land and the repatriates from Burma are at present employed as wage-earners at the Rubber Research-cum-Development Station in South Andamans island.

(c) to (e). Some industries have come up in the Islands both in the public and in the private sectors with a view to exploiting the local natural resources primarily forest produce. Mention may be made of saw mills, a match splints factory, plywood factories. A rubber plantation has also been established. Some migrants from East Pakistan and repatriates from Burma who have resettled in the Andaman and Nicobar Islands, have found employment in these industries along with earlier colonisers.

विदेशों से खरीदे गये इलेक्ट्रानिक उपकरण

*1305. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-67 की अवधि में टेलीफोन केन्द्रों के लिये विदेशों से कुल कितने मूल्य के इलैक्ट्रानिक उपकरण खरीदे गये हैं ; और

(ख) क्या टेलीफोन संवाद को बीच में सुनने के लिये कोई उपकरण खरीदे गये हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) टेलीफोन केन्द्रों में प्रयोग में लाये जाने वाले उपस्कर का वर्गीकरण 'इलेक्ट्रानिक उपस्कर' के रूप में नहीं किया जाता। तथापि सहधुरीय केबिल प्रणालियों और सूक्ष्म तरंग रेडियो रिले प्रणालियों के लिये इलेक्ट्रानिक उपस्कर प्रयोग में लाया जाता है जिनके द्वारा लम्बी दूरी के ट्रंक टेलीफोन परिपथों की व्यवस्था की जाती है। 1962-67 के दौरान इस उद्देश्य के लिए आयात किये गये इलेक्ट्रानिक उपस्कर का कुल मूल्य 379 लाख रुपये है।

(ख) जी नहीं।

डायरेक्ट डायलिंग टेलीफोन करने की व्यवस्था

*1306. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डायरेक्ट डायलिंग टेलीफोन करने की व्यवस्था चालू होने के समय से कितने नगरों को इसका लाभ पहुंचा है ;

(ख) क्या इस व्यवस्था से टेलीफोन विभाग के राजस्व में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की तुलना में कितनी ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) भारत में सीधी डायल प्रणाली सबसे पहले 26 नवम्बर, 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य चालू की गयी थी। उसके बाद इस प्रणाली के अधीन 15 मार्गों की वृद्धि कर दी गई है जिनमें से अन्तिम मार्ग जम्मू-श्रीनगर का है, जो 18 नवम्बर, 1967 को चालू किया गया था। इस प्रणाली से अब तक देश भर के 15 शहरों को लाभ पहुंचा है।

(ख) जी हां।

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा सीधे डायल की गई ट्रंक कालों से ही अर्जित राजस्व की रकम दर्शाने वाला कोई लेखा अलग से नहीं रखा जाता।

फिर भी हर तिमाही में किये जाने वाले प्रति चयन के आधार पर, उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग अवधि से पूर्व इन मार्गों पर प्राप्त होने वाली आय लगभग 67 लाख रुपये वार्षिक थी। तत्सम्बन्धी रकम 1965 में लगभग 140 लाख रुपये, 1966 में 297 लाख रुपये तथा 1967 में 416 लाख रुपये थी।

Sugar Stock

*1307. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total quantity of sugar in stock on the 27th March, 1968 ; and

(b) how it compares with such stocks as on the 27th March, 1967 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Figures of sugar in stock on 27th March, 1968 and 1967 are not available. The quantity of sugar in stock with factories on the 31st March, 1968 was 15.07 lakh tonnes as compared with 16.55 lakh tonnes on the 31st March, 1967.

पाकिस्तान को चावल और गेहूं की तस्करी

*1308. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जम्मू और काश्मीर से पाकिस्तान को चावल और गेहूं की तस्करी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968 के पहले तीन महीनों में जम्मू और काश्मीर से पाकिस्तान को कुल कितने अनाज की तस्करी हुई है ; और

(ग) इस तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । सरकार के पास जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तान को खाद्यान्नों की तस्करी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योग

*1309. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योग ताजे फल कम मूल्य पर खरीदते हैं और फलों से तैयार की गई वस्तुओं को बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे क्या उपाय किये हैं जिनसे फल-उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सके और खाद्य-पदार्थ तैयार करने वाले उद्योगों को अधिक मूल्य लेने से रोका जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

*1310. **श्री सं० चं० सामन्त :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों ने 3 जून, 1967 को एक ज्ञापन में कालकाजी के निकट एक बस्ती में पुनर्वास के बारे में अपनी समस्यायें प्रस्तुत की थीं और सरकार से सहायता मांगी थी और इस सम्बन्ध में 30 अक्तूबर, 1967 को एक शिष्ट-मण्डल भी उनसे मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो वे मांगे क्या हैं और उन पर सरकार का क्या निर्णय है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क). जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-927/68]

कोयला खानों में आयुर्वेदिक डाक्टर

*1311. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों में कार्य कर रहे एलोपैथिक डाक्टरों के वेतन-क्रम की तुलना में आयुर्वेदिक डाक्टरों के वेतनक्रम बहुत कम हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोयला खानों में कार्य कर रहे आयुर्वेदिक डाक्टरों के वेतन-क्रम दिल्ली में कार्य कर रहे आयुर्वेदिक डाक्टरों की तुलना में भी बहुत कम हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कोयला खानों में इन औषधालयों के लिए स्थान की कोई व्यवस्था नहीं है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) से (ग). यह सामान्यतः सही है कि एलोपैथिक डाक्टरों की अपेक्षा आयुर्वेदिक डाक्टर कम वेतन प्राप्त करते हैं ।

(घ) और (ङ). सरकार के पास निजी क्षेत्र की कोयला खानों के बारे में कोई सूचना नहीं है । इस मंत्रालय के अधीन कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि द्वारा चलाये जाने वाले आयुर्वेदिक औषधालयों के लिये स्थान की समुचित व्यवस्था है ।

खाद्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*1312. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार शाखा के प्रादेशिक निदेशक (खाद्य) के कर्मचारियों ने अपनी मागों को स्वीकार करवाने के लिये एक सप्ताह तक भूख-हड़ताल की थी ;

(ख) क्या उनकी मांगों में भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964, में संशोधन खाद्य विभाग का भारतीय खाद्य निगम से एकीकरण ; वेतनमानों तथा समयोपरि भत्तों की अदायगी का पुनरीक्षण शामिल है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

थोड़ी संख्या में कर्मचारियों ने 21-3-68 से 27-3-68 तक की अवधि में बैंचों में भूख-हड़ताल की थी जो कि अब भारतीय खाद्य निगम में कार्य कर रहे हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1967, 25 जुलाई, 1967 को लोक सभा में पेश कर दिया गया है । कर्मचारियों की अन्य मांगों पर सम्बन्धित मंत्रालय के साथ परामर्श कर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

Landless Agricultural Labourers in Maharashtra

*1313. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the scheme initiated by the Centre for the rehabilitation of landless agricultural labourers has been implemented in Maharashtra ;

(b) if so, the extent of success achieved, the financial assistance provided so far and the respective number of landless labourers settled in different areas of Maharashtra ; and

(c) the amounts allocated for this purpose during 1967-68 and 1968-69 and the extent of success achieved so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculrure, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) According to the information furnished by the State Government, 18,557 landless agricultural worker families have been resettled on 1,26,844 acres of land in different areas upto the end of 1967-68. The financial assistance so far given by the Government of India is Rs. 180.47 lakhs.

(c) During the year 1967-68, a sum of Rs. 55 lakhs has been sanctioned by the Government of India. For the year 1968-69 a tentative allocation of Rs. 12 lakhs has been made, as Central assistance for the execution of this scheme.

हिन्दी दैनिक 'आज', वाराणसी

*1314. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक 'आज' समाचार-पत्र का प्रकाशन कुछ समय पूर्व श्रमिक संकट के कारण बन्द हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य समझौता राजतंत्र के प्रयत्नों के फलस्वरूप समाचार-पत्र का प्रकाशन 20-3-68 को पुनः आरम्भ हो गया था।

नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

*1315. **श्री नम्बियार :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड से दिसम्बर, 1967 तक अनेक कर्मचारियों की छंटनी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों जी छंटनी की गई थी ; और

(ग) छंटनी के क्या कारण थे ; और उन्हें बहाल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). 1 जनवरी, 1966 से 31 दिसम्बर, 1967 की समयावधि के दौरान 1405 व्यक्तियों की छंटनी की गई।

(ग) यह छटनी प्राजेक्ट के सिविल तथा अन्य निर्माण-कार्य की क्रमिक पूर्ति के कारण की गई। छंटनी किए गए कर्मचारी एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए गए थे और उनमें से अधिकांश सिविल अनियत श्रमिक थे। अतः उनकी बहाली का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह सलाह दी है कि जब वे अपने उपक्रमों में भर्ती करें तो छंटनी किए गए नीवेली के जूनियर सिविल इन्जीनियरों को प्राथमिकता दें।

Allotment of Houses in Haqiqat Nagar, Kingsway Camp (Delhi)

*1316. **Shri Hardayal Devgun:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that allotment of houses in Haqiqat Nagar, Kingsway Camp, Delhi was made to the displaced persons on instalment basis on the 21st March, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that the payment of instalments started with effect from October, 1962 in accordance with the term of the agreement made with the allottees ; and

(c) if so, the reasons for making recovery of the instalments with effect from 1962 whereas the actual allotment was made in 1966 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) No, the allotments were made in 1961 and 1962, by draw of lots. In one case (out of a total number of 384 tenements), however, the tenement was initially allotted jointly to two persons, but subsequently, the whole tenement was allotted in favour of one of them who agreed to pay the instalments with effect from 1962.

(b) The period for payment of instalment started from the time of initial deposit of 1/5th price of the quarter that was made by the allottees in 1961 and 1962.

(c) Does not arise in view of the position indicated under (a) above.

मैसूर राज्य के तुमकुर जिले का डाक व तार विभाग संघ

7559. **श्री क० लकप्पा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में तुमकुर जिले के डाक व तार विभाग संघ ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें आवास की तथा अन्य सुविधायें दी जायें ;

(ख) क्या उनकी मांगों को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). दो एकड़ भूमि-अधिग्रहण के लिये मंजूरी दे दी गई है । भूमि-अधिग्रहण के बाद ही क्वार्टर बनाने की कार्यवाई की जाएगी ।

दिल्ली में भवन निर्माण सहकारी समितियां

7560. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणियों की भवन निर्माण सहकारी समितियां कितनी हैं ;

(ख) समितियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है ; और

(ग) ऐसी कितनी समितियां हैं जिन्हें पिछले एक वर्ष के दौरान 'ग' से 'ख' और 'ख' से 'क' श्रेणी में पदोन्नत किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 'क' श्रेणी : 5 ; 'ख' श्रेणी : 16 ; और 'ग' श्रेणी : 195.

(ख) दिल्ली प्रशासन के सहकारी विभाग ने सहकारी समितियों का आडिट वर्गीकरण करने के लिये ये सामान्य मानदण्ड अपनाए हैं : सहकारी जीव्यताः सदस्यों की मांग लेने की सीमा और उनकी निष्ठा ; प्रबन्धकों की कार्यकुशलता का स्तर ; उसकी आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता; कर्मचारियों की दक्षता ; उचित आंतरिक जांच और ठीक प्रकार से हिसाब-किताब रखना ; कागजात, रोकड़, प्रतिभूतियां, सामान तथा अभिलेख, आदि की उचित प्रकार से निगरानी करना और आडिट रिपोर्टों का अनुपालन ।

गृह निर्माण समितियों के बारे में निम्न बातें भी विशेष रूप से ध्यान में रखी जाती हैं :

	क	ख	ग
सदस्यता	100 प्रतिशत वास्तविक	90 प्रतिशत वास्तविक	70 प्रतिशत वास्तविक
अंश पूंजी	क्रमिक वृद्धि	क्रमिक वृद्धि	स्थिर
निधि	पर्याप्त	संतोषजनक	मध्यम स्तर
भूमि	खरीदी हुई तथा विकसित	खरीदी हुई तथा विकसित की जा रही	कोई भूमि नहीं

(ग) पिछले एक वर्ष में तीन गृह-निर्माण समितियां 'ग' श्रेणी से 'ख' श्रेणी में और एक समिति 'ख' से 'क' श्रेणी में पदोन्नत की गई थी ।

दिल्ली में भवन निर्माण सहकारी समितियां

7561. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी भवन निर्माण सहकारी समितियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में वर्षवार डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक अपने पदधारियों का चुनाव नहीं कराया है ;

(ख) क्या सरकार ने इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) गृह-निर्माण सहकारी समितियों और अन्य प्रकार की सहकारी समितियों के पदधारियों के चुनाव से सम्बन्धित जानकारी सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा नहीं रखी जाती है । तथापि, इस बारे में विशिष्ट शिकायतें दो गृह-निर्माण सहकारी समितियों के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थीं ।

(ख) और (ग). उन दो समितियों के मामले में जो कार्यवाही की गई उसका ब्योरा नीचे दिया गया है :

(1) **दी यू० पी० समाज कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि०**

विशेष आम सभा बुलाने के लिए दिल्ली प्रशासन के सहकारी विभाग का आदेश 5-12-66 को जारी किया गया था और उसके अनुपालन में 15-1-67 को बैठक हुई थी, जब चुनाव हुए ।

(2) **दी फ्रैंड्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि०**

प्रबन्ध समिति, जो 11-2-66 को चुनी गई थी, के विरुद्ध समिति के कुछ सदस्यों से शिकायतें प्राप्त होने पर दिल्ली के सहकारी विभाग ने इस मामले में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न कार्यवाही की :

(क) समिति के मामलों की सांविधिक जांच करने का आदेश दिया गया।

(ख) समिति की एक विशेष आम बैठक बुलाने का आदेश दिया गया था और दिल्ली के सहकारी समितियों के पंजीयक (शहरी) से उक्त बैठक की अध्यक्षता करने की अपेक्षा की गई थी।

(ग) समिति के सचिव को सहायक पंजीयक (शहरी), सहकारी समितियां, दिल्ली के समक्ष समिति का अपेक्षित रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करने हेतु कार्यवाही आरम्भ की गई थी।

(घ) सम्बन्धित मामलों को तय करने के लिए समिति की प्रबन्ध समिति के सदस्यों और अन्य सदस्यों के साथ भी विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया गया था।

दिल्ली प्रशासन के सहकारी विभाग के आदेशों का पालन अभी पूर्णत: नहीं किया गया है ; कुछेक मामले न्यायालय में भी ले जाये गये हैं ; और इस मामले पर अभी और आगे विचार किया जा रहा है।

हरियाणा में कृषि भूमि का अर्जन

7562. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने जिला कार्यालय तथा कर्मचारी क्वार्टर बनाने के लिये जींद में उर्वरा कृषि तथा मूल्यवान भूमि बागीचों की बड़ी भूमि अर्जित करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने एकड़ भूमि अर्जित की जायेगी और उसके पास जो हजारों एकड़ बंजर भूमि है, उसका उपयोग इस काम के लिए न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित उपजाऊ कृषि भूमि को जींद के लिए सिविल स्टेशन बनाने के बहाने से अर्जित कर रही है ; और

(घ) क्या यह समूचा मामला संसद् सदस्यों की भूमि अर्जन समिति के समक्ष जो निकट भविष्य में ऐसे मामलों की जांच करने के लिए हरियाणा जा रहा है, रखने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). हरियाणा की सरकार ने जीन्द को तहसील से जिला मुख्यालयों तक अपग्रेड करने का निर्णय किया है और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत जिला कार्यालय

तथा जन उपयोग सेवाओं के निर्माण के लिए जिनमें सिविल हस्पताल तथा बस स्टैण्ड शामिल है 186 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। उच्च तकनीकी अधिकारियों की एक समिति द्वारा चुने हुये स्थान में आंशिक रूप से खेती की गई है और उसमें वृक्षारोपण है ; कस्बे के समीप एक सम्पूर्ण ब्लाक में कोई अकृष्य सरकारी भूमि स्थित नहीं हो सकती।

(घ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त भूमि अर्जन पुनर्विलोकन समिति भूमि अर्जन अधिनियम के फ्रेम वर्क के सम्बन्ध में जन सम्पत्ति लेने के लिए विभिन्न राज्यों में जा रही है और सम्भवत: प्रत्येक निजी मामले के लाभों पर राज्य सरकार को सलाह नहीं देगी।

योजना आयोग का जम्मू-कश्मीर तक क्षेत्राधिकार

7563. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का क्षेत्राधिकार जम्मू-कश्मीर राज्य पर नहीं है ;

(ख) क्या योजना आयोग के साथ जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध अन्य राज्यों के संबंधों से भिन्न हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (ग). चूंकि यह मंत्रालय इस प्रश्न के विषय से सम्बन्धित नहीं है अत: आवश्यक सामग्री योजना आयोग से अभिप्राप्त की जा रही है और जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सब्जी के बीजों की बिक्री

7564. **श्री अहमद आगा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विनियमित मंडियों में सब्जियों से बीज बोली द्वारा नहीं बेचे जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक या दो फर्में इन बीजों को भारी मात्रा में खरीद लेती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं और ये फर्में कहां हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स अधिनियमों के अन्तर्गत सब्जियों के बीज "नोटीफाइड" जिन्स नहीं है, अत: नियमित मण्डियों में नीलामी द्वारा उनके विक्रय करने का प्रश्न ही नहीं होता।

(ख) सब्जियों के बीज बेचने वाली किसी फर्म द्वारा किये गये सौदे के बारे में सरकार के पास कोई सूचना मौजूद नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Nutrition Value of Imported and Indigenous Wheat

7565. **Shri O. P. Tyagi :**
Shri Nageshwar Dwivedi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that it is a common feeling in public that imported wheat is less nutritive than indigenous wheat ;

(b) if so whether Government have ascertained the difference in the nutritive value contained in these two kinds of wheat ;

(c) if so, the nature thereof ; and

(d) the reason for selling the two kinds of wheat at the same price in ration shops in case there is difference in their nutritive value ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) There have been some consumer preference for indigenous wheat among certain sections of the population ; but Government are not aware of any general feeling that imported wheat is less nutritive than indigenous wheat.

(b) and (c). The range in nutritive value of imported wheat is comparable to that of indigenous wheat.

(d) Does not arise.

चावल मिलों पर सरकार का नियंत्रण

7566. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटी अथवा बड़ी सभी चावल मिलों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर लिया है और वह उनके प्रतिदिन के सौदों के बारे में हिदायतें दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार राज्य-वार कितनी मिलों पर नियंत्रण किया गया है, और ऐसा विधि के किस विशिष्ट उपबन्ध के अन्तर्गत किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चावल मिलिंग उद्योग का विनियमन चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम साथ ही इनके अधीन जारी किये गये नियमों तथा आदेशों के अनुसार किया जाता है ; चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम का उद्देश्य उद्योग का इस प्रकार विनियमन करना है जिससे कि एक ओर तो ग्रामीण जनता को रोजगार

सुलभ करने के लिये हाथ कुटाई उद्योग को बनाये रखा जा सके और दूसरी ओर धान की कुटाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त कुटाई क्षमता सुनिश्चित हो। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी किये गये आदेशों से चावल मिलों द्वारा कूटे गए धान के वितरण पर नियंत्रण रखना होता है। इस नियंत्रण के अतिरिक्त, उनके प्रतिदिन के सौदों के बारे में हिदायतें देना आवश्यक नहीं समझा गया है।

मध्य प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई

7567. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य की गत तीन वर्षों में विभिन्न उर्वरकों की वास्तविक आवश्यकता मात्रा तथा मूल्य में कितनी थी ;

(ख) उपरोक्त अवधि में उस राज्य को वस्तुतः कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के उर्वरक सप्लाई किये गये ;

(ग) मध्य प्रदेश में उपरोक्त अवधि में विभिन्न फसलों की वार्षिक उपज कितनी हुई और उर्वरकों के प्रयोग का कितना प्रभाव रहा ; और

(घ) उस राज्य की उर्वरकों की पूरी मांग को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). पूछी गई जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-917/68]

(ग) प्रयोग में लाई गई वस्तुओं में से उर्वरक एक है, उपरोक्त अवधि में उर्वरकों के प्रयोग के फलस्वरूप विभिन्न फसलों की उपज के आंकड़े राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) सन् 1965-66 तथा 1966-67 के दौरान सप्लाई की गई मात्राओं के अतिरिक्त राज्य के पास 1-4-65 तथा 1-4-66 को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्रमशः 12,219 तथा 36,232 टोन्ज नाइट्रोजन का कैरी-ओवर स्टाक था। सन् 1965-66 के दौरान इस प्रकार आवश्यकताओं को पूरा किया गया। सन् 1966-67 के दौरान यद्यपि राज्य सरकार को उर्वरकों का अधिक नियतन किया गया तथापि राज्य ने सूखा और भारी कैरी-ओवर स्टाक होने के कारण 13,270 टोन्ज नाइट्रोजन लौटाया। सन् 1967-68 के दौरान राज्य को सप्लाई की गई मात्रा से उनकी आवश्यकतायें पूरी हो गईं।

बालिनगीर जिला, उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन काटना

7568. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के बालिनगीर जिले में हाल में 55 टेलीफोन कनेक्शन काट दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को टेलीफोन बिलों की राशि न मिलने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जिला बालिनगीर, उड़ीसा में जनवरी, 1968 से बिल की अदायगी न होने के कारण 65 टेलीफोन काटे जा चुके हैं ।

(ख) कुछ शिकायतें प्राप्त अवश्य हुई हैं किन्तु जब उपभोक्ताओं को टेलीफोन पर याद दिलाया गया तो वे डिमान्ड नोट प्राप्त करके अदायगी कर सकते थे और इस पर टेलीफोन काटने की स्थिति से बचा जा सकता था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में टेलीफोन का अनधिकृत उपयोग

7569. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री इसहाक साम्भली :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को दिल्ली में टेलीफोनों के लिये साधारण नागरिकों की श्रेणी में प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे ;

(ख) वर्ष 1966 और 1967 में दिल्ली टेलीफोन विभाग के सतर्कता अधिकारी को टेलीफोन के कथित अनधिकृत उपयोग के कितने मामलों के बारे में सूचना प्राप्त हुई ;

(ग) क्या दिल्ली टेलीफोन विभाग के सतर्कता अधिकारी तथा सम्पर्क अधिकारी को टेलीफोन नम्बर 51095 (नया नंबर 561095) के कथित अनधिकृत उपयोग के मामले की सूचना क्रमश: 5 जुलाई और 2 अगस्त, 1967 को पंजीकृत पत्रों द्वारा भेजी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क)	अपना टेलीफोन योजना		7,689
	अपना टेलीफोन योजना के अतिरिक्त		50,900
(ख)	1966	7	
	1967	13	

(ग) जी हां । 5 जुलाई, 1967 का पत्र जिसमें टेलीफोन नम्बर 561095 के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया था, सतर्कता अधिकारी ने प्राप्त किया है । किन्तु जन-

सम्पर्क अधिकारी को 2 अगस्त, 1967 को भेजा गया कथित पत्र दिल्ली टेलोफोन परिमण्डल कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि प्राप्त नहीं हुआ ।

(घ) टेलीफोन नम्बर 561095 से सम्बन्धित मामले की छानबीन करने के लिये आदेश दिये गये थे और छानबीन से यह पता चला है कि उक्त टेलीफोन उपभोक्ता की लड़की के निवास-स्थान पर काम कर रहा था, जबकि उपभोक्ता स्वयं उस समय फरीदाबाद में रह रहा था । इसी बीच उपभोक्ता से इस टेलीफोन को उसकी लड़की के नाम बदलने का निवेदन प्राप्त हुआ था । चूंकि विभागीय नियमों के अनुसार इस प्रकार के अन्तरण की अनुमति है, अतः सामान्य औपचारिकतायें पूरी करने के बाद इसकी अनुमति दे दी गई थी ।

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज कार्यक्रम

7570. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अब तक सामुदायिक विकास योजनाओं तथा पंचायती राज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज कार्यक्रमों में क्या मूल अन्तर है और खण्ड स्तर पर इनमें से प्रत्येक योजना के अन्तर्गत क्या-क्या विकास मदें आती हैं ; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा तीसरे चरण में इन योजनाओं के लिये योजना में इनके लिये रखी गई राशि के अतिरिक्त धन नियत किये जाने की कोई सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्पूर्ण ग्रामीण भारत में लागू है ; तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ भागों, केरल, जम्मू तथा काश्मीर और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में लागू कर दी गई है । पंचायती राज राज्य का विषय है और पूर्णांग तीन स्तरीय ढांचा जल्दी स्थापित करने की वांछनीयता के बारे में राज्य सरकारों से आग्रह करना जारी है । बिहार और मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू करने के लिये आवश्यक कानून तैयार किया जा चुका है और राज्य सरकारों का ध्यान पूर्णांग ढांचे की स्थापना में लगा हुआ है । नागालैण्ड में परम्परागत आदिमजातीय संस्थाएं अर्थात्, क्षेत्र, प्रक्षेत्र तथा आदिम-जातीय परिषदें अन्य स्थानों की पंचायती राज संस्थाओं से लगभग मिलती-जुलती हैं । अन्य राज्यों में, जहां अभी कानून पारित करना रहता है यह मामला राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

(ख) खण्ड एजेन्सी और पंचायती राज संस्थाओं को एक सम्पूर्ण संगठन का अंग बनना है । सामुदायिक विकास कार्यक्रम का निरूपण ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में लोगों द्वारा कारगर रूप से भाग लेने और जहां तक सम्भव हो उनके पहल करने की भावना पर किया गया है । खण्ड एजेन्सी विस्तार कार्य के लिये कर्मचारी उपलब्ध करती है ; पंचायती राज्य संस्थाएं

कार्यक्रम के लिये जनता के समर्थन को उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से संस्थात्मक रूप देने का प्रयत्न करती हैं । खण्ड स्तर पर खण्ड कर्मचारी तथा खण्ड बजट पंचायत समितियों को सौंपे गये हैं । वे मिलकर स्थानीय आवश्यकताओं तथा साधनों के अनुसार सामान्य प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लेते हैं, जिनमें कृषि तथा परिवार नियोजन जैसे राष्ट्रव्यापी प्राथमिकता के कार्यक्रमों के अलावा समाज कल्याण तथा सुख-सुविधा के कार्यक्रम शामिल हैं ।

(ग) पंचायती राज संस्थाओं तथा खण्ड एजेन्सी के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त विभागीय कार्यक्रम तथा तद्नुरूप योजना निधियां सौंपने के अतिरिक्त राज्य सरकारें कर्मचारी रखने और कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य खर्च के लिये योजना से बाहर संसाधन उपलब्ध करती हैं ।

देहाती क्षेत्रों में रेडियो लाइसेंस

7571. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67 में देहाती क्षेत्रों में कितने रेडियो लाइसेंस दिये गये और देहाती क्षेत्रों के निवासियों ने लगभग कितने मूल्य के रेडियो खरीदे ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथा-समय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

Agriculture Labourers

7572. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of agricultural labourers in the various States ; and

(b) their annual income according to the statistics available with the Planning Commission ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) A statement showing the total number of agricultural labourers State-wise, is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T.-918/68]**

(b) The annual income (All India Average) agricultural labourer, according to the Rural Labour Enquiry (1963-64), was Rs. 328.45.

Increase in Agricultural Production After Construction of Dams

7574. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the acreage of land, State-wise, in which agricultural production has increased during the last three years consequent upon the construction of various dams ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) A statement showing State-wise additional area over which irrigation facilities have been extended since 1965-66 consequent upon the construction of various dams is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T.-919/68]**

गोरखपुर जिले में टेलीफोन केन्द्र

7575. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इस समय कुल कितने टेलीफोन केन्द्र हैं ;

(ख) क्या निकट भविष्य में इस जिले में टेलीफोन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सात।

(ख) जी हां।

(ग) चालू वर्ष के दौरान कौरीराम और बरहालगंज में दो 25 लाइनों वाले टेलीफोन केन्द्र खोले जाने की आशा है।

कांगड़ा जिले में भूमि का नियतन

7576. **श्री निहाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री कांगड़ा जिले में भूमि के नियतन के बारे में 14 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3996 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 मई से सितम्बर 1967 तक की अवधि में किसी समय संसद् सदस्यों तथा जनता ने उनके पास दो शिकायतें भेजी थीं जो खो गई प्रतीत होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है ; और

(ग) सितम्बर, 1967 में संसद् सदस्यों तथा जनता से प्राप्त शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग). प्रश्नास्पद अवधि में श्री हुकम चन्द कछवाय, संसद् सदस्य से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके साथ अन्य प्रतिलिपियों के साथ-साथ कांगड़ा जिले के दो व्यक्तियों की शिकायत की प्रतिलिपि और श्री एल० वी० वाल्वी, संसद् सदस्य के पत्र की प्रतिलिपि, जो दोनों ही जिला अधिकारी को सम्बोधित थीं, संलग्न थीं। ये कागजात हिमाचल प्रदेश प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजे गये थे।

कृषि उपज

7577. **श्री रविराय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के महानिदेशक द्वारा हाल में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उत्पादन के नवीनतम तरीकों का

प्रयोग करके भारत के कुल राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में थोड़े समय में महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार वैज्ञानिक आधार पर भारतीय कृषि के तीव्र रूपान्तरण के लिये पहले ही कार्य कर रही है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम का सूत्रपात्र किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में सिंचाई वाले क्षेत्र के अधिकांश भाग में चावल, गेहूं, मिलेट्स और दूसरी फसलों के उन्नत बीजों और साथ ही उर्वरक और अन्य आदानों की उपलब्धि का प्रबन्ध करना है । विभिन्न फसल पौदों की नई अधिक उत्पादनशील किस्मों के विकास और उर्वरकों तथा अन्य आदानों के उपयुक्ततम प्रयोग के सम्बन्ध में शोध कार्य को तीव्र करने के लिये भी कदम उठाये गये हैं ।

चावल और गेहूं बोर्ड

7578. **श्री रवि राय :**
श्री देवकीनंदन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के निदेशक के इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें सुझाव दिया गया था कि प्रतिवर्ष गेहूं और चावल की फसलों के उत्पादन के लिये सांकेतिक योजनायें बनाने और सरकार तथा कृषि मूल्य आयोग द्वारा किसानों के लिए उचित समझे जाने वाले मूल्य का स्तर बनाये रखने हेतु एक चावल बोर्ड तथा एक गेहूं बोर्ड की स्थापना की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और उसका ब्योरा क्या है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) "असैलवेटिंग जैनेटिक इम्प्रूवमेंट आफ इण्डियाज प्लान्ट रिसोर्सिज" पर हुई एक गोष्ठी में भाषण देते हुए वैज्ञानिक के रूप में डा० एम० एस० स्वामीनाथन, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान ने यह सम्मति प्रकट की । गोष्ठी की पूरी कार्यवाही प्राप्त होने के बाद मामले पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारत सरकार द्वारा आगे विचार किया जायेगा ।

श्रमजीवी पत्रकारों को महंगाई भत्ते का भुगतान

7579. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचनांक 40 अंक बढ़ गया है जो श्रमजीवी पत्रकारों पर भी लागू होता है;

(ख) क्या जनवरी, 1968 में महंगाई भत्ते में जो पहली बार वृद्धि की जानी थी वह कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली स्थित समाचार-पत्र संस्थानों के श्रमजीवी पत्रकारों को इस 20 रुपये की वृद्धि का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) वर्ष 1967 के लिये सूचकांक का औसत 209 अंक आता है जबकि वर्ष 1965 का औसत 166 अंक था।

(ख) से (घ). यह प्रतिष्ठान विशेषों और उनके कर्मचारियों के बीच का मामला है और इससे संबंधित शिकायतें श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तों) और विविध उपबन्ध अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को भेजी जानी चाहिए। सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के श्रम विभागों से यह प्रार्थना की गई है कि वे पत्रकारों के वेतन बोर्ड की सिफारिशों को जिस रूप में कि सरकार ने उन्हें स्वीकार किया है, क्रियान्वित कराने के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करें।

जापान से चावल-मिलें

7580. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने 39 लाख रुपये की लागत पर जापान से 24 चावल-मिल तथा मशीनरी अर्जित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनमें से चार चावल मिलों को मध्य प्रदेश में लगाने की सम्भावना पर विचार किया है जहां इन मिलों की कमी है और परिष्कृत करने के लिये चावल सैकड़ों मील दूर भेजना पड़ता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) भारतीय खाद्य निगम ने लगभग 38.56 लाख रुपये की लागत की 5 पूरी चावल मिलें

और 19 चावल मिलों के आधारभूत पुर्जे साथ ही फालतू पुर्जे और चावल मिलिंग से सम्बन्धित कुछ कृषि यन्त्र खरीदने के लिये एक जापानी फर्म के साथ ठेका किया है। इस परियोजना पर 5वें येन ऋण के अधीन धन लगाया जायगा।

(ख) खाद्य निगम ने मध्य प्रदेश में आधुनिक चावल मिलें स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार किया है और अस्थायीतौर पर यह निर्णय किया गया है कि इनमें से तीन मिलें मध्य प्रदेश में स्थापित की जा सकती हैं बशर्ते कि राज्य सरकार इससे सहमत हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Telephone Connections in Delhi

7581. **Shri Shashibushan Bajpai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telephone connections given under the Social workers category in Delhi so far ;

(b) the total number of persons on the list under the said category and the number of those out of them to whom telephone connections have so far not been given ;

(c) the time by which telephone connections are likely to be given to them ; and

(d) the criteria fixed by Government for sanctioning telephone connections under the category "Social Workers" ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 281 telephone connections were given in 1967. Information for earlier years is not readily available.

(b) 1,514 persons were on the waiting list on 1-4-68 who have yet to be provided with telephones.

(c) As the provision of telephones is dependent upon several factors like availability of equipment, line stores, cables, instruments etc., it is not possible to indicate accurately the time by which telephone connections will be provided to all the applicants on the existing waiting list under this category. Further a limited quota to the extent of 15 p.c. only is available to 'Special' category which includes social workers along with others.

(d) Social and public workers who are able to furnish reasonable proof of their social and public activities either through certificates from well known social or political organisations, Members of Parliament or responsible official authorities are registered under 'Publicmen' Category. Sanction of connections under this category is further subject to approval of Telephone Advisory Committee.

पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों की बस्तियां

7582. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल की शरणार्थी बस्तियों में क्षय तथा अन्य घातक रोग असामान्य रूप से वृद्धि पर हैं ;

(ख) क्या खेलकूद और अन्य सामाजिक गतिविधियों की कमी के कारण इन क्षेत्रों में असामाजिक गतिविधियां वृद्धि पर हैं; और

(ग) सरकार ने इन शरणार्थी बस्तियों में सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों में, जिन्हें पश्चिम बंगाल में बसाया गया है, क्षय तथा अन्य घातक रोग सामान्यतः वृद्धि पर हैं। राज्य में विस्थापित क्षय रोगियों के हित के लिये, विभिन्न अस्पतालों में 600 क्षय विस्तर, 6 चल चिकित्सा यूनिट तथा क्षय रोगियों के लिये विशेष भोजन भत्ता इत्यादि दिया जा रहा है। ये विशेष सुविधाएं केवल क्षय रोगियों के लिये ही हैं।

(ख) इन बस्तियों में असामाजिक गतिविधियां वृद्धि पर नहीं हैं और जहां कहीं संभव हो सका है, खेलकूद और अन्य सामाजिक गतिविधियों की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं।

(ग) जहां कहीं आवश्यक होता है शरणार्थी बस्तियों में सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अवस्थाओं के सुधार के लिये राज्य सरकार योजनाएं बनाती हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत बस्तियों में विकास कार्य जैसे कि, मार्गों का निर्माण, नालियां, जल संभरण तथा स्वच्छता इत्यादि की व्यवस्था की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो, शिक्षा संस्थाएं, पुस्तकालय तथा ऐसी अन्य संस्थाएं स्थापित की जाती हैं।

स्मृति में विशेष डाक टिकट

7583. **श्री समर गुह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्मृति में विशेष टिकटें जारी करने के बारे में सरकार ने कोई नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या विशेष टिकटें जारी करने के लिये नीति बनाने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) विशेष/स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई जाती है :—

(1) स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए विशेष आपाती मामलों को छोड़कर किसी प्रस्ताव पर उस समय तक विचार नहीं किया जाता जब तक कि विभाग को 18 महीने पूर्व सूचित न किया गया हो;

(2) आमतौर पर किसी व्यक्ति के सम्मान में कोई स्मारक डाक-टिकट तब तक जारी नहीं किया जाता जब तक कि ऐसा अवसर (जन्म या मृत्यु) शतवार्षिकी न हो। स्मारक डाक-टिकट मृत्यु की पहली या 10वीं वार्षिकी पर भी जारी किया जा सकता है।

(3) आमतौर पर कोई डाक-टिकट 50वीं या शतवार्षिकी के अतिरिक्त अन्य किसी अवसर पर जारी नहीं किया जाता। केवल अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर ही विशेष डाक-टिकट जारी करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए, अन्य अवसरों पर केवल विशेषरूप से रद्द करने की व्यवस्था ही की जा सकती है।

(4) जैसा कि डाक-टिकट सलाहकार समिति ने सिफारिश की है एक वर्ष में 12 या इससे अधिक अवसरों पर 20 से अधिक डाक-टिकट न निकाले जाएं और इनमें से चार से अधिक डाक-टिकट व्यक्तियों के स्मारक डाक-टिकट के रूप में नहीं होने चाहिए।

(5) प्रत्येक डाक-टिकट जारी करने की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व इसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए और डाक-टिकट छापने के लिए इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस को पूरे छः माह का समय दिया जाना चाहिए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्मृति में विशेष डाक टिकट

7584. **श्री समर गुह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिवाजी, रणजीत सिंह, सावरकर, अरविन्द, खुदीराम, भगतसिंह, जतिन मुकर्जी, सूर्य सेन, श्यामा प्रसाद मुकर्जी, स्वामी विवेकानन्द तथा भारत के अन्य सैनिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक नेताओं की स्मृति में विशेष डाक टिकट जारी करने की सरकार की कोई योजना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : डाक-तार विभाग विभिन्न क्षेत्रों में महान व्यक्तियों और नेताओं के सम्मान में विशेष डाक-टिकट जारी करता रहा है। इस प्रश्न में दिये गये नामों में से निम्नलिखित महान् व्यक्तियों के सम्मान में उनमें से प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तिथियों पर विशेष डाक-टिकट पहले ही जारी किये जा चुके हैं :–

1. शिवाजी	17 अप्रैल, 1961 को
2. स्वामी विवेकानन्द	17 जनवरी, 1963 को
3. श्री अरविंद	15 अगस्त, 1964 को
4. महराजा रणजीत सिंह	28 जून, 1966 को

किसी उपयुक्त अवसर पर भगत सिंह के सम्मान में विशेष डाक-टिकट जारी करने का प्रश्न भी विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त विभाग का निम्नलिखित महान् व्यक्तियों के सम्मान

में 1968 के वर्ष के शेष भाग में विशेष डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव है :—

1. गगनेन्द्र नाथ ठाकुर (सुप्रसिद्ध कलाकार) ।
2. भगिनी निवेदिता ।
3. वंकिम चन्द्र चटर्जी (लेखक) ।
4. मैडम मेरी क्यूरी ।

सब्जियों के बीजों का आयात

7585. **श्री अहमद आगा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में सब्जियों के बीजों का अब भी विदेशों से आयात किया जाता है;

(ख) विदेशों से बीजों का आयात करने के लिये किन-किन फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों की अवधि में आयात हुए सब्जियों के बीजों की मात्रा तथा उनका मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-** 920/68]

(ग) औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के विषय में साप्ताहिक बुलिटन आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं और उन्हें नियमित रूप से संसद पुस्तकालय में रख दिया जाता है ।

Money Lying in Telephone Department

7586. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Bharat Singh Chauhan**
Shri Sharda Nand : **Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large amount is lying unadjusted in the Telephone Department as was paid from time to time against the telephone bills by the subscribers ;

(b) if so, the total amount lying with Government throughout the country at present and the amount lying in Delhi, Bombay and Calcutta separately ; and

(c) the steps being taken by Government for adjusting the said amout against the bills of the subscriber, who deposited the amount and the time by which the said amount will be adjusted ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Some amounts sometimes remain unadjusted due particularly to the inadequate and discrepant information contained in the intimation of payments.

(b) Due to the recent decentralisation of telephone revenue work to divisional level, the information is not readily available. However, such amounts as are lying unadjusted in Delhi, Bombay and Calcutta as at the end of December, 1967 are Rs. 11 lakhs, Rs. 0.02 lakhs and Rs. 4 lakhs respectively.

(c) As soon as the requisite information becomes available and the discrepancies are reconciled, the amounts are adjusted against the bills they relate to.

विस्थापित व्यक्तियों का तिहाड़ गांव, दिल्ली में पुनर्वास

7587. **श्री बलराज मधोक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान के लगभग 600 परिवार, जो दिल्ली के के तिहाड़ गांव में रह रहे हैं, का अब तक पुनर्वास नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन परिवारों के पुनर्वास के लिये तिहाड़ गांव के पुनर्निर्माण तथा पुनर्विकास की योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय द्वारा 1959 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, तिहाड़ गांव में विस्थापित व्यक्तियों के केवल 164 परिवार रह रहे थे जिन्हें वैकल्पिक आवास नहीं दिया गया था। पुनर्वास मंत्रालय के इन विस्थापित व्यक्तियों को आवास देने के लिये तिहाड़ गांव का ढांचा बदलने के लिये एक योजना मंजूर कर दी थी। योजना जिसे प्रारंभ में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा कार्य रूप दिया जाना था, कुछ परिवर्तनों के फलस्वरूप अभी क्रियान्वित नहीं की गई है और अभी तक अन्तिम निर्णय लेना शेष है। तथापि इसके उपरान्त अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि विस्थापित व्यक्तियों के लगभग 200 और परिवार वहां रह रहे हैं जो पहले गांव छोड़कर चले गये थे किन्तु बाद में गांव में वापिस आ गये हैं और जैसा कि पहले बताया गया है इन परिवारों को भी 164 परिवारों की भांति वैकल्पिक आवास दिया जाये। सरकार ने इन परिवारों के सम्बन्ध में कोई बचन नहीं दिया है किन्तु इनके मामलों पर विचार किया जा रहा है।

Opening of Post Office in Vishnupur Harinawar

7588. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation from the residents of village Vishnupur, Harinawar, P. O. Visanpur, District Monghyr that a Post Office be opened in Vishnupur, Harinawar ; and

(b) if so, the steps being taken in the matter ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) The proposal is under examination.

बीरमगांव-राजकोट सड़क पर टेलीफोन बूथ/ब्लाक

7589. **श्री मधु लिमये** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीरमगांव-राजकोट सड़क पर 10-10 मील के फासले पर टेलीफोन बूथों/ब्लाकों के निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) ये बूथ/ब्लाक कब बनाये गये और किसकी मांग पर बनाये गये हैं;

(ग) इनके निर्माण का उद्देश्य क्या है; और

(ग) क्या इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) रिपीटर शिविरों का जिन्हें प्रश्न में टेलीफोन बूथ/ब्लाक कहा गया है अहमदाबाद वीरमगांव-राजकोट मार्ग पर अहमदाबाद-राजकोट सहधुरीय केबिल योजना के लिये लगभग 6-6 मील की दूरी पर निर्माण किया गया है। इन रिपीटर शिविरों की आवश्यकता अहमदाबाद-राजकोट सहधुरीय केबिल प्रणाली के लिये ऊंचे दर्जे के टेलीफोन परिपथों के बड़े ब्लाकों की व्यवस्था करने के लिये है। अहमदाबाद और राजकोट के बीच इन शिविरों की कुल संख्या 24 है और इनकी कुल लागत लगभग 96,000 रुपये हैं।

(ख) इन रिपीटर शिविरों का निर्माण 1966 के मध्य में तेजी से शुरू किया गया था और यह निर्माण-कार्य जनवरी, 1968 में पूरा हो गया था। इस प्रायोजना को विभाग की एक विकास प्रायोजना के रूप में शुरू किया गया था।

(ग) इस योजना का उद्देश्य अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर और राजकोट को ट्रंक टेलीफोन सेवा के उद्देश्य से जोड़ने के लिये ऊंचे दर्जे के परिपथों की व्यवस्था करना है। अहमदाबाद और राजकोट के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

(घ) अहमदाबाद-सुरेन्द्रनगर-राजकोट सहधुरीय केबिल योजना पर भी काम चल रहा है। आशा है कि इस योजना का कार्य पूरा हो जायगा और यह प्रणाली मार्च, 1969 में नियमित परियात के लिए चालू हो जायगी।

भोजन व्यवस्था प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक पोषाहार सम्बन्धी संस्थायें

7590. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत दो वर्षों में भोजन व्यवस्था प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक पोषाहार सम्बन्धी संस्थाओं को कितना वार्षिक अनुदान दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : भारत सरकार ने 1966-67 और 1967-68 के वर्षों में भोजन व्यवस्था प्रौद्योगिकी

और व्यावहारिक पोषाहार सम्बन्धी संस्थाओं को निम्नलिखित सहायक अनुदान दिया है :

संस्थाओं के स्थान	1966-67	1967-68
नई दिल्ली	16,58,368	5,67,872
बम्बई	13,74,793	1,67,723
कलकत्ता	1,05,005	93,960
मद्रास	1,25,527	2,75,624
	32,63,693	11,05,179

टी० ई० थौम्पसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

7591. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टी० ई० थौम्पसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारी संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदन कम्पनी द्वारा धन के कथित दुरुपयोग, कारखाने के बन्द हो जाने और 1967-68 के बोनस, ग्रेच्युटी और मुआवजे की गैर-अदायगी के विरुद्ध था ।

(ग) इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा गया है ।

पश्चिमी बंगाल में बेरोजगारी

7592. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1967 को पश्चिमी बंगाल में बेरोजगारों की संख्या क्या थी;

(ख) गत पांच वर्षों में कितने लोगों को काम दिलाऊ केन्द्रों के माध्यम से रोजगार मिला है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर): (क) इस विषय पर उपलब्ध जानकारी 31 मार्च, 1967 को पश्चिम बंगाल के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज 4,42,801 लोगों से सम्बन्धित है ।

(ख)	वर्ष	नियुक्ति सहायता पाने वाले
	1963	36,606
	1964	43,931
	1965	46,976
	1966	38,724
	1967	30,014

(ग) केन्द्र और पश्चिम बंगाल राज्य की योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न विकास योजनाओं द्वारा, आशा है, बढ़े हुए नियोजन अवसर मिलेंगे।

केलिंग नगर (पश्चिम बंगाल) के लिये टेलीफोन केन्द्र

7593. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व केलिंग नगर (24 परगना पश्चिम बंगाल) में एक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो मंजूरी कब दी गई थी; और

(ग) क्या यह केन्द्र स्थापित कर दिया गया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केनिंग नगर में एक ट्रंक सार्वजनिक टेलीफोन पर पहले से ही मौजूद है और इससे दो विस्तार संयोजन भी दिए जा चुके हैं। इस सार्वजनिक टेलीफोन पर से किसी भी विस्तार संयोजन की मांग बाकी नहीं है। केनिंग नगर में 10 लाइनों का एक स्वचल-टेलीफोन केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में 1962 में मंजूरी दी गई थी और तत्सम्बन्धी उपस्कर प्राप्त भी हो चुका है। यह टेलीफोन केन्द्र अब तक इसलिये चालू नहीं किया जा सका क्योंकि विशेष ए० सी० डायल रिले सेटों की कमी थी। चूंकि ट्रंक लाइन की व्यवस्था विद्युतीकरण केबल द्वारा करनी होती है अतः इस प्रकार के डायल रिले सेट आवश्यक होते हैं।

भारत में चीनी का उत्पादन और खपत

7594. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1962 से प्रत्येक वर्ष देश में चीनी का कुल कितना उत्पादन तथा खपत हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : 1961-62 से 1966-67 तक के चीनी वर्षों (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान चीनी के

उत्पादन और आन्तरिक खपत के लिये कारखानों से चीनी की निकासी का ब्योरा इस प्रकार है :

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर)	उत्पादन	आन्तरिक खपत के लिये कारखानों से निकासी
1961-62	27.14	25.87
1962-63	21.52	24.88
1963-64	25.69	23.36
1964-65	32.58	24.70
1965-66	35.08	28.01
1966-67	21.47	26.33

सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर खर्च

7595. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया है ;

(ख) क्या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यह कार्यक्रम चालू नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनमें ये कार्यक्रम कब चालू किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : अक्तूबर, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुरू होने से लेकर 1967-68 तक इस पर 541.60 करोड़ रुपये का योजना व्यय किया गया था।

(ख) और (ग). यह कार्यक्रम देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में लागू है।

Hindi Knowing Officers in the Ministry of Labour and Rehabilitation

7596. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Gazetted Officers and other employees in different grades in his Ministry as on the 15th March, 1968 and the number of those among them who know Hindi ;

(b) the number of officers among the non-Hindi knowing Officers who are learning Hindi at present under the Hindi Training Scheme ; and

(c) the time by which the remaining Officers will be taught Hindi ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) (i) **Number of Officers in the Ministry :**

Gazetted	..	171
Non-Gazetted	..	1004
	Total :	1175

(ii) **Number of Officers who know Hindi :**

Gazetted	..	87
Non-Gazetted	..	473
	Total :	560

(iii) **Number of Officers exempted :**

Gazetted	..	31
Non-Gazetted	..	320
	Total :	351

(b) Gazetted	..	2
Non-Gazetted	..	34
	Total :	36

(c) It is not possible to give a time limit at this stage though progressively more and more officers are likely to learn Hindi.

Hindi-Knowing Officers

7597. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Gazetted Officers and the employees in his Ministry in the different grades separately as on the 15th March, 1968 and the number of those among them who know Hindi ;

(b) the number of Officers among the non-Hindi knowing Officers who are learning Hindi at present under the Hindi Training Scheme ;

(c) the time by which the remaining Officers will be taught Hindi ; and

(d) whether any roster for teaching Hindi to them by a stipulated period has been drawn up ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) In the Ministry proper the number of gazetted Officers/Employees and number of those who know Hindi as on 15-3-68 is as under :—

Total No. of Officers/Employees		**Total No. of Officers/Employees knowing Hindi**	
Class I and II Gazetted	Class II and III (Non-Gazetted)	Class I and II Gazetted	Class II and III (Non-Gazetted)
418	1344	229	943

(b) Eighty Officers/Employees.

(c) and (d). No time limit for completing the training of Non-Hindi knowing persons has been fixed by the Government so far. A roster of all such persons as required is being maintained to get all of them trained in Hindi as early as possible.

घेराव के कारण श्रम दिनों की हानि

7598. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 के पहले तीन मास में घेराव के कारण भारत के उद्योगों में कुल कितने श्रम दिनों की हानि हुई ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस कारण उत्पादन की कितनी हानि होने का अनुमान है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

कोकन लोहा खाने

7599. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने के रेघेरा लोहा खान समूह के अधीन कोकन लोहा खानों के प्रायः समस्त 1300 कर्मचारियों की छंटनी 23 मार्च, 1968 को ठेकेदारों द्वारा कर दी गई थी ;

(ख) क्या प्रादेशिक श्रम आयुक्त, जबलपुर तथा भिलाई के प्रबन्धकों की उपस्थिति में कर्मचारियों तथा ठेकेदारों के बीच इस आशय का कोई करार हुआ था कि छः महीने तक न तो कोई छंटनी होगी और न ही उनको नौकरी से हटाया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) भिलाई की कोकन खान में प्रेमराज गुन्धर, ठेकेदार के एक प्रतिष्ठान के बन्द हो जाने के कारण, 1265 मजदूर बेकार हो गये हैं ।

(ख) जी हाँ । लेकिन यह मामला जो कि प्रतिष्ठान बन्द होने का है, समझौते के अन्तर्गत नहीं आता ।

(ग) ठेकेदार के अनुसार, भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों द्वारा कच्चे लोहे की प्रति टन की दर को बढ़ाने से इन्कार करने के कारण इस प्रतिष्ठान को बन्द करने की आवश्यकता पड़ी । सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), विलासपुर द्वारा ठेकेदार को यह समझाने की कोशिश की गई कि वह खान पर दुबारा काम चालू करे । परन्तु वह भिलाई स्टील प्लांट के मैनेजमेंट द्वारा लागू की गई दर पर काम चालू रखने को तैयार नहीं है ।

सलाहकार समितियां तथा बोर्ड

7600. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियों, बोर्डों पर अन्य ऐसी ही अन्य संस्थाओं के नाम क्या हैं, उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक को क्या काम सौंपा गया है ;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में कितने कर्मचारी हैं और कितने अधिकारी हैं ; और

(ग) 1966-67 में इन संस्थाओं पर कुल कितना धन खर्च किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आयातित चावल तथा माइलो के लिये राज सहायता

7601. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित चावल तथा माइलो के लिये अब तक राज सहायता दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन दो खाद्यान्नों पर प्रति क्विंटल कितनी राज सहायता दी जाती है और उसके परिणामस्वरूप कितना वार्षिक व्यय होता है ;

(ग) इन खाद्यान्नों के देश में वसूली मूल्य तथा उन खाद्यान्नों के आयात पर सरकार की लागत कितनी होती है ; और

(घ) कुल कितनी राज सहायता दी जाती है और इससे किन मुख्य राज्यों को लाभ होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) आयातित चावल के लिये लगभग 39 रुपये प्रति क्विंटल और आयातित माइलो के लिये 7 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से राज सहायता के दिये जाने का अनुमान है । राज-सहायता के रूप में वार्षिक खर्चा कितना होता है यह केन्द्रीय भण्डारों से जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा पर निर्भर करेगा । वित्तीय वर्ष 1967-68 के लिये आयातित चावल और माइलो पर क्रमशः लगभग 14.48 करोड़ रुपये और 23.50 करोड़ रुपये की राज-सहायता के दिये जाने का अनुमान है ।

(ग) मोटे चावल की आयातित लागत जिसमें खुले अनाज की कीमत, समुद्री भाड़ा, बीमा और बोरियां भरने, सम्भालने, संचयन, आन्तरिक ढुलाई आदि पर प्रांसगिक खर्चे शामिल हैं, अनुमानतः 135 रुपये प्रति क्विंटल है। विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न मूल्यों पर देशी चावल अधिप्राप्त किया जा रहा है। सभी राज्यों से अधिप्राप्त चावल का तुलनात्मक एकीकृत मूल्य 96 रुपये प्रति क्विंटल है। अतः चावल के मामले में यह अन्तर 39 रुपये प्रति क्विंटल है। माइलो के बारे में प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह देश में पैदा नहीं होती है।

(घ) राज-सहायता की कुल राशि के बारे में स्थिति प्रश्न के उत्तर के भाग (ख) में बता दी गई है। प्रत्येक राज्य को कितनी राज-सहायता मिलती है इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि राज-सहायता खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य पर दी जाती है और किसी राज्य सरकार को अलग से राज-सहायता नहीं दी जाती है। अतः किसी राज्य को कोई विशेष लाभ होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Pass Books to Farmers in U. P.

7602. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4607 on the 21st March, 1968 and state :

(a) whether the work of issuing Pass-Books to the farmers in U. P. has been completed; and

(b) if not, the extent of progress made in this regard so far?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). During the consolidation of holdings operations, every tenure holder is provided with complete details of the plot included in his chak, its area and the land revenue payable. Consolidation operations have been completed in respect of about 207 lakh acres.

A Certificate is also issued when a Sirdar acquires Bhumidari rights, which indicate full details of the plots in respect of which Bhumidari rights are acquired.

There is also a provision for issue of extracts of khatauni and khasra to tenure holders on payment of a nominal fee. Extracts are issued on application by tenure holders.

25-Line Automatic Telephone Exchange in Gorakhpur District

7603. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sanction has been accorded for the installation of a 25-line Automatic Telephone Exchange at Kowdiram in Gorakhpur District of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the progress made so far in this regard?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) Necessary stores have been arranged. The exchange is expected to be commissioned by the end of August, 1968.

Industrial Undertakings Under Control of Department of Communications

7604. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of undertakings State-wise, which are functioning under the control of his Department and the amount invested in each ;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each one of them ;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring at par with other States the backward economy of Uttar Pradesh ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a)	**Name of the Undertaking**	**Location**	**Amount invested by the Government of India in the share capital**
(i)	Indian Telephone Industries Ltd.	Bangalore (Mysore State)	Rs. 3,58,74,500
(ii)	Hindustan Teleprinters Limited.	Madras	Rs. 82,00,000

(b) It is proposed to set up a new factory for the manufacture of long distance transmission equipment. The estimated capital expenditure on the new factory would be Rs. 245 lakhs. Its location has not yet been decided.

(c) and (d). A request has been received from the Government of Uttar Pradesh for the location of the proposed transmission factory in that State. This request is under consideration of the Government of India along with similar requests received from other State Governments.

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

7605. **श्री स० चं सामन्त :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालकाजी (नई दिल्ली) में रिहायशी तथा गैर-रिहायशी प्लाटों के विकास तथा उनमें पुनर्वास के लिये अब नियत की गई 218.3 एकड़ भूमि को खरीदने पर सरकार के अनुमानित व्यय तथा वास्तविक व्यय का ब्योरा क्या है ; और

(ख) दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की अन्य बस्तियों की तुलना में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती के लिये निर्धारित प्रीमियम, भूमि के किराये तथा ब्याज की दर कितनी कम या अधिक है और अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क)और(ख). एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-921/68**]

नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित बड़ा डाकघर

7606. **श्री स० चं समान्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित बड़ा डाकघर अभी भी दूसरी श्रेणी का डाकघर ही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस बड़े डाकघर के प्रथम श्रेणी में रखे जाने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हां ।

(ख) डाकघरों को उनमें काम करने वाले क्लर्कों की संख्या के आधार पर श्रेणी I के पोस्टमास्टरों के अधीन कार्य करना होता है । इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली के बड़े डाकघर में क्लर्कों की संख्या 115 है । आमतौर पर केवल उन्हीं डाकघरों को श्रेणी I के पोस्टमास्टर के अधीन रखा जाता है जिनमें लगभग 300 क्लर्क काम करते हों ।

शरणार्थियों पर पुनर्वास

7607. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से आने वाले, तिब्बती तथा विदेशों के अन्य भारतीय शरणार्थियों को बिहार में बसाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिहार में कितने शरणार्थियों तथा किन-किन जिलों में बसाया गया है और वे शरणार्थी कहां-कहां के हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

असिंचित क्षेत्रों के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था द्वारा विकसित नई किस्म का गेहूं

7608. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री महाराज सिंह भारती : **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने असिंचित क्षेत्रों के लिये

एक नई किस्म का गेहूं तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). कुछ समय से भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान असिंचित क्षेत्रों के लिये अधिक उत्पादनशील किस्मों के विकास के सम्बन्ध में कार्य करती रही है। अब तक जो अनुसन्धान कार्य हुआ है उससे पता चला है कि जब असिंचित भूमि में गेहूं उगाया जाता है तो प्रति पौदे में अंकुरण निकलने की संख्या बढ़ जाती है। आमतौर पर ऐसी फसलों में 1-3 बार अंकुरण होता है, अत: दानों की संख्या या दानों के भार में वृद्धि करके उपज में सुधार किया जा सकता है। इसी दृष्टि से किस्मों का चुनाव किया जाता है और उनका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विकास किया जाता है। इनमें से कुछ किस्मों के परीक्षणों से अच्छे परिणाम निकले हैं। इन किस्मों के वर्धन हेतु जारी होने और वितरण से पहले और परीक्षण किये जायेंगे।

Rice Supply to Bihar

7609. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4627 on the 21st March, 1968 and state :

(a) the quantity of rice supplied to Bihar annually during the period from 1957 to 1967 ;

(b) the reasons for which less quantity of rice was supplied to Bihar in 1967 as compared to previous years despite the scarcity conditions as a result of famine and flood and low yield of rice ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-922/68]**

(b) The scarcity and famine conditions in Bihar in 1967 made it necessary for Government to distribute very large quantities of grain which was as cheap as possible. Apart from rice being in very short supply during the year, wheat and milo were also cheaper than rice.

खाद्यान्नों की वसूली

7610. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 21 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 751 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली की प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं ;

(ख) दोषों को दूर करने तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में अब तक धान (चावल) वस्तुत: कितनी मात्रा में वसूल किये गये हैं और इसका लक्ष्य कितना था ; और

(घ) किन-किन राज्यों में चने, गेहूं चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के दाम निम्नतम वसूली मूल्य से कम हो गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कुछ राज्यों में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति में धीमी गति का मुख्य कारण देर से कटाई होना है। गत वर्ष मानसून के देर से शुरू होने के कारण धान का रोपण देर से हुआ और फलस्वरूप विलम्ब से कटाई हुई। कुछ राज्यों में अधिप्राप्ति की धीमी रफ्तार के अन्य कारण राजनीतिक अस्थिरता और परिणामत: विशेष रूप से बहुत से दलों से बनी सरकारों के प्रयत्नों में ढीलापन है। कटाई से थोड़ी देर पहले फसलों को कुछ क्षति पहुंचने से भी पूर्वानुमानित स्तर तक अधिप्राप्ति नहीं हुई।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारें अधिप्राप्ति तेज करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन कुछ राज्यों में कटाई से थोड़ी देर पहले फसलों को क्षति पहुंचने से लक्ष्य पूरे करने में कठिनाई होगी।

(ग) विभिन्न राज्यों में चावल और धान की अब तक अधिप्राप्त की गई मात्राएं और कृषि मूल्य आयोग द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-923/68]**

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार के ध्यान में कोई मामला नहीं लाया गया है कि किसी क्षेत्र में उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों के भाव अधिप्राप्ति भावों से नीचे आ गये हैं।

Labour Agitations

7611. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have undertaken any study to ascertain to which extent the recent labour agitation during the last year were politically motivated ; and

(b) if so, the results thereof and the action taken thereon ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Crop Insurance Scheme

7612. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether all the State Governments have reached an agreement in regard to crop insurance scheme ;

(b) if so, the details regarding the amended scheme ; and

(c) if not, the points of disagreement ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (c). Only nine States have sent their comments on the crop insurance scheme. Replies have not been received from other States. A summary of replies received is placed on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-926/68]**

(b) Question of amendment of the scheme does not arise at this stage as replies received so far generally support the crop insurance scheme in principle.

Sale of Imported Wheat

7613. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sale of imported wheat is declining fast because of the arrival of indigenous wheat in the market this year ;

(b) the stock of imported wheat with Government at present ;

(c) whether Government propose to reduce the price of imported wheat or to increase the subsidy on it ; and

(d) if not, the manner in which Government propose to dispose of this wheat ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. Wherever imported wheat is being issued as such, there has not yet been any decline in its sale. The Government is, however, trying to reduce the issues.

(b) On 1.4.1968, about 335,000 tonnes of wheat was available in Central Government depots.

(c) No, Sir.

(d) There is no need for any quick disposal of these stocks. They will, however, be issued as and when required under the usual distribution arrangements of the Government.

Post Offices in Maharashtra villages

7614. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number and names of villages having Gram Panchayats in Maharashtra where there are no post offices ;

(b) whether it is proposed to open post offices in all such villages ; and

(c) if so, the names of the villages in Yeotmal district of Maharashtra where post offices have not been opened even though they are having Gram Panchayats and the time by which it is proposed to open post offices there ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Telegraph Offices in Maharashtra

7615. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Telegraph offices opened in Maharashtra District-wise during 1966-67 and 1967-68 and the names of the places where they were opened ;

(b) the places where Telegraph Offices are proposed to be opened during 1968 and 1969 ; and

(c) whether Telegraph offices have been opened at all such places in Maharashtra where Panchayat Samiti headquarters are located and if not the time by which Telegraph offices would be opened there ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha shortly.

Supply of Indigenous Wheat to Flour Mills

7616. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether monthly quota of imported wheat is given to flour mills in the country for producting atta, suji and maida ;

(b) whether it involves high transportation expenses to Government ; and

(c) whether Government propose to supply indigenous wheat to flour mills in place of imported wheat in view of bumper wheat crop and high transportation expenses ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Imported wheat is supplied to flour mills f. o. r. destination. The expenditure involved is borne by the Central Government.

(c) The question is under consideration.

उत्तर प्रदेश में नलकूपों का लगाया जाना

7617. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पीने के जल तथा कृषि के जल के प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में 1960 से 1967 तक प्रतिवर्ष नलकूप लगाने तथा कुएं खोदने की एक योजना क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र से कितनी सहायता मांगी गई थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). स्टेट प्लान स्कीमों के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की संशोधित पद्धति के अनुसार, जिसे 1958-59 में लागू किया गया था, केन्द्रीय सहायता वृहत्त विकास शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाती है न कि योजना के आधार पर। यद्यपि नलकूपों के निर्माण व कूपों के ड्रिलिंग के लिये उपबन्ध किये गये हैं और स्टेट प्लान के अन्तर्गत ये कार्य अधिकाधिक संख्या में किये गये हैं तथापि इसके बारे में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के पास कोई विशिष्ट योजनायें नहीं भेजी गई हैं।

जहां तक पीने के पानी की सप्लाई की योजनाओं का सम्बन्ध है, स्वास्थ्य मंत्रालय को पृथक प्रश्न भेजा जाना चाहिये।

मध्य प्रदेश के टेलीफोन केन्द्र से आने वाले तथा जाने वाले ट्रंक काल

7618. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, हारदा, खण्डवा तथा बरहानपुर टेलीफोन केन्द्रों में प्रतिदिन औसतन कितने ट्रंक काल आते हैं और कितने ट्रंक काल बाहर जाते हैं ;

(ख) इन केन्द्रों की टेलीफोन लाइनों में खराबी होने के कारण प्रतिदिन औसतन कितने काल रद्द किये जाते हैं ; और

(ग) इन टेलीफोन केन्द्रों से सरकार को प्रति मास औसतन कितनी आय होती है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) **औसत दैनिक ट्रंक परियात (बुक किये गये काल) (अक्तूबर 1967—जनवरी 1968 के दौरान)**

टेलीफोन केन्द्र	**बाहर भेजे जाने वाले ट्रंक कालों की संख्या**	**आने वाले ट्रंक कालों की संख्या**	**कुल जोड़**
होशंगाबाद	75	45	120
हारदा	124	56	180
खंडवा	423	219	642
बरहानपुर	244	101	345

(ख) **टेलीफोन केन्द्र**	**विभागीय कारणों से रद्द किये गये कालों का दैनिक औसत (अक्तूबर 1967—जनवरी 1968 के दौरान)**
होशंगाबाद	10
हारदा	6
खंडवा	84
बरहानपुर	48

(ग) टेलीफोन केन्द्र औसत मासिक आय 1966-67 के दौरान)

	किराया (स्थानीय प्रणालियां)	ट्रंक राजस्व	कुल जोड़
	रुपये	रुपये	रुपये
होशंगाबाद	2,890	4,377	7,267
हारदा	1,367	3,627	4,994
खंडवा	4,004	24,043	28,047
बरहानपुर	10,823	12,494	23,317

मध्य प्रदेश में अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत मामले

7619. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में कितने व्यक्तियों/फर्मों के चालान किये गये ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया तथा कितने व्यक्तियों/फर्मों को दोष-मुक्त घोषित किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड

7620. **श्री गणेश घोष :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल विद्युत बोर्ड के श्रमिकों ने 16 अप्रैल, 1968 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मागें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा विवाद निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-924/68]**

(ग) सम्बन्धित पक्षों के साथ त्रिपक्षीय और अलग-अलग विचार-विमर्श किया गया परन्तु कोई भी समझौता नहीं हो सका। इस विवाद को राज्य-समझौता मशीनरी द्वारा निपटाने के लिये आगे कार्यवाही की जा रही है। कुछ मांगों में न्याय-निर्णय होना बाकी है।

कोयला खानों में कर्मचारियों की छंटनी

7621. **श्री सत्य नारायण सिंह :**

श्री वि० कु० मोडक :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोयाबाद, दक्षिण सामले, कोरबा और कटरा चोटूडीह की कोयला खानों में दिसम्बर, 1967 तक बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो छंटनी किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) छंटनी किये जाने के क्या कारण हैं ; और उनको बहाल करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जी हां। ब्योरा इस प्रकार है :

कतरस चोटुडीह		406 श्रमिक
लोयाबाद	...	364 ,,
साउथ सामले		672 ,,
फोरबा		228 ,,
	कुल :	1,670 श्रमिक

(ग) मोटे तौर पर छंटनी के कारण ये थे :

(1) कुछ पिटों/सेक्शनों का पानी में डूब जाना।

(2) पर्याप्त कार्य-स्थलों का उपलब्ध न होना।

(3) खान का चलना अलाभकारी होना।

(4) एक कोयला खान का बन्द हो जाना।

(5) कोयले की उपलभ्य राशि समाप्त हो जाना।

कतरस चोटुडीह और लोयाबाद कोयला खानों के सम्बन्ध में प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) धनबाद ने 29 फरवरी, 1968 को समझौते की असफलता की रिपोर्ट प्रस्तुत की। चूंकि छंटनी अनुचित दिखाई नहीं दी इसलिए न्याय-निर्णय की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। जहां तक साउथ सामला कोयला खान का सम्बन्ध है, श्रमिकों की बहाली के लिए कोई भी विवाद

नहीं उठाया गया । परन्तु कोरबा कोयला खान में सम्बन्धित पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले को निपटा लिया और 16 दिसम्बर, 1967 को समझौता कर लिया ।

रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी के कर्मचारी

7622. **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी के ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जिन्हें केन्द्रीय अन्तर्देशीय परिवहन निगम में रोजगार नहीं दिया गया है ; और

(ख) क्या उन्हें लोक उपक्रम ब्यूरो, रोजगार दफ्तरों और कलकत्ता पोर्ट कमिशनर्स एंड लेबर डाकयार्ड, कलकत्ता के माध्यम से रोजगार दिलाया जा रहा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) 2990

(ख) जी हां । उक्त संस्थाएं इन्हें नियुक्ति सहायता प्रदान कर रही हैं ।

Loan to a Dealer in Imported Wheat in Bulandshahr

7623. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a loan of Rs. 2,000 was sanctioned by the Government of U. P. to M/s. Gopimal and Company, the wholesale dealers of imported wheat flour at Bulandshahr in August-September, 1967 and the said amount was paid within a period of two days ;

(b) whether it is also a fact that Government have received complaints of black-marketing against the said firm ; and

(c) if so, the reasons for granting loans despite such complaints ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). A report has beeen called for from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the table of the Sabha on receipt.

सुपर फास्फेट का मूल्य

7624. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर्स एसोशिएशन आफ इंडिया देश में अधिकांश उर्वरक उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करती है ;

(ख) क्या सरकार ने सुपर फास्फेट के मूल्य-निर्धारण का उत्तरदायित्व इस संस्था को सौंपा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया में उपभोक्ताओं के विशाल समूह को समान रूप से प्रतिनिधित्व देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सुपरफासफेट के मूल्य पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है । सुपरफासफेट के मूल्य का औपचारिक निर्धारण एक फासफेट एवं सल्फर तथा पोलीथैनेलाइनड गनी वैगों जैसे मुख्य कच्ची सामग्रियों के औसत मूल्य के आधार पर फर्टीलाइजर एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा 19 मई, 1966 से किया जा रहा है । इससे पहले मूल्यों का औपचारिक निर्धारण खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा था ।

(ग) और (घ). फर्टीलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर की गई कम्पनी है । फर्टीलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया की एसोसिएशन की धाराओं में सदस्यता की कई श्रेणियां निहित हैं । कोई व्यक्ति जो सीधा कृषि से सम्बन्ध रखता है एक एसोसियेट सदस्य बन सकता है । अतः फर्टीलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया में उपभोक्ताओं को मिलाने का प्रश्न ही नहीं होता ।

पुरी डिवीजन में अनुसूचित जातियों के लिये पदों का आरक्षण

7625. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग के पुरी डिवीजन में पोस्टमैनों तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों के लिये कोई पद आरक्षित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और ये पद कितनी अवधि से रिक्त हैं ;

(ग) क्या विभागातिरिक्त कर्मचारियों तथा बाहर के उम्मीदवारों में से इन रिक्त पदों को भरने के लिए वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में कोई परीक्षा ली गई थी और क्या इस परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस आदेश की अब तक क्रियान्विति न करने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गजराल) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद

7626. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने सभी किस्म के खाद्यान्नों तथा दालों को खरीदने के लिए सभी राज्य, तहसीलों तथा तालुकों में अनाज क्रयाधिकारी नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश शाखा से ऐसी शाखाओं के तहसील-वार खोलने के बारे में भारतीय खाद्य निगम को कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम क्रम एजेन्टों के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीदारी करता है । ये एजेन्ट प्रत्येक राज्य में जहां निगम कारोबार कर रहा है, विभिन्न क्रय केन्द्रों पर कमीशन के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं । निगम ने किसी राज्य में भी अनाज क्रय अधिकारी नियुक्त नहीं किये हैं । ये अनाज क्रय अधिकारी सम्बन्धित राज्य सरकारों के सरकारी अधिकारी हैं ।

Communication Facilities at Airport in Kotah (Rajasthan)

7627. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the arrangements made for providing communication facilities to the people residing in the Shopping Centre area at the Airport in Kotah, Rajasthan ;

(b) whether it is a fact that there is no post and Telegraph Office in this area ; and

(c) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government in this regard and when ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A Departmental sub Post Office has been established (by name Gumanpura) at a distance of one furlong from the Shopping Centre.

(b) Telegraph facility is available at Kota Industrial Sub-Office which is at a distance of 2 miles.

(c) Proposal to extend telegraph and telephone facilities at Gumanpura sub-office has since been approved and the facilities will be made available shortly.

भारतीय खाद्य निगम की ऋण योजनायें

7628. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य नियम, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने हेतु ऋण देने की योजनाएं आरम्भ कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Pure Ghee Offer by an International Food Organisation

7629. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some International Food Organisation had offered 25,000 tonnes of pure ghee to India free of cost ;

(b) whether it is also a fact that Government had declined the offer ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether the offer was limited to pure ghee only or whether the offer was also made in regard to other foodstuffs ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) No formal offer has so far been received. However, the World Food Programme, a body jointly set up by the Food & Agriculture Organisation and United Nations has informally sought the views of the Government of India about utilising the gift of some surplus butter likely to be placed at its disposal by some West European countries which could be converted into ghee for use in various developing countries.

(b) and (c), No Sir. On the contrary in case a firm offer is received from WFP, Government of India will consider allotting the ghee to institutions and hospitals where needy and deserving sections of society could benefit from it.

(d) The proposal was made only for pure ghee. World Food Programme, however, provides food and foodstuffs under its regular programme for assisting economic development projects.

राज्यों में कुओं की खुदाई

7630. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि की सिंचाई करने के लिए बिजली से चलने वाले कुल कितने कुएं अब तक राज्यवार खोदे गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : राज्यवार जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-925/68**]

उद्योगों में कर्मचारी व्यवस्था

7631. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में प्रचलित पद्धति के अनुरूप कर्मचारी व्यवस्था क्षेत्र में उद्योगों को मंत्रणा और सहायता देने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से श्रम और रोजगार विभाग में एक विशिष्ट मंत्रणा सेवा स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) निकट भविष्य में कर्मचारी व्यवस्था में सुधार करने और भविष्य में कर्मचारियों की संख्या में विकास तथा भारत में मानवीय सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में गवेषणा करने के लिए सरकार द्वारा विचार की जा रही योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास (मंत्री श्री हाथी) : (क) से (ग). कार्मिक प्रबंध परामर्श सेवा स्थापित करने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया गया और यह अनुभव हुआ है कि इस समय किफायत की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर इस योजना को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ेगा। इस परामर्श सेवा का क्या रूप होगा और क्या यह श्रम मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन होगी, इस बारे में उपयुक्त समय पर निर्णय लिया जायेगा।

औद्योगिक उपक्रमों में कार्मिक अधिकारी, श्रम अधिकारी तथा कल्याण अधिकारी

7632. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में औद्योगिक एककों तथा अन्य संस्थानों में कार्मिक अधिकारियों तथा कल्याण अधिकारियों के परस्पर व्यापी कार्यों में व्याप्त गड़बड़ को दूर करने के हेतु इन अधिकारियों के कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के बारे में भी कोई पृथक संहिता बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). कल्याण अधिकारियों तथा श्रम अधिकारियों के कार्यों एवं हैसियत सम्बन्धी प्रश्न पर और इस प्रश्न पर कि क्या उन्हें सामान्यत: कार्मिक कार्य सौंपे भी जाने चाहिए या नहीं, श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा श्री रा० के० मालवीय की अध्यक्षता में नियुक्त की गई श्रम-कल्याण समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारी व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकारी

7633. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को उन सम्भावनाओं की जांच करने के लिए अलग से अनुदेश दिये हैं जिनके आधार पर भारत के लिये भावी प्रस्तावित एक रूप श्रम संहिता में ऐसे उपबन्ध सम्मिलित किए जा सकें, जिनके अनुसार औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने और औद्योगिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान, बागान तथा खानों में कार्मिक व्यवस्था सम्बन्धी अधिकारियों की नियुक्ति करना अनिवार्य हो ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : जी नहीं। आयोग के विचारार्थ-विषयों में उसके कार्य-क्षेत्र की व्याख्या की गई है।

राजभाषा (विधायी) आयोग

7634. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री वि० ना० शास्त्री : **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा (विधायी) आयोग को पुनर्गठित करने का विनिश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उसका संघटन कैसा है ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) पिछले आयोग की अवधि 31 मार्च, 1968 को समाप्त हो गई इसलिए पुनर्गठन की आवश्यकता हुई।

(ग) पुनर्गठित आयोग में एक अध्यक्ष और 15 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इनमें से 5 हिन्दी के और 11, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तामिल, तेलुगु और उर्दू के प्रतिनिधि होंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

7635. **श्री अंबचेजियान :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में कुछ अधिकारी अपनी नियुक्ति के समय से अभी तक उसी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कितने हैं ; और

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों को लगाने तथा उनके तबादले की समुचित व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सूचना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से एकत्र की जा रही है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

7636. **श्री अंबचेजियान** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनेक अधिकारियों को किराये के रिहायशी मकानों के लिये उनके मूल वेतन के दस प्रतिशत तक की राज-सहायता समय-समय पर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कुल कितने हैं, जिन्हें वर्ष 1963 से 1967 तक की अवधि में राज-सहायता दी गई थी अथवा जिनके लिए इस संगठन ने किराए पर मकान लिए थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसी प्रकार की सुविधा इस संगठन के अधीनस्थ कर्मचारियों को भी दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की संख्या कितनी है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) 38, यह उन अधिकारियों के लिये किया गया है जिन्हें सरकारी मकान दिए गए हैं या ऐसे मुख्य कार्मिकों के लिए किया गया है जो अस्थाई प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा जिनका सामान्य रूप से स्थानान्तरण हो जाता है ।

(ग) और (घ). (ख) में दी गई संख्या में, तीसरी श्रेणी के दो अधिकारी भी शामिल हैं ।

भविष्य निधि आयुक्त

7637. **श्री अंबचेजियान** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय के कुछ सहायक भविष्य निधि आयुक्तों को शीघ्र दो पद ऊपर चढ़ाकर प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड 2) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कितने हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). 1962 में एक सहायक भविष्य निधि आयुक्त को, जो कि उस समय सबसे सीनियर विभागी अधिकारी थे, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड 2) के पद पर पदोन्नत किया गया ।

(ग) सरकार द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था के निदेशक

7638. **श्री प० मु० सैयद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस संस्थान द्वारा केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था के निदेशक के विरुद्ध जांच शुरू कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस निदेशक के, जिन्हें मार्च, 1968 में सेवानिवृत्त होना था, सेवाकाल में इस जांच-पड़ताल से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजात में हेरफेर न की जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इस बारे में अन्य किन-किन वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जांच आरम्भ की गई है ; और

(घ) जांच कब पूरी हो जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) विशेष पुलिस संस्थान ने उन रिकार्डों को अपने कब्जे में ले लिया है जिनका संबंध इस जांच-पड़ताल से प्रतीत होता था ।

(ग) किसी के विरुद्ध नहीं ।

(घ) जांच-पड़ताल पूरी होने में कुछ और मास लगने की सम्भावना है ।

Supply of Fertilisers in Buldandshahr

7639. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the quantities of imported and indigenous fertilizers distributed through Co-operative Socities Development Blocks in Bulandshahr District during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : The required information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Distribution of Hybrid Seeds by Co-operative Societies

7640. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the new types of hybrid seeds distributed by the Co-operative Societies/Development Blocks in District Bulandshahr in 1967-68; and

(b) the number of farmers who have been benefited by them?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Expenditure on Development Blocks in Bulandshahr District

7641. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount of grants sanctioned for the Development Blocks in District Bulandshahr during the last three Five Year Plans under each heads of expenditure;

(b) whether the entire amount has been spent; and

(c) if not, the amount not utilised so far?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House in due course.

न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स के कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान

7642. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स के मजदूरों की भविष्य निधि का भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो 1 मार्च, 1968 को कुल कितनी राशि दी जानी थी ; और

(ग) उसे वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). 1 मार्च, 1968 को इस मिल ने कर्मचारी भविष्य निधि की 11,57,108 रु० की बकाया राशि अदा करनी थी।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत शुरू की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप मिल की सम्पत्ति कुर्क की गई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत एक शिकायत की जांच की जा रही है।

Removal of Postmen and Other Postal Employees from Service

7643. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that some Postmen and other employees working in the Post Offices in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan and Delhi were removed from service on charges of irregularities and mis-appropriation ; and

(b) the number of Postmen and other postal employees removed from service during 1966 and 1967 on these charges in the said States and the number of those who were prosecuted in courts ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Temporary Post and Telegraph Offices in Ujjain District of M. P.

7644. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of temporary Post and Telegraph Offices proposed to be opened in Ujjain District of Madhya Pradesh in connection with 'Singhast' festival to be celebrated in April-May, 1968.

(b) the places where such Post and Telegraph offices will be located for the convenience of pilgrims ; and

(c) whether Government propose to provide the facility of sending telegrams in Hindi alongwith English in this Hindi-speaking area ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). Camp Post and Telegraph Offices have been established at Datta Akhada (Ujjain) and at Amgapar (Singhasta mela).

(c) Yes.

Post Offices and Sub-Post Offices in Madhya Pradesh

7645. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Post Offices and sub-Post Offices in Madhya Pradesh are still housed in rented accommodation out of those set up during the Second and Third Five Year Plans in the State ;

(b) if so, the number of such Post Offices as are still housed in rented accommodation ; and

(c) the total amount which Government pay towards rent of such accommodation ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) 386.

(c) Rs. 23,149.00 per month.

Rice Mills and Sugar Mills in U. P.

7646. **Shri Kukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the amount of grant given to each rice and sugar mills in Uttar Pradesh during 1966-67 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No grant was given to any rice or sugar mill in Uttar Pradesh during 1966-67.

Delhi Cloth Mills, Ltd.

7647. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Delhi Cloth Mills are given much less bonus, as compared to the profits earned by the Mills ;

(b) if so, the amount of profit earned by the Mills during the last five years and the amount of bonus given to the employees each year ;

(c) the basis on which bonus is given to the employees ; and

(d) whether Government have received any complaints in this regard and if so, the action taken thereon ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) From the accounting year 1964-65, bonus is payable according to provisions of the Bonus Act, 1965. The management is reported to have appealed to the Supreme Court against the Award of the Industrial Tribunal in regard to the bonus for the year 1964-65, about which there was a dispute.

(b) The bonus declared for the last 5 years is as under :

1962-63 : 1/5th of basic wages inclusive of the Central Wage Board recommended increase.

1963-64 : 10.43% on total earnings including Dearness Allowance.

1964-65 : 6% of total earnings. (The managements' appeal against the awarded additional bonus is pending before the Supreme Court).

1965-66 : Interim payment of 4% pending decision of the Supreme Court in the preceding year.

1966-67 : Interim payment of 4% pending decision of the Supreme Court in the appeal.

The figures of profit in respect of the Delhi Cloth Mills are not available separately.

(c) Bonus for the years 1962-63 and 1963-64 was given as a result of an agreement with the unions, while bonus for 1964-65 declared at the rate of 6% was, according to the management, calculated on the basis of the provision of the Payment of Bonus Act, 1965. For the years 1965-66 and 1966-67 the management have paid the minimum bonus of 4% provided under the Payment of Bonus Act as the dispute regarding bonus for the year 1964-65 is still pending before the Supreme Court.

(d) No.

Wages of Delhi Cloth Mills Workers

7648. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Wage Board had recommended for the fixation of new rates of wages for the workers of the Delhi Cloth Mills, but their wages have not been fixed in accordance with the recommendations of the Board ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the pay scales recommended by the Wage Board for the said employees and the revised pay scales given to them during the last three years ;

(d) whether Government have received any complaints in this regard ; and

(e) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No, Sir. The management have implemented the recommendations of the First Central Wage Board for Textile Industry.

(b) Does not arise.

(c) The information regarding pay scales and wages recommended by the Wage Board is available from the report of the Wage Board copies of which have been on sale since 1960. The scales actually allowed vary according to the various categories of jobs on which they are employed.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Sugar and Rice Mills

7649. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of sugar and rice mills in the country ; and

(b) the total number of persons working therein and the number of regular and temporary workers, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) :—

Sugar Mills		..	205
Rice Mills—	Huller :	..	44,036
	Sheller :	..	2,649
	Combined Huller & Sheller :	..	3,810
	Total	..	50,495

(b) The number of persons working in sugar mills is about 2·05 lakhs. Information regarding the number of regular and temporary workers, separately, in sugar mills is not available. Information regarding number of workers in rice mills is not available.

कर्तक जन्तु नियन्त्रण अभियान

7650. **श्री मोहन सिंह ओबराय :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन पैस्ट कंट्रोल एसोसिएशन ने सरकार की सलाह से राष्ट्र व्यापी कर्तक जन्तु नियन्त्रण अभियान चलाने के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस समिति को उसके आयोजित अभियान में सरकार क्या सहायता देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। इण्डियन पैस्ट कन्ट्रोल एसोशिएशन ने मूषक नियन्त्रण सम्बन्धी किसी समिति की स्थापना के लिए भारत सरकार से सलाह नहीं ली है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय श्रम आयोग अध्ययन दल की सिफारिशें

7651. **श्री मोहन सिंह ओबराय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय श्रम आयोग के एक अध्ययन दल ने सरकार से यह सिफारिश की है कि श्रमिकों सम्बन्धी कानून के सम्बन्ध में उर्वरक उद्योग को केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन रखा जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम होंगे; और

(ग) क्या इस मामले में अन्तिम निर्णय करने से पहले राज्य सरकारों की सलाह ली जायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) इन प्रस्तावों पर राष्ट्रीय श्रम आयोग ने विचार करना है ;

(ग) आयोग सभी सम्बन्धित पक्षों से, जिनमें राज्य सरकारें भी हैं, विचार-विमर्श करेगा।

पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ से शिकायत

7652. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ, आसनसोल से शिकायत मिलने पर

उनके मंत्रालय ने समयोपरि काम करने के लिये समयोपरि भत्ते का भुगतान न दिए जाने के सम्बन्ध में श्रम सम्बन्धी कानूनों के उल्लंघन किए जाने के बारे में जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय जांच किस अवस्था में है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। परन्तु ईस्टर्न रेलवे (आसनसोल डिवीजन) के कुछ कर्मचारियों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी और उसकी जांच जारी है।

(ख) इस सम्बन्ध में रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के बारे में समाचार-पत्र कर्मचारी संगठन की मांग

7653. **श्री देवेन सेन :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री सीताराम केसरी : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार-पत्र कर्मचारी संगठनों की केन्द्रीय समन्वय समिति ने 31 मार्च, 1968 को कलकत्ता में एक बैठक में यह निर्णय किया था कि पत्रकारों के लिए मजूरी आदेश और गैर-पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित करने की मांग करने के लिये समूचे देश में समाचार-पत्रों में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को अखिल भारतीय समाचार-पत्र कर्मचारी संघ द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें समाचार-पत्रों के कर्मचारियों के संगठनों की केन्द्रीय समन्वय समिति के उस सुझाव का समर्थन किया गया है जिसमें श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए समस्त भारत के समाचार-पत्रों के कर्मचारियों से 23 अप्रैल की प्रथम पारी से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल करने का अनुरोध किया गया।

(ख) दोनों मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

फालतू भूमि का वितरण

7654. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों से, जहां फालतू भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान क्रियान्वित किये जा चुके हैं, राज्यवार, कुल कितनी फालतू भूमि वितरण के लिए उपलब्ध है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : लगभग समस्त राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा के विषय में कानून बनाये जा चुके हैं। ये कानून क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। अब तक 20 लाख एकड़ से अधिक भूमि राज्यों द्वारा या तो फालतू घोषित की जा चुकी है या पुनः वितरण हेतु कब्जे में ले ली गई है। राज्यवार स्थिति निम्न प्रकार है :

राज्य	क्षेत्र जो या तो फालतू घोषित किया जा चुका है या कब्जे में लिया जा चुका है। (एकड़ों में)
आन्ध्र प्रदेश	73,692
आसाम	45,788
गुजरात	41,030
हरियाना	1,82,250
जम्मू तथा काश्मीर	4,50,000
मध्य प्रदेश	75,581
मद्रास	24,136
महाराष्ट्र	2,46,619
उत्तर प्रदेश	2,30,846
पश्चिमी बंगाल	7,94,410
हिमाचल प्रदेश (सम्मिलित क्षेत्र)	6,525
त्रिपुरा	42

जम्मू तथा काश्मीर में क्रियान्विति का कार्य पूरा हो चुका है। अन्य राज्यों में क्रियान्विति का कार्य जारी है और कानून लागू होते ही और अधिक भूमि उपलब्ध होने की सम्भावना है।

सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड

7655. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र हैं, जहां पर सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने के लिये सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड स्थापित किये गये हैं ;

(ख) ऐसे कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र हैं जहां ऐसे सलाहकार बोर्ड स्थापित नहीं किये गये हैं ; और

(ग) सहकारी खेती समितियों के कार्य-संचालन में इन सलाहकार बोर्डों द्वारा क्या काम किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में खेती के लिये भूमि

7656. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने 1967-68 और 1968-69 में 20,000 एकड़ क्षेत्रफल वाले बड़े-बड़े क्षेत्रों को खेती योग्य बनाने की योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और अब तक कितने एकड़ भूमि पर खेती की गई है ; और

(ग) खेती आदि के अन्तर्गत अब लाई गई भूमि का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मनिपुर में लघु सिंचाई योजनायें

7657. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार को मंजूरी हेतु अब तक कितनी लघु सिंचाई योजनायें भेजी हैं ;

(ख) किन-किन योजनाओं को अब तक मंजूर किया गया है ;

(ग) कौन-कौन सी योजनायें अभी मंजूरी के लिये अनिर्णीत पड़ी हैं ; और

(घ) अनिर्णीत योजनाओं के अब तक मंजूर न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). मनिपुर की लघु सिंचाई योजना के भूमि की ऊपरी सतह के पानी की योजनायें, नदियों पर पम्प सेट लगाने व पम्प सेटों की योजनायें शामिल हैं । इन दो बृहत्त शीर्षकों के अन्तर्गत अलग-अलग योजनाओं को शुरू करना मनिपुर सरकार के हाथ में है, अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा पृथक योजनाओं की स्वीकृति देने का प्रश्न ही नहीं होता । 1966-67 तथा 1967-68 की अवधि में मनिपुर ने इन योजनाओं पर 3 लाख रुपये की रकम व्यय की है और इनके लिये 1968-69 के लिये योजना आयोग ने 2 लाख रुपये की रकम मंजूर की है ।

मजूरी बोर्डों की शक्तियां

7658. **श्री दामानी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी निर्धारण तथा सेवा की शर्तों के बारे में मजूरी बोर्डों की शक्तियों पर सरकार पुनर्विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) मजूरी बोर्ड पद्धति के सब पहलुओं पर पुनरीक्षण करने के लिये राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा एक समिति स्थापित की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है। मजूरी बोर्डों का काम शीघ्र पूर्ण कराने के उपाय सुझाने के बारे में सुझाव देने और मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को पूर्णत: कार्यान्वित कराने के लिये स्थाई श्रम-समिति द्वारा भी एक द्विपक्षीय समिति स्थापित की गई है। समिति का विचार-विमर्श अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

(ख) इस मामले पर सरकार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

राजस्थान के सीमा क्षेत्रों का संसद् सदस्यों द्वारा दौरा

7659. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **संसद् कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1965 में संसद्-सदस्यों का एक दल राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास कार्यों तथा वहां की अल्प विकसित जातियों की सामाजिक, आर्थिक दशा का स्थान पर जाकर अध्ययन करने के लिये उस क्षेत्र में गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) क्या इस दल के दौरे के बाद यह घोषणा की गई थी कि जेसलमेर जिले के सीमावर्ती गांवों में सब भूमिहीन लोगों को अन्य सहायता योजनाओं के साथ-साथ खेती के लिये प्रति परिवार 75 बीघा भूमि आवंटित की जायेगी ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह आश्वासन अब तक पूरा किया गया है ;

(ङ) क्या संसद्-सदस्यों का यही दल पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात तथा महाराष्ट्र के ऐसे ही सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गया था ;

(च) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक सीमा क्षेत्र के लिये क्या-क्या विशिष्ट सिफारिशें/सुझाव दिये गये हैं; और

(छ) क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन की एक प्रति संदर्भ के लिये संसदीय पुस्तकालय में रखने का है ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) संसद्-कार्य विभाग ने अप्रैल, 1965 में संसद्-सदस्यों द्वारा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसी दौरे का प्रायोजन नहीं किया था ।

(ख) से (छ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Food Research Laboratory, Dehra Dun

7660. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Bureau of Investigation has investigated into the charges levelled against the officers of Food Research Laboratory, Dehra Dun that they wilfully give wrong reports about the samples of food articles ;

(b) if so, the details of the Report submitted by the Central Bureau of Investigation in this regard ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) There is no Food Research Laboratory either of the Government of India or of the U. P. Government at Dehra Dun. The question of any investigation by the Central Bureau of Investigation against the officers of the Food Research Laboratory does not, therefore, arise.

(b) and (c). Do not arise.

Telephones for High Office-Bearers of Recognised Organisations/ Associations of Central Government Employees

7661. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone is provided to the high office-bearers of recognised organisations and associations of Central Government employees on priority basis ; and

(b) if so, the number of such office-bearers, to whom telephone facility has been provided so far and names thereof?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No. There are no directives to this effect.

(b) Does not arise.

Modern Rice Mills

7662. **Shri T. P. Shah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government contemplate to set up 24 modern rice mills ;

(b) if so, the names of the places where the said mills would be set up ; and

(c) the time by which they would start functioning ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Food Corporation of India will be establishing 24 modern rice mills.

(b) The exact locations of these rice mills are still under consideration. Tentatively, it has been decided to locate these rice mills in the following States subject to the concurrence of the State Governments.

	Name of the State	No. of mills
1.	Madras	5
2.	Andhra Pradesh	4
3.	Kerala	2
4.	Orissa	3
5.	Madhya Pradesh	3
6.	Punjab/Haryana	2
7.	Bihar	3
8.	Assam	2
	Total	24

(c) All the rice mills are expected to be installed by next year.

जलभृत क्षेत्रों को पुनः भरना

7663. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नलकूपों द्वारा निरन्तर पानी निकालते रहने से जलभृत क्षेत्रों में भूमिगत पानी का भंडार धीरे-धीरे कम हो जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी भरने वाले नलकूप लगाकर इन जलभृत क्षेत्रों को पुनः भरने के लिए, जैसा कि अन्य देशों में किया जा रहा है, क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं, जब तक उस भूमिगत जल भण्डार की वार्षिक सम्पूर्ति से जिससे नलकूपों द्वारा पानी निकाला जाता है भूमिगत जल के निकालने की दर बढ़ नहीं जाती ।

(ख) उन भूमिगत जलाशयों की चेष्टाओं को देखने के कदम उठाए जा रहे हैं, जो अधिक विकास करने में प्रयुक्त किये जा रहे हैं और जिनका अब विकास करना शुरू किया जा रहा है । संकटपूर्ण क्षेत्रों में ऐसे उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं जिनसे अधिकर्ष को रोका जा सके और/अथवा पुनरावेश को सुधारा जा सके ।

खाद्यान्नों का समाहार

7665. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाहार योजना के अन्तर्गत ओला वृष्टि तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों तथा विशेषत: उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के कमी वाले क्षेत्रों से खाद्यान्नों की वसूली करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। उत्तर प्रदेश में सरकार रबी खाद्यान्नों को खुले बाजार में निर्धारित मूल्यों पर खरीदेगी न कि अनिवार्य लेवी से।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Demands of Food Employees' Association

7666. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the All-India Central Government Food Employees' Association has submitted any memorandum to Government containing their demands;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) The demands are:

(1) immediate amendment of the Food Corporations Act, 1964;

(2) total integration of the functions of the Food Department in the Food Corporation of India ;

(3) revision of scales of pay of various categories of posts ; and

(4) grant of overtime allowance to all the employees working in the Regions.

(c) The Food Corporations (Amendment) Bill, 1967 regulating the conditions of Food Department employees to the Food Corporation of India has already been introduced in the Lok Sabha and is pending consideration in the Sabha. It has also been decided to examine further the remaining demands of the Association sympathetically.

Patna-Delhi Telephone Line

7667. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the persons making telephone calls from Patna to Delhi and vice versa have to face various difficulties ;

(b) whether telephone lines get disconnected while calls are being made and some disturbing sound starts on phone ;

(c) whether the telephone line between Patna and Delhi had gone out of order recently from the 25th to 27th March, 1968 ;

(d) whether some Members of Parliament have repeatedly made complaints about it ; and

(e) if so, the causes thereof and the steps taken by Government to remove them ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Sometimes there are difficulties for users.

(b) Normally most of the Calls go through smoothly ; but sometimes the calls do get disconnected during conversation.

(c) Yes, Sir. The co-axial cable circuits between Delhi and Patna were out of order for 46 hours from 25th to 27th March, 1968.

(d) No specific complaints from any M. P. have been recorded. Subscribers did enquire about the difficulties in getting through and were being informed about the breakdown.

(e) The breakdown was due to faults in two stations midway between Sasaram and Patna. Such a simultaneous occurrence of faults in two stations is rare.

The following measures have been taken to remove the difficulties :

(i) Two hourly test of the circuits and equipment are prescribed.

(ii) An automatic tester for the trunk circuits is in the final stages of development.

(iii) The number of trunk circuits, within the limited resources available to the department to meet the traffic offered are being increased.

(iv) A system of service sampling has been introduced to get an objective idea of the service given and take suitable steps to rectify deficiencies as they are detected.

टेलीफोन का स्थानान्तरण अथवा हस्तांतरण

7668. **श्री गुणानन्द ठाकुर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमों के अन्तर्गत, एक टेलीफोन ग्राहक अपने टेलीफोन को किन कारणों से एक ही नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगवा सकता है और अपने टेलीफोन को किन कारणों से अपने संबंधियों के नाम करवा सकता है ;

(ख) झूठे कारणों से अपने टेलीफोन का स्थानान्तरण अथवा हस्तांतरण कराने पर ग्राहक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ;

(ग) यदि ऐसी शिकायतें पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाती हैं तो क्या टेलीफोन का अनियमित स्थानांतरण अथवा हस्तांतरण होने की शिकायतों को जांच करना उनके विभाग के सतर्कता अधिकारी का कर्तव्य होता है ;

(घ) क्या सतर्कता अधिकारी शिकायतों पर केवल इस आधार पर कार्यवाही करने से इन्कार कर सकता है कि शिकायत कर्ता ने अपना परिचय नहीं दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क)

टेलीफोन का स्थानान्तरण

एक ही नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए टेलीफोन के स्थानान्तरण की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि ऐसी प्रार्थना वास्तविक हो और ऐसा स्थानान्तरण तकनीकी दृष्टि से संभव हो। ये शर्तें किसी भी बड़े नगर की बहु टेलीफोन केन्द्र प्रणाली पर लागू होती हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य शर्त को भी ध्यान में रखा जाता है और वह यह है कि स्थानान्तरित कराये जाने वाले टेलीफोन के प्रारम्भिक आवेदन की तारीख जिस क्षेत्र में इस टेलीफोन को स्थानांतरित किया जाना हो उससे सम्बन्धित टेलीफोन केन्द्र के क्षेत्र के विशिष्ट वर्ग (यथा अपना टेलीफोन योजना, विशेष या सामान्य) की निर्मुक्ति की अवधि के भीतर पड़ती हो।

सम्बन्धियों के नाम टेलीफोनों का स्थानांतरण

इसकी अनुमति कुछ निकटतम सम्बन्धियों जैसे कि सगे भाई, सगी बहन, पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पत्नी और पति के मामले में दी जाती है। इस सम्बन्ध में आवेदनकर्ता को स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं।

(ख) यदि ऐसी प्रार्थना को वास्तविक न पाया जाय तो टेलीफोन के स्थानान्तरण से इन्कार कर दिया जाता है।

(ग) केवल ऐसे मामलों की जिनमें कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामलों सम्बन्धी शिकायतें की गई हों सतर्कता अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। टेलीफोन के स्थानान्तरण या हस्तांतरण सम्बन्धी अन्य शिकायतें मंडल और सर्कल के स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निपटा दी जाती हैं।

(घ) और (ङ). सामान्यतः गुमनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

अधिक उपज वाले बीजों का निर्यात

7669. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत ने कुछ अन्य देशों की अधिक उपज वाले

बीजों का निर्यात करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष बीज की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया जाना है ;

(ग) बीजों की कौन सी किस्मों का निर्यात किया जा रहा है और किन-किन देशों को निर्यात किया जा रहा है ; और

(घ) क्या ये बीज राष्ट्रीय आवश्यकताओं से फालतू हैं और यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है । केवल एक मामूली सी शुरूआत की गई है ।

(ग) भारतीय व्यापार के संशोधित वर्गीकरण के अन्तर्गत खाद्यान्नों के बीजों का प्रथम वर्गीकरण नहीं किया जाता अपितु इनका खाद्यान्नों में समावेश होता है, अतः कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) देश की अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों की आवश्यकताओं का अनुमान उन लक्ष्यों के आधार पर लगाया जाता है जो राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित किये जाते हैं और अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के आधार पर आंकी गई राष्ट्रीय मांग को दृष्टि में रखते हुए देश विशेषतः संकर मक्का, ज्वार व बाजरा और मैक्सीकन गेहूं (सोनारा 64 और लर्मा रोजो) आदि अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों का निर्यात करने की स्थिति में है ।

अधिक उपज वाले बीजों को बिक्री के लिये देने से पूर्व उनका अधिक मात्रा में उत्पादन

7670. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से अधिक उपज वाले बीजों को बिक्री हेतु देने से पूर्व उन्हें अधिक मात्रा में पैदा करने की योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक किस्म को रिलीज करने से पहले प्रारम्भिक परीक्षण, शुरू की उपज, मूल्यांकन तथा सामान्य क्षेत्रीय परीक्षणों जैसी कुछ अवस्थाओं में से गुजारा जाता है । एक किस्म को रिलीज के लिये तैयार करने से पहले इन सब बातों को करने में लगभग 5 वर्ष लग जाते हैं ।

ठीक समय पर किसी विशेष किस्म को रिलीज करने के लिये काफी मात्रा में बीज उपलब्ध करने के लिये राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान की सलाह से यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय बीज निगम को अधिकतम उन्नत किस्मों के प्रीरिलीज सीड मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम का आयोजन करना चाहिए। यूनीफार्म रीजनल ट्रायलज की उन्नति से पालकों को एक विशेष किस्म की उर्वरता के विषय में लाभदायक सूचना प्राप्त होगी और तब वह समय होगा जब राष्ट्रीय बीज निगम उन्नत किस्मों के बारे में बीज वृद्धि आयोजित करेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परीक्षण की जाने वाली उन्नत किस्मों के नाम राष्ट्रीय बीज निगम को बतायेगी और समन्वित अनुसन्धान कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सभी केन्द्रीय सरकार के अनुसन्धान केन्द्र इन किस्मों के समस्त बीज स्टाक को और अधिक वृद्धि के लिये राष्ट्रीय बीज निगम को सौंपेंगे। आशा है कि इस प्रबन्ध से एक विशेष किस्म की अन्तिम रिलीज के समय काफी बीज उपलब्ध हो सकेंगे।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने हाल ही में एक नई सोरघम किस्म, एस-413 के बीजों की वृद्धि के कार्य को शुरू किया है।

सहकारी खेती समितियों का पुनरुत्थान

7671. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी खेती समितियों का गुणानात्मक विकास करने के लिये सरकार ने हाल में राज्य सरकारों को उनका पुनरुत्थान करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है ;

(ग) क्या कुछ राज्य अपने राज्यों में और सहकारी खेती समितियां बनाने के विरुद्ध हैं क्योंकि कुछ समितियां ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ समितियों के विरुद्ध ऐसे आरोप हैं कि कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए उन्हें आवंटित किये गए धन का वे दुरुपयोग करती हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों को ठोस पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम तैयार करने के बारे में मोटे-मोटे मार्ग-दर्शक सिद्धान्त सूचित किये गये थे। पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम अभी तक असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मनीपुर से प्राप्त हुए हैं।

(ग) दो राज्य सरकारें वर्तमान समितियों की स्थिति को मजबूत बनाने में लगी हुई हैं और नई समितियां केवल तब पंजीकृत करने का निर्णय किया गया है जब कि काश्तकार स्वैच्छिक रूप से चल सकने योग्य समितियां स्थापित करने की वास्तविक इच्छा से आगे आयें।

(घ) कृषि-आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रों द्वारा किये गये केस अध्ययनों से पता चलता है कि कुछेक सहकारी खेती समितियों ने सहायता का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया है जिसके लिये वह दी गई थी।

कानूनी राशन व्यवस्था हटाना

7672. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को हाल में प्रस्ताव भेजा है कि दिल्ली को उत्तरी खाद्य क्षेत्र में शामिल किये जाने के पश्चात अनाज की कानूनी राशन व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाये तथा राशन की वर्तमान दुकानों को उचित मूल्य की दूकानों में बदल दिया जाये ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में अन्य राज्य सरकारें भी राशन व्यवस्था के समाप्त करने के पक्ष में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासन से सांविधिक राशन व्यवस्था के औपचारिक रूप से हटाने के बारे में अब तक कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दिल्ली में गेहूं और चावल के खुले बाजार में बिकने से सांविधिक राशन व्यवस्था वस्तुतः समाप्त हो गई है। इसी प्रकार वर्तमान राशन की दुकानें अब न्यून अधिक उचित मूल्य की दुकानों के रूप में चल रही हैं।

(ख) उत्तरी खाद्य क्षेत्र में अन्य राज्य के किसी शहर में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी

7673. **श्री तुलसीदास जाधव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से कितने शरणार्थी भारत में आये तथा वे वहां पर कितने मूल्य की सम्पत्ति छोड़कर आये हैं ;

(ख) क्या उन्हें मुआवजा दिया गया है और यदि हां, तो उन्हें कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 30-3-1968 तक पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या 50.13 लाख हैं। उन्होंने जो वहां सम्पत्ति छोड़ी है उसके मूल्य के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को ऐसी जायदादों का मुआवजा नहीं दिया गया है, क्योंकि इनका उपबन्ध नेहरू-लियाकत समझौते के अधीन किया जाता है जिसके अनुसार पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई अचल सम्पत्तियों के बारे में ये व्यक्ति पूर्ण स्वाम्यधिकार रखते हैं ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम

7674. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के बारे में एक निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम है जब कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के सम्बन्ध में ऐसा कोई अधिनियम नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम को पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों पर भी लागू करने का अथवा उनके सम्बन्ध में एक पृथक निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम पारित करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). निष्क्रान्त सम्पत्ति नियम जो पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के मामले में लागू होता है उसे दोनों डोमिनियनों के बीच हुए समझौते के अनुसरण में जारी किया गया था । किन्तु पूर्वी पाकिस्तान से आये निष्क्रान्तों का मामला नेहरू-लियाकत समझौते में की गई व्यवस्था के अन्तर्गत आता है, जिसके अधीन निष्क्रान्त व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति का स्वाम्य अधिकार रखते हैं । इसलिये वर्तमान निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम के लागू करने, ताकि पूर्वी पाकिस्तान के निष्क्रान्तों का मामला इसके अन्तर्गत आ जाये या पूर्वी पाकिस्तान के निष्क्रान्तों के लिये एक पृथक निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम पारित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम

7675. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था पर अब तक कितना व्यय हुआ है और उस पर 1968-69 में कितना व्यय करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : सीधी ट्रंक डायलिंग केवल ट्रंक सुविधाओं का विस्तार है और इसके द्वारा विभिन्न स्थानों के बीच ट्रंक सुविधाओं में सुधार होता है । इस कार्य को उपयुक्त ढंग से करने के लिए हमने सहधुरीय और

सूक्ष्मतरंग योजनाओं को हाथ में लिया है जिनसे बड़े पैमाने पर ऊंचे दर्जे के परिपथों की व्यवस्था होती है। हम ट्रंक स्वचल एक्सचेंज भी स्थापित कर रहे हैं जिनसे न केवल उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था होगी, बल्कि ट्रंक प्रचालकों द्वारा करचल कालों का भी अपेक्षाकृत सुचारु ढंग से निपटान किया जा सकेगा।

सहधुरीय, सूक्ष्मतरंग और ट्रंक स्वचल टेलीफोन केन्द्रों की योजनाओं पर 1967-68 के दौरान लगभग 8.34 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है, जबकि 1968-69 के बजट में इन योजनाओं के लिए 9.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

Fire in Kargali Colliery

7676. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fire broke out in Kargali Colliery (Bihar) recently ; and

(b) if so, the loss of life and property suffered as a result thereof and the causes thereof?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b). On 10th March, 1968, Washery rejection heaps in a quarry at Kargali Colliery caught fire by spontaneous heating. There was no loss of life or property.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कुछ सेना अधिकारियों द्वारा गोहाटी में नागरिकों तथा पी० टी० आई० कर्मचारियों के पीटे जाने का समाचार

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"कुछ सेना अधिकारियों द्वारा गोहाटी में नागरिकों तथा पी० टी० आई० कर्मचारियों के पीटे जाने का समाचार।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सभा को यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि गोहाटी में 14 अप्रैल, 1968 को लगभग 8 बजे रात एक दुखद घटना हुई जब एक सेना अधिकारी ने बहुत से सेना कर्मचारियों के साथ कुछ नागरिकों को, जिनमें औरतें भी शामिल थीं, पीटा। सूचना मिली है कि पी० टी० आई० के श्री मानिक चक्रवर्ती को भी इस घटना में पीटा गया। सम्बन्धित अधिकारी को असैनिक हिरासत में ले लिया गया था। सेना अधिकारियों ने जांच न्यायालय को आदेश दे दिया है कि राज्य सरकार ने

सेना अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क रखा है। हम इस बात से बहुत अप्रसन्न हैं कि सेना अधिकारी का इस घटना में हाथ है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री वेदव्रत बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है यह आवश्यक हो जाता है कि सेना ऐसे क्षेत्रों में अच्छा व्यवहार करे। अत: क्या गृह मंत्री ने सेना अधिकारियों को कहा है कि वे इस मामले पर अधिक गम्भीरता से विचार करें और उन सम्बन्धित अधिकारियों को केवल दण्ड ही न दें ?

दूसरे, आसाम में सेना उप-क्षेत्रीय मुख्यालय गोहाटी स्थित कॉटन कालेज के आहते में है तथा इससे हमेशा कठिनाई होती है। इसके बारे में सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया गया है कि इसे वहां से किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि उस मांग का क्या हुआ है ?

तीसरे यह मांग की गई थी कि सेना अधिकारियों को गोहाटी में आने-जाने से रोका जाये। क्या इस मांग पर विचार किया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया है। उन घटनाओं के बारे में जांच की जा रही है। जहां तक श्री चक्रवर्ती का सम्बन्ध है इस घटना की भी जांच की जा रही है। निस्सन्देह यह बहुत दुखद दुर्घटना है परन्तु मेरा यह निवेदन है कि हमें इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आसाम में सेना और नागरिकों के बीच कुछ तनाव है। मैं समझता हूं कि आसाम की स्थिति के बारे में हमें ऐसा निष्कर्ष निकालने में बहुत सावधान होना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : समय-समय पर पुलिस की सहायता से काम करने के लिये सेना के प्रयोग के कारण तथा अधिक समय तक सेना अधिकारियों की उपस्थिति, जो असामान्य रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, से ऐसी घटनायें होती हैं। परन्तु इसके लिये सारी सेना उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए कुछ अधिकारियों को दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या मंत्री महोदय, सम्बन्धित व्यक्तियों को यह हिदायत देंगे कि वह इस सेना अधिकारी के मामले को सैनिक अधिकारियों को सौंप दें।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है इसमें सैनिक अथवा असैनिक कार्यवाही की कोई बात नहीं है।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : There is no dignity of women, Harijans, journalists etc. May I know whether keeping that in view Government is going to institute an impartial enquiry against what has happened in Gauhati ? May I also know the steps Government propose to take to protect the journalists ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि इस बारे में कार्यवाही की जायेगी कि ऐसी घटनायें पुनः न घटें।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : ऐसा प्रतीत होता है कि गृह-कार्य मंत्री को कहानी के एक हिस्से का ही पता लगा है। क्या यह बात सच नहीं है कि इससे पहले एक जीप की रिक्शा के साथ टक्कर हो गई थी। उसमें किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई थी परन्तु उस समय भी भीड़ वहां पर जमा थी उसने जीप में बैठे हुए सेना अधिकारी को पीटना आरम्भ कर दिया था तथा जीप के ड्राइवर को भी बाहर निकाल कर पीटना शुरू कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हमें लोगों के व्यवहार की निन्दा करनी चाहिये।

श्री रणधीर सिंह : सही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस मामले में हम न तो सेना को और न ही असैनिक लोगों को दोषी ठहरा सकते हैं क्योंकि हम केवल समाचारों पर ही निर्भर कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस अधिकारी के आचरण के बारे में की जा रही जांच के अलावा इस बारे में जांच कराने का भी प्रयत्न करेंगे कि जब से ये घटनायें घटी हैं तब से गोहाटी में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति रही है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस जांच के पूरे होने तक गोहाटी में सैनिक और असैनिक लोगों के सम्बन्ध में सुधार करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जांच पूरी होने के बाद ही हम अपना अनुमान लगा सकते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि सैनिक और असैनिक लोगों के बीच सम्बन्ध खराब नहीं हैं। मुझे जानकारी मिली है कि इस अवसर पर भी घटना की खबर सुनते ही उपायुक्त स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मामले को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया तथा सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कानून और व्यवस्था के लिये उत्तरदायी अधिकारी अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तारयन्त्र (पहला संशोधन) नियम

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं भारतीय तारयन्त्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयन्त्र (पहला संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 524 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 525 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०**-912/68]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा भारत के खाद्य निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(एक) जी० एस० आर० 674 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मोटा चावल (अधिकतम मूल्य) आदेश, 1964 का विखण्डन किया गया।

(दो) जी० एस० आर० 675 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास मोटा चावल (अधिकतम मूल्य) आदेश, 1964 का विखण्डन किया गया।

(तीन) गुड़ (प्रयोग का विनियमन) आदेश, 1968 जो दिनांक 3 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 685 में प्रकाशित हुआ था।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-913/68]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारत के खाद्य निगम के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-914/68]

गोदी श्रमिक (सलाहकार समिति) संशोधन नियम

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं गोदी श्रमिक (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत गोदी श्रमिक (सलाहकार समिति) संशोधन नियम, 1968 (पहला संशोधन) की एक प्रति जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1169 में प्रकाशित हुए थे। सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-915/68]

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में
RE. CALLING ATTENTION NOTICES

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा आरम्भ करने से पहले मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश की उद्घोषणा के बारे में चर्चा करते समय आप साम्प्रदायिक दंगों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इस सत्र के दौरान मैं दो बार देश की साम्प्रदायिक स्थिति

के बारे में चर्चा करने की अनुमति दे चुका हूं। यदि आप चाहें तो मैं हर धरना पर चर्चा करने की अनुमति दे सकता हूं परन्तु इस प्रकार आपत्ति नहीं की जानी चाहिये। मेरा निवेदन यह है इस प्रकार प्रश्न करना उचित नहीं है। यदि माननीय सदस्य तीसरी बार चर्चा करना चाहते हैं तो मैं कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुला लूंगा। उसमें मंत्री तथा कांग्रेस दल के सदस्य भी होंगे तथा हम निर्णय कर लेंगे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : मैं चर्चा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके द्वारा अपना मार्ग-दर्शन चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन है। इलाहाबाद में बहुत गम्भीर घटनायें घटी हैं। माननीय गृह-मंत्री अपने आप इस बारे में वक्तव्य देने को तैयार नहीं है जबकि यह उनका उत्तरदायित्व है। अतः सरकार को अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए और सभा को सारी स्थिति से अवगत कराना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब उत्तर प्रदेश पर चर्चा होने वाली है। उसमें प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिलेगा। अतः उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में बोलते हुए आप इसका भी उल्लेख कर सकते हैं। इस बीच माननीय गृह-मंत्री जानकारी एकत्र कर लेंगे और सभा को उससे अवगत कर देंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : हम परामर्शदात्री-समिति के सदस्य हैं। राज्यपाल ने उस समिति की सलाह क्यों नहीं ली।

अध्यक्ष महोदय : मेरी आपत्ति यह है कि ध्यान दिलाने वाली जिन सूचनाओं के नोटिस सुबह दिए गए थे उन्हें अब सभा में उठाया जा रहा है। मेरे पास ऐसी बहुत सी सूचनायें आती हैं क्योंकि कुछ राज्यों में आजकल राष्ट्रपति का शासन है।

श्री स० मो० बनर्जी : साम्प्रदायिक दंगों के कारण इलाहाबाद में नगरपालिका चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं। परन्तु मंत्री महोदय फिर भी वक्तव्य नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोरारजी देसाई।

लोक भविष्य निधि विधेयक
PUBLIC PROVIDENT FUND BILL

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जन-साधारण के लिये भविष्य निधि की संस्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, I oppose this Bill because it is misleading. The title of the Bill is likely to mislead the people. From the nomenclature of the Bill it appears that it is like other Provident Funds in which the employers also contribute. But this arrangement is not there in this Bill. The arrangement made in this

Bill is like a savings bank account in which depositors would only get interest on the amount deposited by them. The question of employer's share does not arise at all. Since we do not want that a law to introduce Provident Fund be brought here to establish Savings Fund and thus mislead the public, therefore I want to oppose the introduction of the Bill. Hence instead of Public Provident Fund Bill, it should be called Public Savings Fund Bill. At the end I would urge the Hon. Minister to take leave of the House to withdraw this Bill.

Shri Morarji Desai : If the Hon'ble Member object to the name of the Bill, it can be changed by bringing a suitable amendment thereto at the proper time. It is no use opposing the Bill at the introduction stage.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनसाधारण के लिये भविष्य निधि की संस्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उद्घोषणा जारी करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गये प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

और

उत्तर प्रदेश के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प

MOTION RE. REPORT OF U. P. GOVERNOR TO PRESIDENT ON ISSUE OF PROCLAMATION AND RESOLUTION RE. PROCLAMATION BY PRESIDENT IN RELATION TO UTTAR PRADESH

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Sir, I beg to move :

"That this House regrets that the Government of India did not reject the report dated the 10th April, 1968 of the Governor of Uttar Pradesh to the President recommending the issue of Proclamation, laid on the Table of the House on the 16th April, 1968, seeking dissolution of the State Assembly and mid-term poll in the State, in as much as the S.V.D. in the State Assembly enjoyed majority in the Assembly and its leader ought to have been invited to form the Ministry".

One more Non-Congress Government have fallen a prey to the conspiracy and manoeuvres of the centre. During the last twelve months this is the fourth time that the Central Government has misused Article 356 of the constitution in order to further their party interests. The House will have to consider this matter seriously.

In the Constituent Assembly when Article 356 was being discussed, Dr. H. N. Kunzru had raised an objection that the Central Government should not be given power to see that the administration of the States is being carried on in accordance with the provisions of the Constitution. The Constituent Assembly had also discussed the question that if there are many parties in a State and they are not in a position to form a stable Government, should the centre have the right to deprive the people of that state of democratic Government. Then Dr. Kunzru had said : "It may be a matter of regret if too many parties exist in a province and they are not able to work together or arrive at an agreement on important matters in the interests of their province. But however, regrettable it may be, it will not justify, in my opinion, the Central Government in intervening and making itself jointly responsible with Parliament for the Government of the province concerned". At that time Dr. Ambedkar had said that he shared that feeling that the proper thing to expect was that the Articles would never be called in operation and they would remain a dead letter. But that expectation has been completely believed and during the last 18 years this Article has been used 12 times to impose President's rule in the States. What is worse is that every time this Article has been used and effort has been made to dislodge the opposition parties from power and instal a Congress Government. Since the main purpose in using this Article was to bring Congress to Power, various standards have been adopted by this Government. In Rajasthan the Assembly was suspended but as soon as the Congress gained strength the Assembly was revived and the Congress Government was installed. But in the case of Haryana the Assembly was dissolved without giving a chance for a trail of strength as the Non-Congress Government commanded majority support. This was very unfair. The Governors cannot be given the right to dismiss a Government without giving it an opportunity for trial of strength. The Governor of West Bengal had also done same thing.

The U. P. Governor's report dated 10th April is ridiculous. On the 10th April the position was that all the parties included in the S. V. D. had accepted Shri Harish Chandra Singh as their leader. A delegation consisting of nine parties had met the Governor in that connection. If, however, the Governor was not convinced about their majority he should have invited the leader of the Congress Party to form Government. But this was not done on the ground that a stable Government could not be formed. Simply talking in regard to stable Government has no meaning and even if a party has a majority of one, the Governor should accept majority and act accordingly. The majority party cannot be denied the right to form a Government on the ground that it would not be stable. It should also be decided as to whether the fate of the Governments would be decided in Raj Bhavan or in the State Assembly. Governor should have decided as to which party is in a position to form a Government.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात् जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Shri A. B. Vajpayee : Sir, the Governor of U. P. has violated the oath that he had taken at the time when he assumed that high office. He has failed to act in an impartial manner and has allowed himself to be dragged in party politics. He had no right to impose conditions on Shri Harish Chandra Singh for taking over the Chief Ministership of the State, as he did in a letter addressed to Shri Singh. Would the Home Minister support this action of the Governor? Along with the Governor, the Central Government is also guilty of acting in a partisan manner. If the Governor had sent a particular report it was open to the Central Government to return it for reconsideration by the Governor or even reject it- It is regrettable that the Central Government did not even give a chance to the S. V. D. leaders who had come to Delhi to give proof of their strength.

The Speakers Conference held under the Chairmanship of the Speaker of Lok Sabha, had taken some very important decisions. In a resolution passed at the Conference it had been said that the question whether a Chief Minister has lost majority in the Assembly or not should at all times be decided on the floor of the Assembly. This decision cannot be left to the discretion of the Governor.

Mid-term elections would involve huge expenditure. On the one hand, they talk of bringing socialism in the country but on the other the policies they adopt are such which lead to greater influence of capital on politics, This is a great danger to our democracy.

The House should accept this motion so that the Home Minister dare not interfere with the democratic procedures in other States.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 15 अप्रैल, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई पहली उद्घोषणा में परिवर्तन किया गया है।"

मैं कुछ बुनियादी बातों पर विचार करूंगा। जब संयुक्त विधायक दल के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री चरण सिंह ने त्याग-पत्र देने का प्रस्ताव किया तो उन्होंने राज्यपाल को एक और सलाह भी दी और वह सलाह यह थी कि या तो सरकार बनाने के लिए संयुक्त विधायक दल के दूसरे नेता को आमंत्रित किया जाये या विकल्प के रूप में मध्यावधि चुनाव का आदेश दिया जाये ताकि ऊपर प्रदेश के लोग कह सकें कि कौन सा दल स्थायी सरकार बना सकेगा।

दूसरी बात यह है कि राज्यपाल को त्याग-पत्र स्वीकार करने तथा विधान-मंडल भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने के लिये बाध्य किया गया। हमने भी इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और सभा ने भी इस सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दे दी। किन्तु अब इस स्थिति में परिवर्तन आ गया है।

विधान सभाओं के अध्यक्षों की शिफारिशें और संकल्प बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम उनका समुचित आदर करते हैं और उन पर सावधानी के साथ विचार करेंगे। किन्तु विधान सभाओं के सम्मेलन में जिस स्थिति की कल्पना की गई है वह उत्तर प्रदेश की स्थिति से एकदम अलग है। जब किसी मुख्य मंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं होता है या ऐसा कोई दावा किया जाता है तो इन परिस्थितियों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में मामला अध्यक्षों के सम्मेलन में उठाया गया है।

उत्तर प्रदेश में न तो कोई मुख्य मंत्री था और न ही कोई सरकार थी और इसलिए राज्यपाल को स्थिति का इस प्रकार अनुमान लगाना पड़ा कि जिससे उत्तर प्रदेश में स्थायी सरकार बनाई जा सके।

इस विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों ने कहा कि यदि वहां पर स्थायी सरकार हुई तभी उनके नेता को जिम्मेदारी संभालने के लिए आमंत्रित किया जाए। वहां स्थिति और भी अधिक अजीब है क्योंकि यहां कांग्रेस और संयुक्त विधायक दल दोनों ही बहुमत का दावा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों दलों को अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को ही मौका दिया गया। पहले कांग्रेस को सरकार बनाने को कहा गया। उन्होंने सरकार बनाई किन्तु बाद में जब उनका बहुमत नहीं रहा तो कांग्रेसी सरकार ने शाम को इस्तीफा दे दिया। बाद में संविद सरकार बनी और उसे राज्यपाल और केन्द्रीय सरकार से पूरा सहयोग मिला। किन्तु मुख्य मंत्री को अपने ही दल से सहयोग नहीं मिला। यह वास्तविकता है।

कुछ लोगों ने मेरे से यह शिकायत की थी कि मैंने श्री चरण सिंह के काम की सराहना नहीं की। यह बात गलत है। हमने तो उनके काम को सराहा, परन्तु स्वयं संयुक्त विधायक दल के सदस्यों ने उनके काम को नहीं सराहा।

राज्यपाल उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव कराने के लिए इच्छुक न थे। अन्यथा वह अपने पहले प्रतिवेदन में ही इसका सुझाव दे देते। उन्होंने राष्ट्रपति शासन के विरोध में तर्क दिये। परन्तु अन्त में उसे मध्यावधि चुनाव का सुझाव देने के लिए वाध्य होना पड़ा क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई समाधान राज्यपाल को न मिला। श्री वाजपेयी ने अनुच्छेद 356 के सम्बन्ध से संविधान सभा की कार्यवाही वृतान्त से एक उद्धरण दिया, जिसका आशय यह था कि इस अनुच्छेद का प्रयोग कुशासन या अच्छे शासन के लिए न किया जाये। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश में तो कोई भी शासन नहीं रह गया था। वहां तो लोकतान्त्रिक सरकार समाप्त हो चुकी थी। अतः यह कदम वहां स्थायी जनशासन स्थापित करने के लिए उठाया गया। अतः मैं निसंकोच कहता हूं कि राज्यपाल ने जो काम किया है वह बिल्कुल ठीक है। वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें मध्यावधि चुनाव आवश्यक हो गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित संकल्प पेश किया गया है :

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 15 अप्रैल, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई पहली उद्घोषणा में परिवर्तन किया गया है।"

अब सभा के सामने प्रस्ताव और संकल्प दोनों हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं कुछ लोकतन्त्रीय तथा संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में कहना चाहता हूं। ये प्रश्न न केवल सरकार के सामने हैं बल्कि सारे देश के सामने हैं। राज्यपाल के कृत्य क्या होने चाहिए, यह प्रश्न आज संसद् के सामने है। यह विचारणीय है कि मंत्रि-परिषद् को बर्खास्त करने, विधान-सभा को भंग करने या मध्यावधि चुनाव की सिफारिश करने के सम्बन्ध में राज्यपाल किस हद तक निर्णय ले सकता है मेरे विचार से राज्यपाल अपनी स्वेच्छाचारिता से काम नहीं कर सकता, चाहे संविधान में कुछ भी उपबन्ध हों। मूल प्रश्न यह है कि किसी मंत्रि-परिषद् को बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करे। मंत्रि-परिषद् स्थायी रूप से कार्य कर सकेगी अथवा नहीं, उसे काम करते रहना चाहिए अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष या राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि स्वयं सभा द्वारा किया जाना चाहिए।

संविधान के उपबन्धों के अनुसार बहुमत वाले दल या दलों को मंत्रिमंडल बनाने के लिये आमंत्रित किया जाना चाहिये। परन्तु अब बहुमत की नई परिभाषाएं दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने अपने पत्र में "बहुमत" के स्थान पर "स्थायी बहुत" शब्दों का प्रयोग किया है। स्थायी बहुमत से राज्यपाल का मतलब यह था कि सत्तारूढ़ होने वाले दल को पर्याप्त बहुमत प्राप्त होना चाहिये ताकि थोड़े बहुत सदस्यों के दल बदल करने पर भी सरकार पर प्रभाव न पड़े। परन्तु यह सिद्धांत राजस्थान के मामले में नहीं अपनाया गया। स्थाई बहुमत की यह कसौटी कांग्रेसी सरकारों पर भी लागू की जानी चाहिये थी। राजस्थान में 183 सदस्यों के सदन में सुखाड़िया को केवल 93 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था केवल 3 सदस्यों के बहुमत को स्पष्ट बहुमत नहीं कहा जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिर बहुमत की यह परिभाषा कांग्रेस की सुविधा के लिये बनाई गई है। यह परिभाषा राजस्थान में लागू नहीं की गई क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार बनने की सम्भावना थी। और ऐसे सिद्धांत इसी उद्देश्य से बनाये गये थे कि जहां गैर-कांग्रेसी सरकार बनने की सम्भावना थी वहां जैसे तैसे कांग्रेस सरकार बने। राज्यपाल को ऐसे सिद्धान्तों के आधार पर व्यक्तिगत अनुमान नहीं लगाने चाहिये। संगठित बहुमत और उत्तरदायित्व वहन न करने की बात भी कही गई है। श्री अजय मुकर्जी के स्थान पर जब डा० पी० सी० घोस की सरकार बनी तो केवल 17 सदस्यों के दल ने सरकार बनाई और कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया। यह एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्यपाल ने "सर्वसम्मत बहुमत" और "बिन विरोध बहुमत" में भी अन्तर किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में राज्यपाल ने लिखा कि श्री चरण

सिंह तो संयुक्त विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया था तथा दूसरे नेता का चुनाव निर्विरोध हुआ था। इस प्रकार की मनमानी परिभाषाएं देकर राज्यपाल अस्वस्थ परम्पराएं डाल रहे हैं। श्री मोरारजी देसाई ने भी इसकी भर्त्सना की थी। परन्तु राज्यपाल की ऐसी ही रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई। ऐसा लगता है कि केवल एक स्टैन्डर्ड अपनाया गया है कि जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ न हो सके, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये।

मैं इस बात को महत्व नहीं देता कि संयुक्त विधायक दल की सरकार बनती है या कांग्रेस की सरकार बनती है। परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा सिद्धांत निश्चित किया जाना चाहिए जिसके आधार पर विधान सभा भंग की जाये और चुने हुये प्रतिनिधि वापस अपने घर भेज दिये जायें। इस प्रकार के निर्णय करने का काम राज्यपाल की इच्छा और पूर्वाग्रह पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र के भविष्य की रक्षा की जा सके।

Shrimati Sucheta Kripalani (Gonda) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I heard the speech of Shri A. B. Vajpayee attentively because his party was a constituent unit of the ruling S.V.D. in U. P. He made two important points. He said that the Assembly was dissolved in favour of Congress and that the session of the Assembly should have been summoned in order to know the opinion of the Members of the Assembly. I think that the Congress has suffered in this way.

A coalition Government took over the power in U. P. with the common policy and programme in their hands. But such a policy could never be implemented on aceount of the differences of the constituent units of S. V. D. Government. They totally failed in running on efficient administration. Various parties making the coalition Government took more interest in patching up their differences rather than in running the administration. It is not the Congress Party on the Central Government which made efforts to dislodge the S.V.D. Government in U. P. It is the constituent units themselves which created a mess there. Disunity among themselves is the main cause of their downfall. It is also wrong to blame the Central Government for metting out step motherly treatment to the Non-Congress Governments. It never tried to dislodge the Non-Congress Government if it functioned properly. But what is the way out if there is no Government at all. In U. P. the main object of the Government i. e. to run the administration efficiently, was not being fulfilled. In the circumstances Governor also cannot be blamed. He suspended the Assembly to know the clear picture. When he saw no improvement in the situation he dissolved the Assembly paving the way for the fresh election. I am of the opinion that before dissolving the U. P. Assembly Governor should have invited the leader of Congress Party, Shri Gupta, to form the alternative Government. In this way the Governor has not been fair to the Congress Party. Now the Assembly has been dissolved and fresh elections have been ordered. Why should anybody object to it ? Through mid-term elections the people will have an opportunity of expressing their opinion. Thereafter, the party which will be favoured by the decision of the electorates, will form the Government.

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य-दक्षिण): मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने अनेक प्रयोग किये हैं तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। वे कौन से प्रयोग हैं ? वह कहते हैं बंगाल, हरयाणा आदि के प्रयोग से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मध्यावधि चुनाव ही इस समस्या का सबसे अच्छा हल है मैं इस कथन का विरोध नहीं करता। विधान-सभा यदि काम न करे तो मध्यावधि चुनाव होने चाहिये। हम मध्यावधि चुनाव के विरोधी नहीं हैं। परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे ? मेरा विचार तो यह है कि इस निष्कर्ष पर पहुँचने में उन्होंने लोकतंत्रात्मक उपायों को नहीं अपनाया। प्रश्न का सार तो यह है कि वर्ष 1966 के बाद वे कैसे लोकतंत्रात्मक ढंग से कार्य करना चाहते हैं। इससे पूर्व, अर्थात् जब तक किसी राज्य में उनका कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं आया था तब तक तो संविधान, मूल-अधिकार आदि पर कोई प्रश्न नहीं उठे थे। विधान सभाओं की कार्य-प्रणाली, मंत्रालयों के गठन तथा सरकारों के बनने आदि पर कभी कोई विवाद नहीं उठा था। राज्यपाल के अधिकारों और शक्तियों के बारे में भी शंकायें नहीं उठाई गईं थीं। यह सब विवाद तो वर्ष 1966 के पश्चात् ही उठा।

हम सबके सम्मुख एक सामान्य समस्या है कि चुनावों, विधान सभाओं के कार्य संचालन, सरकारों के गठन और पतन तथा मध्यावधि-चुनावों के विषय में लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों को किस प्रकार लागू किया जाये। शासक दल अथवा गृह-कार्य मंत्री यदि इस सम्बन्ध में किन्हीं सुनिश्चित सिद्धांतों पर चल सकें तो यह बड़ा अच्छा होगा। परन्तु इसमें मुझे संदेह है। इसमें उनका जरूर कोई उद्देश्य अथवा स्वार्थ निहित है।

अब वस्तु-स्थिति यह है कि पिछले आम चुनावों के पश्चात् कई राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। परन्तु इसकी प्रतिक्रिया यही होनी चाहिये थी कि जो लोग बहुमत में आये अथवा जिन्होंने परस्पर मिलकर बहुमत बना लिया उनको शासन करने दिया जाये। यह कोई लोकतंत्र के विरुद्ध तो नहीं है।

मद्रास को छोड़कर अन्य गैर-कांग्रेसी लोकतंत्रात्मक सरकारों ने कांग्रेसी कार्यक्रमों से भिन्न कार्यक्रम बनाये। और ये कार्यक्रम मूल रूप से जमींदारी तथा एकाधिकारवाद के विरुद्ध थे। ये कार्यक्रम सत्ताधारी कांग्रेस के अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए एक बड़ी भारी बाधा बने जो कि देश का सामाजवादी ढंग से विकास करने में असफल रही है। यही कारण था कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल में भी कुछ बेचैनी या अस्थिरता से आई। और फिर इन नये कार्यक्रमों से शासक सरकारों के दायित्व के लिये संकट उत्पन्न हो गया।

आखिर वे कैसी स्थायी सरकारें चाहते हैं। संविधान में कहीं किसी स्थान पर "स्थायी सरकार" नाम का कोई शब्द नहीं है।

संविधान के उपबन्ध काफी लोकतंत्रात्मक हैं तथा सरकार को उन पर चलना चाहिये।

सरकारें चलाने की कला में हम अनुभवहीन हैं। सम्भव है कि कुछ संयुक्त सरकारें बहुत स्थायी न हों। परन्तु ये सरकारें संविधान में दिये गये लोकतंत्रात्मक अधिकारों को व्यवहारिक रूप देना चाहती हैं और देश की अर्थव्यवस्था का ऐसा विकास करना चाहती हैं जिसको करने में कांग्रेस सर्वथा असफल रही। यदि स्थायित्व को निर्धारित करने के लिये उनके आन्तरिक प्रश्नों को मानदण्ड माना जाय तो केन्द्रीय सरकार भी स्थायी सरकार नहीं ठहरती। कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने अपने नेताओं से पूछा था कि दस सूत्री कार्यक्रम का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, जब इस बात को लेकर राष्ट्रपति उनके बहुमत को चुनौती नहीं दे सकते तो यदि संविद दलों ने यह घोषणा की है कि अमुक ग्रुप इस कार्यक्रम को स्वीकार नहीं करता है और किसी कार्य को करने से इनकार करता है तो राज्यपाल को इस बात को मान्यता देनी चाहिये। स्थायित्व इस वर्तमान पूंजीवादी (बूर्जुआ) पद्धति में अदृष्य, अपरिहार्य और स्थायी नौकरशाही आधारित है। इस पद्धति में एक अपरिवर्तनीय तत्व है जो नीतियां निर्धारित करता है और उनको कार्यान्वित करता है। कभी-कभी मंत्रियों तथा राज्यपालों को यह भी पता नहीं होता कि उन्होंने किस पर हस्ताक्षर किये हैं, इसलिये हमसे स्थायी सरकार की बात करना ठीक नहीं, क्या कांग्रेस ने बिहार में मण्डल मंत्रिमंडल के 18 वोटों के आधार पर एक स्थायी सरकार बनाने का प्रयत्न नहीं किया था ? जिस व्यक्ति ने उसके दल में प्रवेश किया उसे मंत्री बना दिया गया, इस प्रकार श्री मंडल ने 52 मंत्री एकत्र कर दिये, उस समय तो स्थायित्व तथा नैतिकता के मानदण्ड तथा संविधान के उपबन्ध और वे सिद्धान्त जो वे हमारे लिए कह रहे हैं, कहां चले गये थे ?

मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि वे इस बात पर सहमत हो जायें कि वे अल्पमत सरकारों का समर्थन नहीं करेंगे। आन्तरिक मतभेदों पर चुनौती देने से पहले उन्हें पंजाब मंत्रिमंडल बर्खास्त कर देना चाहिये था।

यदि संयुक्त विधायक दल एक स्थायी सरकार नहीं बना सकता तो इसके लिए दूसरा विकल्प यह है कि उन्हें सबसे बड़े दल अर्थात् कांग्रेस दल के नेता को बुलाना चाहिये था। किन्तु ऐसा नहीं किया गया क्योंकि राज्य के कांग्रेसी नेताओं के बीच आपसी झगड़े थे। इसलिए जनता के प्रभुत्व और चुनावों का सिद्धान्त खड़ा हो गया है। वे चाहते हैं कि चुनाव हों। इसलिए नहीं कि उन्हें जनता में तथा लोकतंत्र में विश्वास है बल्कि इसलिए कि वे अपने झगड़ों के कारण इस स्थिति का सामना नहीं कर सकते।

यदि वे देश में लोकतंत्र चाहते हैं तो उन्हें अल्प-संख्यक सरकारों का समर्थन नहीं करना चाहिये और उन्हें काम नहीं करने देना चाहिये। दूसरे, बहुमत और अल्पमत का निर्णय राज्यपाल नहीं कर सकते। यह निर्णय विधान-सभा या संसद् में होना चाहिये। तीसरे, किसी ऐसे आदमी को नहीं चुना जाना चाहिये जो विधान सभा का सदस्य नहीं है और उसे छः महीने तक मुख्य मंत्री के रूप में काम नहीं करने देना चाहिये।

जहां तक दल बदलने का सम्बन्ध है, उन लोगों का क्या मूल्य है जो अपने स्थान बदलते हैं,

जो अपने दल छोड़ देते हैं और अन्य दलों में शामिल हो जाते हैं। इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिये।

इन बातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ठीक कार्यवाही नहीं की गई। राज्यपाल को बहुमत की सलाह लेनी चाहिये थी। जो नेता चुना गया था और जो यह दावा करता था कि उसका बहुमत है। उसको बुलाया जाना चाहिये था। विधान सभा को बुलाया जाये और यदि उसका बहुमत नहीं है तो उस सरकार को अपदस्थ कर दिया जाये। मैं यह बात स्वीकार नहीं करता कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के सामने सदस्यों की पैरेड द्वारा बहुमत का सत्यापन किया जाये। किसी चुने हुए सदस्य के लिए यह मानहानि की बात है कि वह राज्यपाल के पास जाये और कहे कि मेरा इस दल से सम्बन्ध है। ऐसा करने पर भी इस बात की क्या गारन्टी है कि कोई सदस्य उस दल को नहीं छोड़ेगा और किसी अन्य दल में शामिल नहीं होगा।

कांग्रेस दल ने लोकतंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार व्यवहार नहीं किया है। सत्ता खो जाने के बाद इसका संतुलन समाप्त हो गया है और इससे सत्ता पाने के उद्देश्य से लोकतंत्र के सभी सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दी है। इसने संविधान के उपबन्धों की अवहेलना की है।

Shrimati Sushila Rohtagi (Bilhaur): The situation in U. P. should be examined from two angles. First of all, it should be seen whether the situation in U. P. was such which made it necessary that Assembly should be dissolved, the President's rule imposed and mid-term elections held. Secondly, we should also see which party is responsible for the present crisis in U. P. If we apply these two tests to the situation in U. P., it would become clear that neither the Congress Party nor the Sanyukta Vidhayak Dal had a majority. In the circumstances, the Governor of U. P. had no alternative except to recommend that President's Rule should be imposed and mid-term poll held there.

The real situation in U. P. was that S. V. D. was not united in itself. They had no common object, principle or programme. They were fighting amongst themselves. That is why the Assembly could be summoned only for 31 days during their tenure of ten months. They could not enact any law during this period. The S. V. D. chief Minister theratened to submit his resignation thrice because he was not getting full support of the constituent units. All this made it crystal clear that there were factions amongst them and they were not certain of each other's support.

It has been said that the Congress Party is responsible for the present crisis in U. P. It is not correct. The S. V. D. was a joint front of several parties, the biggest being the Jan Sangh. But they chose a defector from the Congress Party as their leader. It also shows that S.V.D. units were not united among themselves. That leader have also now said that S. V. D. was not in a position to function properly because of their internal differences. He had also suggested to the Governor earlier that mid-term elections should be held. Therefore the S. V. D. itself was responsible for this situation in U. P.

So far as the question of joining any party after the elections is concerned, it will be better if the members continue in the position in which they contest the election. If they feel

that they like the principles and objects of any particular party and went to join it, they should first give up their seat in the legislature and then fight the elections again as a candidate of their new party.

The action of Governor in U. P. is worthy of appreciation. He had no alternative but to impose President Rule in the State because neither Party had majority support. The Governor also wanted that defections are not given encouragement and he wanted to check it.

The Central Government also acted very wisely. They did not interfere with the impartial stand taken by the Governor. This indicates that Congress was not at all responsible for the present crisis in U. P.

श्री आ० ना० मुल्ला (लखनऊ) : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार पेश करने से पहले मैं सभा के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। मैं पिछले महीने के आरम्भ में लखनऊ गया। उस समय विधान सभा बर्खास्त हो चुकी थी। मैं कुछ लोगों से इसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए मिला। जिनसे मैं मिला, उनमें से अधिकांश ने विधान सभा के स्थगन पर चैन की सांस ली। वे खुश थे कि तथाकथित मंत्रिमंडल हट गया है। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि मध्यावधि चुनाव न हों और राष्ट्रपति शासन पांच वर्ष तक जारी रहे। वे किसी राजनीतिक दल से न्याय की आशा नहीं करते।

इन तथ्यों तथा पिछले वर्ष की घटनाओं को देखते हुए राज्यपाल ने उचित कार्यवाही की है। हर व्यक्ति यह महसूस करता था कि देर या सबेर राष्ट्रपति शासन लागू किया जायेगा। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने पर किसी को आपत्ति नहीं है। वे केवल यह चुनौती दे रहे हैं कि जिस ढंग से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उससे लोकतंत्र के सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है।

जहां तक संवैधानिक पहलू का सम्बन्ध है। संविधान में राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई हैं जो लोकतंत्र के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं हैं। लेकिन यह तो संविधान में संशोधन करने का मामला है। हमें केवल यह देखना है कि क्या राज्यपाल संविधान के अनुसार कार्य करता है या नहीं।

राज्यपाल के आचरण की जांच करते समय हमें यह देखना होता है कि उसके कर्त्तव्य क्या हैं। राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करता है, उसके अनुसार उसके कर्त्तव्य होने चाहिये। अपनी शपथ में वह यह भी कहते हैं कि वह जनता की सेवा और कल्याण में अपने आपको लगायेंगे। यदि उनके किसी कार्य के बाद लोग राहत की सांस लेते हैं तो उनका वह कार्य उनकी शपथ के अनुकूल समझा जाना चाहिए। इन दोनों बातों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्होंने शपथ के अनुकूल कार्यवाही की है।

अब प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल यह निर्णय करने के लिए सक्षम है कि स्थायी सरकार है या नहीं अथवा इस मामले का फैसला विधान सभा में किया जाना चाहिये। संविधान में इस

बात का कोई संकेत नहीं दिया गया है कि राज्यपाल को किस तरह निर्णय करना चाहिये। इसलिए इन बातों का निर्णय परम्परायें बना कर किया जा सकता है।

संविधान के अनुसार, राज्यपाल को मुख्य मंत्री नियुक्त करने का अधिकार है। कुछ सदस्यों ने तर्क दिया है कि सत्तारूढ़ दल अब भी मौजूद है। केवल मुख्य मंत्री ने त्याग-पत्र दिया है लेकिन दल सत्तारूढ़ है। मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा यह तर्क है कि श्री चरण सिंह द्वारा त्याग-पत्र देने, विधान सभा के बर्खास्त होने के बाद कोई दल सत्ता में नहीं रह गया था। यदि कोई प्रश्न उठाया जाना था तो यह विधान सभा के बर्खास्त होते समय उठाया जाता।

विधान सभा के स्थगन के बाद एक रिक्तता उत्पन्न हो गयी है और इसके बीच में राज्यपाल आ गये हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विशेष दल का बहुमत है या नहीं। स्थिति यह थी कि जिस भी दल को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाता वही दल बहुमत प्राप्त कर सकता था। ऐसी स्थिति में यदि राज्यपाल ने यह निर्णय किया है कि इस बहुमत पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और एक स्थायी सरकार होनी चाहिये तो वह अपने अधिकारों के अन्तर्गत ही काम कर रहे हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों से यह मांग कर सकती है कि उन पर शासन किया जाना चाहिये। वे रिक्तता उत्पन्न नहीं कर सकते और यदि किसी कारणवश रिक्तता उत्पन्न हो जाती है तो निस्संदेह राज्यपाल को जनता के हितों की रक्षा करने का अधिकार है। प्रतिनिधियों को जनता का विश्वास प्राप्त है या नहीं, इस बात का फैसला करने का केवल एक तरीका यह है कि मध्यावधि चुनाव कराये जायें।

Shri Sheo Narain (**Basti**): I may submit that the situation in U. P. is entirely different from the situation prevailing in Punjab, West Bengal and Haryana etc. After the fall of SVD Government there, Congress had a clear majority having 200 MLAs. But the Governor acted in a unique and dictatorial manner and did not invite the Leader of the Congress Legislative Party to form a Government in the State. I do not want to criticise Shri Charan Singh or the SVD. But, it is a constitutional question. The Governor, in all fairness, should have invited either Leader of the two Groups, but he did not do so. He was unfair to us. He did not allow democracy to function in the State ..... (**Interruptions**). The matter should be allowed to be decided on the floor of the Vidhan Sabha by withdrawing the proclamation. There is no law and order left in the State. The very other day four persons were killed in Allahabad.

I, therefore, request, the Government, particulary to the Home Minister that President's Rule should be ended in U. P. and the Presidential Proclamation withdrawn immediately.

[**श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए**
Shri C. K. Bhattacharya in the Chair]

Shri Arjun Singh Bhadoria (**Etawah**): It is a matter of profound regret that the Governor of U. P. has acted in a manner which is negation of democracy rather than

strengthening it. Whatever has happened in U. P. and the manner in which it has been brought to happen has angered every citizen of the State. A Governor cannot be allowed to assume the funtions of a Chief Minister. I may inform the Home Minister here that if this happened in future also, the SSP would 'Gherao' him and would not allow him to do so. He is responsible for the murder of democracy in the State. But we shall see that this is not allowed to happen in future.

Law and order in the States stands completely paralysed in the State. Riots have broken out in various places and people have been arrested on paltry grounds.

The ruling party has alleged that there is lack of unity amongst varirous constituents of S. V. D. But it is wrong. Though SSP did not Join the SVD Government, its support was always available to the SVD Government. We always wanted the Leader of SVD to be invited to form Government, as he has been elected unanimously. In this connection we met the President and the Governor also. If at all, he was not invited, the Leader of the Congress Legislative Party should have been invited as contended by Shri A. B. Vajpayee. But neither of the two things was done.

The Governor, by his action so far, has proved that he is siding with the Congress out and out. By hanging the sword of midterm election, he has been exhorting members to come in the Camp of the Congress Party. It is a matter of great shame for democracy.

I, therefore, request Government to warn the Governor to behave properly or else all his anti-constitutional acts would be opposed tooth and nail.

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh): The way in which U. P. Vidhan Sabha was dissolved on the 15th April, 1968 and it was decided to hold midterm elections after imposing President's Rule there is most unfortunate. It is more so when it is noticed that nearly 8 crores of people would have to go to the polls within one year after the General Elections. In the cirumstances, let us consider the situation in a dispassionate manner.

The sitution in U. P. has undergone quick changes following the resignation of Congress Government when some Members defected to the opposition during the course of discussion on Governor's Address. The Leader of the Congress Legislative Party could have recommended to the Governor then itself for the dissolution of the Assembly but for the sake of Constitutional propriety and upholding democratic traditions, he allowed the Governor to invite the Leader of the United Opposition to form a Government. Here, it is interesting to note that the SVD Government adopted the same course of action which was the target of ceaseless and spirited attack by them when Congress was in power. People, naturally, did not feel satisfied with the working of SVD Government in the State.

The administration lay completely paralysed in SVD rule as there was complete absence of unity in approach and thought and each constituent was interested in furthering its own interests. The SVD Government made use of preventive Detention Act

against State Government employees for which they had been criticising the Congress. They also resorted to firing on Labour and students and enhanced irrigation rates. This lead to great resentment among the people which resulted in dissensions and differences in the constituents of the SVD. In a situation emerging from the resignation of Shri Charan Singh, the present action had to be taken.

The allegation that Congress was responsible for creating the present situation in U. P. is baseless. It was on account of the internal bickerings in SVD that the Assembly had to be suspended. Let us not forget that it was the Leader of SVD Government who recommended for the imposition of President's Rule in the State. Shri Charan Singh as well as the new leader of the SVD have clearly said that Jan Sangh was responsible for the breakdown of SVD and that President's Rule was the only right step in the circumstances. These are irrefutable facts of the case.

Before the State Assembly was dissolved, the situation was very fluid. The Governor tried to ascertain as to which party commanded a majority in the assembly. In the process, he found that a number of MLAs were turncoats and their support for any one party was not at all certain. In the circumstances, he had no other alternative but to use powers conferred on him vide Article 163 (1) of the constitution.

However, there were some very vital constitutional issues involved in such a situation. In my opinion, the power to decide whether a Government enjoyed the majority of the Assembly or not should not vest in a Governor. It was also not proper constitutionally for the Governor to appoint one Chief Minister and dismiss another. Similarly, Speakers had no right to declare whether a particular Government was constitutional or not. These issues should be given a serious consideration and if need be, constitution should be suitably amended so as to incorporate the powers etc. of Governors and Speakers.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : कांग्रेस के लोग विभिन्न दलों पर यह आरोप लगाते हैं कि वे संयुक्त मोर्चे बनाते हैं और फिर पृथक्-प्रथक् हो जाते हैं। मेरे विचार से इतने अधिक दलों के लिये पृथक्-पृथक् होना स्वाभाविक ही है। परन्तु क्या कांग्रेस में पृथक्-पृथक् होना स्वाभाविक है ; उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह से पृथक्-पृथक् हुई।

जहां तक दल बदलने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में सभी दल एक जैसे हैं। इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसने लोगों को अपने दल में लाने का प्रयास किया। परन्तु प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि इस बारे में कौन निर्णय कर सकता है कि किस दल अथवा दलों को बहुमत प्राप्त है। किस दल को कितना बहुमत प्राप्त है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटेन में लेबर सरकार को एक या दो से बहुमत प्राप्त है परन्तु फिर भी वह सरकार चल रही है।

यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि राज्यपाल कैसे जान सकता है कि बहुमत किस दल

को प्राप्त है उन्होंने लोगों को बुलाकर उनके हस्ताक्षर नहीं लिए। उन्होंने वैसे ही सोच लिया कि मान लो स्थायी सरकार न बने। प्रश्न यह नहीं है कि स्थायी सरकार बन सकती है या नहीं। प्रश्न यह है कि बहुमत किसे प्राप्त है क्या भविष्य में स्थायी सरकार बन सकेगी या नहीं।

हमने बंगाल के अध्यक्ष की निन्दा क्यों की ? हमने उनकी निन्दा इसलिए की क्योंकि विधान सभा की ओर से निर्णय करने के लिए उन्होंने अपने आपको अधिकारी समझ लिया। उन्होंने विधान सभा को समाप्त कर दिया। इस मामले में राज्यपाल ने विधान सभा को समाप्त कर दिया है। इसके लिए सही तरीका यह था कि वह विधान सभा को बुलाते तथा बहुमत से निर्णय कर लेते। परन्तु यहां पर वे स्वयं ही सरकार बन बैठे। निर्णय करने का उनका कोई अधिकार नहीं है, निर्णय विधान सभा ही कर सकती है।

श्री. पी राममूर्ति : (मदुरै): आचार्य कृपलानी कह रहे थे कि सभी दल दल-बदलुओं से डरते हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमारे दल को इस बात का भय नहीं है क्योंकि हमारे दल में किसी भी व्यक्ति को दो वर्ष के पश्चात् दल का सदस्य बनाया जाता है। इसलिए हमारा दल मध्यावधि चुनावों का विरोध नहीं करता है। हमने स्वयं पश्चिम बंगाल और पंजाब में मध्यावधि चुनाव किये जाने की माँग की थी। परन्तु प्रश्न यह है कि राज्यपाल की शक्ति क्या होनी चाहिए तथा क्या यह निर्णय करना उनका काम है कि कौन सा मंत्रि-मण्डल स्थायी होगा ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस सभी राज्यों में स्थायी मंत्रिमंडल बना सकी है ? 1946 में मद्रास में एक वर्ष के बाद ही मुख्य मंत्री बदल गया था। 1946 अथवा 1947 में त्रिवेन्द्रम में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए हमें मंत्रिमण्डल की स्थिरता की बात नहीं करनी चाहिए। प्रश्न यह है कि यदि हमारे देश में अस्थिरता है तो इसके क्या कारण है। राजनीतिक स्थिरता वायु से नहीं हो जाती। यह देश की आर्थिक एवं सामाजिक अस्थिरता का परिणाम है तथा यह आर्थिक एवं सामाजिक अस्थिरता भी तो सरकार की गत 22 वर्षों की गलतियों का ही परिणाम है। पहले कांग्रेस पर लोगों को विश्वास था परन्तु उनके इस कटु अनुभव के कारण जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों के कामों का अन्दाजा लगाने में जनता को समय लगेगा। यदि जनता उनसे भी संतुष्ट नहीं होगी तो वह उन्हें भी ठुकरा देगी। अन्ततोगत्वा यही प्रक्रिया है जिससे देश में कुछ स्थिरता आ सकती है।

राज्यपाल को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि संयुक्त विधायक दल एक स्थिर सरकार नहीं बना सकता है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि इस दल को बहुमत प्राप्त नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि राज्यपाल को ऐसा सिद्धान्त नहीं अपनाना चाहिये। मान लो कि संयुक्त विधायक दल स्थिर सरकार नहीं बना पायेगा तो जनता उसे हटा देगी इसके अतिरिक्त यह देखना जनता का काम है कि किस दल को सरकार चलाने के लिए चुना जाये।

गृह मंत्री को ऊंचे सिद्धान्तों की बात नहीं करनी चाहिए। मैं आज यही प्रश्न स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब श्री चरण सिंह ने त्याग-पत्र दिया तो उन्होंने राज्यपाल को लिखा कि यदि हम एक सप्ताह में अपना नेता नहीं चुन लेते हैं तो हम राज्यपाल को विधान सभा भंग करने और नये चुनाव कराने की सलाह देंगे। यदि राज्यपाल इस बात से सहमत हो जाते तो मुझे कोई आपत्ति न होती। परन्तु उन्होंने इस बात को नहीं माना। शायद उन्होंने इस समय यह सोचा कि कांग्रेस दल को कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिए। शायद यही कारण है कि उन्हें इस प्रकार एक महिने की अवधि दी गई। परन्तु कांग्रेस दल मंत्रिमण्डल बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों का समर्थन प्राप्त करने में असफल रहा। अतः राज्यपाल ने यह निर्णय दिया की एक स्थिर सरकार नहीं बनाई जा सकती। "मेरे पास 18 व्यक्ति हैं" परन्तु राज्यपाल यह सुनने को तैयार नहीं है कि वे 18 व्यक्ति कौन हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि वह उनकी निष्ठा का कैसे पता लगा सकते हैं। इसलिए वास्तव में इसके लिए विधान मंडल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। किन्तु राज्यपाल ने विधान मंडल के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय ही दे दिया यह गलत बात थी।

इन सब बातों को देखेते हुए यदि सरकार इन संसदीय संस्थाओं को चलाने के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाने को तैयार है तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छी बात होगी।

डा० सुशीला नायर (झांसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मूर्ति की इस बात से सहमत हूं कि श्री चरण सिंह द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने तथा संयुक्त विधायक दल द्वारा नेता न चुने जाने के बाद राज्यपाल को विरोधी दल में सरकार बनाने के लिए कहना चाहिए था अथवा विधान सभा को भंग कर देना चाहिए था। परन्तु उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसाकि सबको पता है कि चुनावों में काफी पैसा लग जाता है तथा परेशानी भी बहुत होती है। दूसरी बात यह है कि जब राज्यपाल ने विधान सभा स्थगित की तो संयुक्त विधायक दल के किसी भी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की ; वे सभी मौन बैठे रहे क्योंकि वे भी सरकार बनाने का अवसर चाहते थे।

आज सुबह श्री वाजपेयी कांग्रेस की यह आलोचना कर रहे थे कि उसने गैर-कांग्रेसी सरकारों को नीचा दिखाया है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि कांग्रेस ने इस बारे में कुछ नहीं किया है। जहां हमारी गलती हो उसे हमें मान लेना चाहिये और जहां उनकी गलती हो उसे उन्हें मान लेना चाहिये। वास्तविकता हो यह है कि कांग्रेस ने किसी गैर-कांग्रेसी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की। हुआ यह है कि जब विरोधी दलों को सरकार चलाने का अवसर

मिला तो उनमें से प्रत्येक ने अपने-अपने दल को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया ताकि अगली बार वे ही सत्ता प्राप्त कर सकें। इसी वजह से ही उनका पतन हुआ है। जनता ने उनसे यह आशा की थी कि वे लोग कांग्रेस का स्थान ले लेंगे। परन्तु उनकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया। वे सब अवसरवादी निकले और उन्होंने अपने-अपने दल की ही सहायता करने का प्रयत्न किया। लोगों को उनसे भारी निराशा हुई। अन्ततोगत्वा जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो लोगों ने चैन की सांस ली। जो लोग गत चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते थे उन्होंने संयुक्त विधायक दल के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में नारे लगाने आरम्भ कर दिये। मैं गांवों गांवों में जाती हूं और मुझे पता है कि क्या-क्या हो रहा है। हमारे लिये सबसे अच्छी बात यह हुई है कि संयुक्त विधायक दल के सत्ता में आने से लोग कांग्रेस और संयुक्त विधायक दल की सरकारों की तुलना कर सके हैं। अब उन्होंने यह महसूस करना आरम्भ कर दिया है कि त्रुटियों के बावजूद भी कांग्रेस ही उनके लिये कुछ कर सकती है।

जब यह बात साफ है कि हरियाणा में विधायक दोनों दलों में थे और राज्यपाल ने 'आया राम' और 'गया राम' जैसी बातें देखी तो क्या राज्यपाल का यह कहना गलत है कि जैसी स्थिति चल रही है उसमें स्थायी सरकार बनाना सम्भव नहीं है और इसलिए मध्यावधि चुनाव होने चाहिए। यदि सभा में स्पष्ट बहुमत न हो तो जोड़-तोड़ कर बनाये गये दल के बजाय जो भी अन्य बड़े से बड़ा ग्रुप हो उसके नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

जनता ने ऐसी सरकारें नहीं चलने दीं। इसके लिए कांग्रेस पर दोष लगाना ठीक नहीं है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जो काम ये साथी करते हैं वह तो ठीक माना जाता है और यदि हम ठीक काम भी करें तो वह गलत हो जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी: श्रीमन् नियम 376 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय महिला सदस्य ने हमारा उल्लेख करते हुए हमें 'ये साथी' कहा है। इस सभा में प्रत्येक सदस्य माननीय हैं और इसी से सम्बोधित करना हमारी संसदीय परम्परा है।

डा० सुशीला नायर : मेरा उद्देश्य आदर न प्रगट करने और गैर-संसदीय रहने का कभी नहीं था।

मध्यावधि चुनावों में सभी राजनीतिक दलों की परीक्षा की जानी है। उन्हें दल बदलुओं को टिकट नहीं देना चाहिए। इससे पता चल जायेगा कि वे उन लोगों को चाहते हैं जो पद के प्रलोभन में दल त्याग देते हैं और खरीदे जा सकते हैं या उन लोगों को चाहते हैं जो जनसाधारण के हितों की रक्षा करेंगे।

श्री स० कुण्डू : प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल का विधान सभा भंग करना संवैधानिक था जबकि विधान सभा ने अपने अल्प काल में ही दो बार अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत कर

सरकार में अपने विश्वास का पक्का सबूत दे दिया था। फिर राज्यपाल यह कैसे कह सकते हैं कि ऐसे दल ने विधान सभा में बहुमत खो दिया है और इसलिए वह विधान सभा बर्खास्त कर रहे हैं और इस मामले को वह विधान सभा के पास भी नहीं भेजेंगे ? यदि हम राज्यपाल को यह शक्ति दे देंगे तो हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा।

राज्यपाल ने राष्ट्रपति के नाम अपने पत्र में कहा है। 'मेरे विचार से राज्य में एक स्थिर मंत्रिमंडल नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्रिमंडल स्थिर और लोकप्रिय हो' हमारा हमेशा यह कहना रहा है कि बहुमत के बारे में फैसला करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का मत हमेशा यह रहा है कि विभिन्न राज्यों में जैसा कि संविधान में कहा गया है, सरकारें राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त ही काम करें। यह एकदम गलत धारणा है।

दुर्भाग्य की बात है कि राज्यपाल का प्रयोग उस दल को, जोकि चुनावों में पराजित हो चुका है, सत्तारूढ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। किन-किन मामलों में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है इसका विशेष उल्लेख संविधान में किया गया है।

हमें लोकतंत्र का अपमान करके संविधान की हत्या नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस दल अपने कुकृत्यों से और जानबूझ कर संविधान का उल्लंघन करके इस देश में लोकतंत्र को समाप्त कर देगा।

हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान सभाओं के अध्यक्षों ने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मुख्य की सलाह पर ही राज्यपाल को विधान मंडलों को आमंत्रित या स्थगित करना चाहिए। सत्ताधारी दल को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी किन्तु उसने ऐसा नहीं किया।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : चौथे आम चुनावों के बाद हमारा विचार था कि हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ें मजबूत हो गई हैं और अब भविष्य में हमारा कार्य ठीक ढंग से चलेगा। किन्तु हमारे ऊपर अचानक ही संकट आ पड़ा। हमें दलगत विचारों से ऊपर उठना होगा और लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर अखण्डता बनाये रखने के लिये कोशिश करनी होगी। राजनीतिक दलों को ही नहीं सभी व्यक्तियों को इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये।

राजनीतिक दलों में ईमानदारी और बफादारी की कमी है। इसी कारण राज्यों में सरकारों की अस्थिरता का संकट पैदा हो गया है। इसी कारण राज्यों में बहुत सी सरकारें बनी और गिरीं। राज्यपालों को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। हमें इस तरीके को रोकना चाहिये।

कहा गया है कि क्या राज्यपालों को वही कार्य करने दिया जा सकता है जैसा वे करते

आ रहे हैं। कुछ हालातों में राज्यपालों ने ठीक काम किया और राज्यपालों ने उस स्थिति में भी उचित कार्य किया जब सत्ताधारी दल या दलों को बहुमत प्राप्त नहीं था। ऐसी हालत में राज्यपाल अपने विवेक से काम कर सकते हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

विधान सभाओं के अध्यक्षों के सम्मेलन में पास किये गये संकल्प में यह निर्णय नहीं किया गया है कि राज्यपाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है या नहीं। इस मामले में सावधानी के साथ निर्णय किया जाना चाहिये। अनुच्छेद 163 के अधीन राज्यपाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है और चाहे यह उचित हो या अनुचित उसके इस अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी यही फैसला दिया है कि राज्यपाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। इस फैसले का विरोध सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक नहीं किया है।

आपने केन्द्रीय सरकार को कई बातों का सुझाव दिया है। हम इसके लिये आपके अनुगृहीत हैं। आपने एक यह सिफारिश भी की है कि सदस्य अपने बहुमत के आधार पर अध्यक्ष की सहमति के बिना भी इस बात को मालूम करने के लिये विधान सभा की बैठक बुला सकते हैं कि मंत्रिमंडल को बहुमत प्राप्त है या नहीं। अखबारों में सुझाव दिये गये हैं कि यह प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में संशोधन करके किया जा सकता है। यदि ऐसा हो सकता है तो केन्द्रीय सरकार को संविधान में संशोधन करके इस तरह का उपबन्ध रखना चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Uttar Pradesh is the biggest State in the country and has always been called the State of matured politicians. But we cannot turn our eyes away from the instability that has been prevailing in the administration of the State because of the interference of the Central Government. The centre has always been interfering in U. P. politics. Even before the S.V.D. came to power, Chief Minister after Chief Minister were changed because of the centre's politics. This has caused political instability in that State and retarded the further development of the State.

After the Fourth General Elections, the position in the country has slightly changed with the emergence of the Non-Congress Governments. But the people of the Congress did not allow non-Congress Governments to function peacefully. Attempts were made to create troubles for them. In U. P. when the S. V. D. Government was in power, the agitation of the employees was supported by the Congress.

In some States, mid-term elections are going to be conducted. It is feared that even after the mid-term elections situation may remain the same. All political parties which have faith in democracy have to give a serious thought to the present State of affairs so that the foundations of democracy in the country are not shaken. The Central Government should rise above the party considerations and consider the situation seriously. With a view to checking the political instability, steps would have to be taken. Centre should make a beginning. We

can have a National Government at the centre. Presidential form of Government would still be better for our country.

A code of conduct should be formulated so that legislators dare not change their political affiliations. This code should bring within its fold even the independent members. Public opinion should be mobilised against defections.

Advisory Committee on U. P. would have to be more active now. All matters which would normally have come before the State Legislature should now be placed before this Committee.

The Presiding Officer's Conference had passed a resolution that majority issue should be decided on the floor of the Assembly and not by the Governor. This decision should be incorporated in our Constitution.

The situation created by communal riots should be considered seriously. We have to find out whether any neighbouring country has any hand in these incidents or these incidents are being encouraged with ulterior motives by certain vested interests inside the country.

Whoever might be responsible for the Allahabad riots should be punished. But these incidents should not be utilized for party propaganda.

Shri M. A. Khan (Kasganj) : The present trouble in U. P. has its beginnings in the defection of Shri Charan Singh from Congress which he had served all his life. He defected from the Congress in order to fulfil his long-cherished desire to become the Chief Minister of U. P.

During the 10 month rule of the United front in U. P., the goondaism and profiteering had reached its height. The constituents in the United Front Government busied themselves in furthering the interests of their respective parties instead of serving the people. Government machinery was made use of for that purpose.

The United Front parties are blaming the Congress Party for their sins. People of U. P. would not forgive them for their misdoings.

The problem of communal riots in the country should be treated as a national problem. These are communal elements in administration wherever these riots have taken place. The situation in Allahabad was not under control as claimed by the District Magistrate. Seven people lost their lives there. There were explosions also. The situation should be handled with a strong hand. The situation has not improved in Allahabad even after one month of earlier riots. Why are the concerned officers not being transferred ? Steps should immediately be taken to improve the situation in Allahabad.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापत्तनम्) : उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि यह प्रतिवेदन उन्होंने स्वयं बनाकर केन्द्र के पास भेजा है तथापि इसका निर्णय वहां दिल्ली में ही लिया गया है । हालांकि राज्यपाल के प्रतिवेदन की भाषा राज्यपाल

की ही है लेकिन उन्होंने इसमें कोई चतुराई से काम नहीं लिया है और इसी कारण उनकी आलोचना की गई है ?

प्रतिवेदन में राज्यपाल ने कहा है कि जब तक मुझे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाना सम्भव नहीं है तब तक मैं मध्यावधि चुनावों की सलाह नहीं दे सकता। वे बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं हैं किन्तु उन्होंने अपने निर्णय में परिवर्तन कर दिया है। इसी लिये मैं कहता हूं कि यह निर्णय दिल्ली में ही लिया गया है हालांकि इसमें प्रस्तुत तर्क लखनऊ के ही हैं।

राज्यपाल के अनुसार बहुमत और अल्पमत में कोई परिवर्तन नहीं है। किन्तु स्थिति अस्थिर है। एक जगह राज्यपाल ने कहा है कि यह सच है कि त्याग-पत्र देने के समय श्री चरण सिंह को बहुमत प्राप्त था किन्तु अब लोग दल परिवर्तन कर रहे हैं और कुछ लोगों के नाम दोनों पक्षों में शामिल हैं। यदि यह वास्तविकता थी तो राज्यपाल ऐसे नामों को रद्द करके बहुमत और अल्पमत का पता लगा सकते थे। वे बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित कर सकते थे। इस प्रकार बहुमत प्राप्त दल विधान-मंडल में अपनी शक्ति परीक्षा कर सकता था।

वहां पर लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। यह कहना तो ठीक है कि मध्यावधि चुनाव के बाद मामला तय हो सकता है किन्तु हमें इस देश में लोकतंत्र को कायम रखने के बारे में चिन्ता हो रही है।

आज सुबह गृह मंत्री कह रहे थे कि हमने सभी राज्यों में बहुत से प्रयोग करने की कोशिश की है और हमने इसी तरीके को सर्वोत्तम पाया है। किन्तु क्या वे इस बात पर डटे रहेंगे ? ये बातें बार-बार हो सकती हैं। अभी भी बहुत से राज्य हैं जहां कांग्रेस का शासन है और वहां पर भी ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनमें गृह-मंत्री को इस सिद्धान्त पर कायम रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वे कम से कम अपने इसी सिद्धान्त पर अडिग रहें।

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr): Mr. Chairman, Sir, I want to oppose the motion moved by Shri A. B. Vajpayee and I want to support the resolution of the Hon. Home Minister.

In U. P. the situation had become such that there was no alternative before the Governor except to recommend the proclamation of President's rule. The United Front Government was formed on the basis of agreed programme. But that Government did not implement any programme agreed to by the United Front. The people also came to know of it. Now the people will never permit the formation of United Front Governments. Originally they agreed on 21 point programme but later on they could not agree even on 10 points programme.

The greatest single party opposition in U. P. was Jan Sangh and they fought the election on the question of opposition to rise in prices and cow slaughter. But what have they done in regard to these two programmes?

Mr. Speaker: Hon. Member time is up.

Shri Nageshwar Dwivedi: All right sir, and with these words I support the motion of Hon. Home Minister and oppose Shri Vajpayee's motion.

Shri B. N. Kureel (Ramsanehi ghat): Sir, nobody is happy with what has happened in U. P. whether one belongs to the ruling party here or to the opposition. But the main question is as to what was that situation when all this happened. If we look to that one will conclude that the steps taken by the Governor were quite appropriate. There was no alternative before the Governor except doing what he did in U.P. The U. F. Goverment in U. P. relieved many women of their job and thus added to the number of unemployed people. They also insulted the women. They arrested the employees. They closed the social welfare centres. These were the achievements of the U.F. Government. They also created difficulties in the way of Chaudhary Charan Singh as all the constituent units were busy in their own selfish party ends. The U. F. could not even select its leader for quite sometime. This created political instability in U. P. In such circumstances even the Governor was helpless and as such his report is quite appropriate.

I support the motion.

श्री रा० कृ० सिंह (फैजाबाद) : ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी दलों ने ऐसा रवैया अपनाया है कि कांग्रेस चाहे ठीक भी काम करे परन्तु विरोधी दल उसमें गलतियां तलास करते रहेंगे। यदि किसी के साथ उत्तर प्रदेश में अन्याय हुआ है तो वह कांग्रेस के ही साथ हुआ है। संविद सरकार के घटक आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे। इसका कारण यह था कि उनके सिद्धान्तों में भिन्नता थी और वह अन्त में आपस में लड़े भी।

हमारे विरोधी समाजवाद की बात करते हैं। परन्तु श्री डांगे ने भारतीय जनसंघ तथा स्वतन्त्र दल से भी समझौता कर लिया।

जो उत्तर प्रदेश में लोकतन्त्र के कत्ल की बात करते हैं उन्हें याद रखना चाहिये कि इस मास की 14 तारीख को फैजाबाद में चौधरी चरणसिंह को काला बाजार करने वालों ने 50,000 रु० की थैली पेश की। यही इनका आदर्शवाद है।

हमारे ऊपर विरोधी पक्ष लोकतन्त्र की हत्या का आरोप लगाते हैं परन्तु क्या केन्द्रीय सरकार के विरोध में हम आन्दोलन करते हैं ? इसलिये ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है।

आप लोकतन्त्र में दस महीनों का रिकार्ड देखिये। पंजाब के मुख्य मंत्री की विधान-सभा में हार हुई परन्तु उन्होंने फिर भी त्याग-पत्र नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के दो मंत्री यहां आये तथा आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया। बिहार के मुख्य मंत्री धारा 144 लगाते हैं और बाद में उसको भंग करते हैं। यही इनका लोकतन्त्र है। यह स्वयं लोकतन्त्र की हत्या करने वाले हैं। उनके सामने कोई परम्परा नहीं है। यदि इनका संसदीय लोकतन्त्र में विश्वास है तो दलों की संख्या कम होनी चाहिये। उनको नियमों का पालन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ही नेतृत्व होगा।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): Sir, the main question was whether the report of the Governor pertaining to dissolution of Assembly was right or not. But I am sorry that most of the speeches delivered on the motion did not touch this aspect. For example the Home Minister spoke of the 10 points of Ch. Charan Singh. But the future of democracy in U. P. cannot be based on these.

The important question is whether the reasons given by the Governor to take the drastic step are real or not. Why did he select 10th April for sending this report? If he had stayed for some more time, heavens would not have fallen. The U. F. members met the President and asked for two days more. But they were not given even this short time.

The Home Minister spoke of the differences in the U. F. I can tell him that U. F. came into being in spite of differences on the basis of a minimum programme. We do not believe in having stooges as the Congress is having in Punjab.

Some Congress members have stated that the Governor has done injustice to the Congress. The reason for this is he wants to do justice to the Congress Grovt. which is in power in the centre. Why did the Governor not invite the leader of Congress party in U. P. legislature? So all these things should be looked into. I also cannot understand the logic of Home Minister saying about qualitative change in the U. P.

Some spoke about Allahabad riots. But I have received a telegram from U. P. saying that a Government Servant and a member of Home Guards had been murdered in broad day light. I do not want to read further the contents of the letter as it will spread the poison of communalism. I want to say that the communal disturbances should be suppressed with iron hand. There is a move to revive the National Integration Council. This can be done only if we can view these national problem not from narrow political angles but we will have to rise above them.

In the end I want to say that we ponder as to how the person who is appointed Governor should conduct himself there. Shall we restrict their powers too as we are doing with respect to powers of the speakers in legislatures? The Government should ponder about it now.

What has taken place in U. P. is not going to strengthen democracy. The action of the U. P. Governor cannot be justified. He should, therefore, be recalled.

It is necessary for us to give a serious thought to the question of amending Article 356 of the constitution. If attempts are made to topple non-Congress Governments on one plea or the other, faith of the people in democracy would be shaken and the country would face a serious political crisis.

Now I have put my case before the House and I appeal it to accept my proposition and turn down the motion moved by the Home Minister.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : उत्तर प्रदेश में मूलभूत प्रश्न यह था कि विधान मंडलों को निलम्बित किये जाने के बाद फरवरी में राज्यपाल द्वारा वहां का शासन अपने हाथ में लिये जाने पर वहां की स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। यहां पर पीठासीन

अधिकारियों के सम्मेलन का उल्लेख किया गया और मैंने इस संदर्भ में यह कहा कि इस सम्मेलन की सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे अन्ततोगत्वा हमें माननी ही पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में उस समय स्थिति यह थी कि वहां कोई मुख्य मंत्री नहीं था जिसकी सलाह से विधान सभा को बुलाया जा सकता और यह निर्णय लिया जा सकता कि मुख्य मंत्री अथवा नेता को बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं। यदि इस मूलभूत बात को भुलाया जाता है, तो फिर मेरा बार-बार उत्तर देने का लाभ ही क्या है ? जब मैंने यह कहा कि वहां पर गुणात्मक परिवर्तन हुआ, तो वह चुनाव भाषण तो नहीं था। संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल अपनी ओर से विधान सभा की बैठक नहीं बुला सकते उसकी बैठक केवल मुख्यमंत्री के परामर्श से बुलाई जा सकती है। इसलिये गुणात्मक परिवर्तन से मेरा मतलब यह था कि वहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिसमें राज्यपाल के लिये यह मालूम करना जरूरी हो गया कि विधान-सभा में बहुमत किसका है। संयुक्त विधायक दल में इतना मतभेद हो गया था कि मुख्य मंत्री को खुले आम यह कहना पड़ा कि उन्हें उनके सहयोगी तथा अन्य दल सहयोग नहीं दे रहे हैं और इसलिये वह प्रशासन नहीं चला सकते और विकल्प के रूप में उन्होंने मध्यावधि चुनाव करवाने का सुझाव दिया।

इतने जल्दी मध्यावधि चुनाव कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। लेकिन जब हम मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते थे तो हम से कहा गया कि तुम जनता के पास जाने से घबरा रहे हो। यहां इस मामले में जब राज्यपाल ने सिफारिश की है और मध्यावधि चुनाव कराने की उनकी सिफारिश को हमने मान लिया है, तो अब हमसे पूछा जा रहा है, मध्यावधि चुनाव क्यों करवाये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के बारे में दो किस्म के तर्क दिये गये—एक संवैधानिक और दूसरा राजनैतिक। श्री डांगे ने सवाल पूछा क्या आप लोकतंत्र को चलाने के लिए कोई सिद्धान्त मानने के लिए तैयार हैं ? मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर यह देता हूं कि हमने अब तक जो कुछ भी किया है, वह लोकतंत्र के सिद्धान्तों के आधार पर किया है और यदि विपक्षी दल सर्वसम्मत सिद्धान्त बनाना चाहते हैं, तो हम उनके साथ बैठकर ऐसा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि उनका अपना कोई सिद्धान्त नहीं है। दल बदलने के असाधारण सिद्धान्त के प्रवर्तक विपक्षी दल ही हैं। कांग्रेस दल के मुख्य मंत्रियों का बहुमत जब समाप्त हो गया और जब उन्होंने इसका प्रमाण देखा, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरन्त त्याग-पत्र दे दिये। लेकिन विपक्षी दलों का सिद्धान्त यह है : सत्ता से चिपके रहो ; त्याग-पत्र देने से इन्कार कर दो ; सभा का सत्र बुलाने से इन्कार कर दो और बर्खास्तगी की प्रतीक्षा करो। क्या यह राजनैतिक सिद्धान्त है ? यदि इन सभी गतिविधियों के लिये किसी प्रकार का कोई सिद्धान्त बनाने की इच्छा है, तो हम उसके लिये तैयार हैं। हमें वास्ताव में सिद्धान्तों के प्रश्न पर किसी प्रकार का एकमत दल ढूंढना चाहिये। वास्तव में विपक्षी दल की नीति ऐसे तथ्यों को बड़े आराम से भूलने की रही है जिनसे उन्हें दिक्कत होती है अथवा फायदा नहीं पहुंचता।

मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल पुनः सरकार बनाने के इच्छुक थे लेकिन वह जानना चाहते थे कि क्या वहां पर किसी को स्थायी बहुमत प्राप्त है। जब राज्यपाल को यह पता था कि संयुक्त विधायक दल ने सरकार बनाकर किस प्रकार दस महीने काम किया और किस तरह वह खत्म हुई, तो स्वाभाविक है कि वह इस बात की तसल्ली करना चाहते थे कि जो सरकार बने, वह स्थायी हो ताकि वह रचनात्मक ढंग से जनता की समस्याओं की ओर ध्यान दे सके। वास्तव में इस दृष्टिकोण से देखना यह इनकी जिम्मेदारी है और यदि वह ऐसा नहीं करते, तो अपना उत्तरादायित्व निभाने में असफल रहते।

आमतौर पर उत्तर प्रदेश में किसी का बहुमत होना चाहिये था लेकिन वहां एक असाधारण स्थिति पैदा हो गई थी। बहुमत के दावे कांग्रेसी नेताओं ने भी किये और इसके साथ-साथ कई लोग ऐसे थे जो दोनों पक्षों के साथ होने का दावा करते थे। यही लोग स्थिति में उतार-चढ़ाव लाने वाले हैं और अस्थिर तत्व हैं जिनके कारण सरकार के बनाने तथा चलाने में अस्थिरता आती है। सरकार बनाते समय राज्यपाल को इस बात से बचना पड़ता है। यही वह मौलिक स्थिति थी जिस पर उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण राजनैतिक स्थिति के बारे में राज्यपाल का मूल्यांकन आधारित था। सरकार को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने लोकतंत्र की सेवा करने की भावना से प्रेरित होकर तथा वहां की राजनैतिक स्थिति का निःस्वार्थ तथा निष्पक्ष मूल्यांकन करने के बाद अपनी यथोचित सिफारिश की है।

अन्त में, मैं इलाहाबाद में दंगों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमें खेद है कि इलाहाबाद में स्थिति कुछ हफ्तों की शान्ति के बाद फिर ज्यादा खराब हो गई है। 12 तारीख के बाद स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हुई और 16 तथा 17 तारीख को छुरेबाजी की कुछ घटनाएं हुईं जिसके परिणाम-स्वरूप, मोटा अन्दाज है कि दोनों सम्प्रदायों के छः व्यक्ति मारे गये। सभी राजनैतिक दलों का कर्तव्य है कि वे दोनों सम्प्रदायों के बीच विश्वास पैदा करें। मैं इस बात से सहमत हूं कि आचरण की जांच किये बिना सभी अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराना चाहिये। सारे मामले की जांच की जा रही है। जब वहां दुबारा गड़बड़ी हुई, तो हमने इस मामले में कड़ी कार्यवाही की। इलाकों में चार थानों के पास कर्फ्यु की घोषणा करने के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक खुद प्रान्तीय पुलिस के अतिरिक्त सैनिकों के साथ इलाहाबाद गये। विस्फोट तथा छुरेबाजी के मामलों की जांच करने के लिये केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से निरीक्षकों का एक दल भी भेजा गया है। पुलिस के एक अतिरिक्त वरिष्ठ सुपरिन्टेन्डेंट की तैनाती भी इलाहाबाद में की जा रही है। वहां इन दंगों का होना बहुत दुःख तथा चिन्ता की बात है। लेकिन मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि स्थिति पर काबू पाने के लिये हम सभी आवश्यक कदम उठायेंगे।

देश में साम्प्रदायिक दंगों की एक लहर सी आई है जो देश के लिये दुर्भाग्य की बात है। हमें इस बारे में बड़े धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। इस प्रश्न को हल करने का यही एकमात्र तरीका है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा खेद व्यक्त करती है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई दिनांक 10 अप्रैल, 1968 की रिपोर्ट को अस्वीकार नहीं किया जिसमें राज्य विधान सभा को विघटित करने और राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने के लिये उद्घोषणा, जो 16 अप्रैल, 1968 को सभा-पटल पर रखी गई थी, जारी करने की सिफारिश की गई थी, चूंकि राज्य विधान सभा में संयुक्त विधायक दल को बहुमत प्राप्त था और उसके नेता की सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया जाना चाहिये था ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह-कार्य मंत्री, श्री यशवन्तराव चह्वाण का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 15 अप्रैल, 1966 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई पहली उद्घोषणा में परिवर्तन किया गया है ।"

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 15th April, 1968, under article 356 of the constitution in relation to the State of Uttar Pradesh, varying the earlier Proclamation issued on the 25th February, 1968."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 19 अप्रैल, 1968/30 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 19, 1968/ Chaitra 30, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—2-11-68—600